

हमारे गांवोंका पुनर्निर्माण

गांधीजी



हमारे गांधोंका पुनर्निर्माण

गांधीजी

संपादक

भारतन् कुमारप्पा

गांधीजी



नवयान प्रकाशन मंदिर
आहमदाबाद-१४

© नवजीवन ट्रस्ट, १९५३

पहली आवृत्ति, प्रति २,०००, १९५३
पांचवाँ पुनर्मुद्रण, प्रति ५,०००, जून २०१६
कुल प्रतियाँ: २७,०००

ISBN 978-81-7229-671-1

मुद्रक और प्रकाशक
विवेक जितेन्द्र देसाई
नवजीवन मुद्रणालय
अहमदाबाद-३८० ०९४

फोन: ०૭૯-२૭૫૪૦૬૩૫, २૭૫૪૨૬૩૪
E-mail: sales@navajivantrust.org
Website: www.navajivantrust.org

तन्मावकाका निवेदन

आज यह कि देशके विभिन्न भागोंमें शाम-विकास और सामूहिक कल्याणकी योजनाओं पर अमल हो रहा है, हमें लगा कि गांधीजीके उननिर्माणके बारेमें गांधीजीके विचार बेक जगह संक्षेपमें संकलित कर लिये जायं तो बड़ा लाभ होगा।

जैसा कि सब कोई जानते हैं, गांधीजी अपनेको शामवासी ही मानते थे और गांधीमें ही बस गये थे। गांधीजी जरूरतें पूरी करनेके लिये अन्होंने अनेक संस्थायें कायम की थीं और शामवासियोंकी शारीरिक, वार्षिक, सामाजिक और नैतिक स्थिति सुधारनेकी अन्होंने भरतक कोशिश की थी। अनके सामने जिस बातकी बड़ी साफ़ तस्वीर थी कि गांधीमें क्या किया जाना चाहिये और क्या नहीं किया जाना चाहिये। परिचयी सिखा गहण करनेके बाबजूद वे अस लाजीको पूरनेमें सफल हो सके थे, जो आम तौर पर हमारे देशमें पढ़े-लिखे — शिक्षित — लोगोंको गांधीवालोंसे अलग कर देती है। गांधीजीमें अपने-आपको गांधीवालोंके साथ अेकरूप कर देनेकी और अन्हींकी नजरसे अनकी समस्याओंको देखनेकी अनोखी क्षमित और प्रतिभा थी।

जिसके अलावा, हमारी आध्यात्मिक परम्पराके अनुसार वे चरित्र-बल और आध्यात्मिक विकासको बहुत बड़ा महत्व देते थे। आज पारम्पारिक प्रथाओंमें आकर हम केवल भौतिक सम्पत्तिके अत्याधनको ही सारा महत्व देनेकी तरफ शुक रहे हैं। गांधीजीने जिस चीजको समझ लिया था कि आज दुनिया जो आत्मनाशकी ओर बढ़ रही है, असका मुख्य कारण यही है कि वह भौतिक व्येषोंके पीछे पड़ गयी है, जिनका नैतिक और आध्यात्मिक आवश्योंसे कोई संबंध नहीं है।

जिसके फलस्वरूप यदि अेक तरफ गांधीजीके बभाव, गरीबी और भूतको मिटानेकी अनकी अत्यक्ट जिज्ञा शाम-सुधारकी अनकी योजनाओंको जन्म देनेका कारण बनी, तो दूसरी तरफ अहिंसा, सांति, सामाजिक न्याय और

छोटेसे छोटे तथा अपेक्षित लोगोंके लिये भी स्वावलम्बन और स्वयंपूर्णताके रूपमें स्वतंत्रता जैसे आध्यात्मिक ध्येयोंकी सिद्धिकी सच्ची लगत अब योजनाओंके लिये प्रेरक सिद्ध हुई। आज दुनिया यिन आदर्शोंकी बात तो करती है, लेकिन दिनोंदिन अबूनसे ज्यादा दूर हटती और अबूनके विरोधी आदर्शोंकी तरफ — जैसे, हिंसा, युद्ध, सामाजिक अन्याय, कमजोरके शोषण और दमन, लोगोंका विचार-स्वातंत्र्य छीनकर अन्हें एक सांचेमें ढालनेके प्रयत्न, आवादीके बहुत बड़े भागको आजादी देनेसे यिनकार, सांवंभीम सत्तावाले राज्य और सर्व-सत्तावादकी तरफ — बहती हुबी दिखाबी देती है। गांधीजीने अचूक स्पष्टतासे यिस चीजको देख लिया था कि यिन आदर्शोंकी हम दुहाबी देते हैं, अन्हें यदि जीवनमें सिद्ध करना है, तो लोगोंके दैनिक जीवनमें हमें अबूनकी बुनियाद ढालनी होगी। यिसलिये गांवोंके पुनर्निर्माणके सम्बन्धमें गांधीजीके विचारोंकी बड़ी खूबी यिस बातमें है कि ग्रामोत्थानकी योजना बनाते समय वे केवल अबूनका आर्थिक स्तर अठानेका ही ध्यान नहीं रखते थे, बल्कि शांति, न्याय और सबके लिये स्वतंत्रताका आधार खड़ा करनेकी भी चिन्ता रखते थे। अगर हम यह चीज ध्यानमें न रखें तो गांधीजीको समझनेमें या अबूनके सुझावोंके महत्वको समझनेमें पूरी तरह असफल रहेंगे। अदाहरणके लिये, अबूनकी खादीकी हिमायतके खिलाफ जो टीका की जाती है, वह बहुत हद तक टाली जा सकती है, अगर टीकाकार अप्से केवल अपनी भौतिक लाभकी कसौटी पर ही नहीं, बल्कि गांधीजीकी भौतिक और आध्यात्मिक मूल्योंकी कसौटी पर कसें।

यिस छोटीसी पुस्तकमें गांधीजी गांवोंमें जो कुछ करना-कराना चाहते थे, असकी अत्यन्त सामान्य रूपरेखा ही दी गयी है। शिक्षा, सामाजिक सुधार, स्त्री-कल्याण, खुराक और पशु-पालन जैसी कुछ बड़े महत्वकी बातें या तो बहुत संक्षेपमें दी गयी हैं या बिलकुल छोड़ दी गयी हैं। कारण यह है कि नवजीवन ट्रस्ट द्वारा ऐसी अलग-अलग पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें यिन विषयोंमें से अधिकांश पर गांधीजीके विस्तृत विचार-पेश किये गये हैं। यिस पुस्तिकमें तो ग्राम-सुधारके क्षेत्रमें आनेवाले मुख्य विषयोंको केवल छुआ ही गया है; जो पाठक यिन विषयों पर तफसील-

बार गांधीजीके विचार जानना चाहते हैं, वे अपनसे सम्बन्ध रखनेवाली दूसरी पुस्तकों पढ़ें। दूसरी तरफ ग्राम-सफाई और ग्रामसेवकोंको सलाह ऐसे विषय यहाँ ज्यादा विस्तारसे दिये गये हैं, क्योंकि और कहीं बुनका विवेचन नहीं हुआ है।

अिस पुस्तकमें दिये गये बहुतसे शीर्षक मूल शीर्षकोंसे नहीं मिलते। हमने प्रस्तुत पुस्तकके विषयोंके अनुकूल अन्हें बदलकर नया रूप दे दिया है। लेखोंका पाठ मूल रूपमें ही है, सिवा अिसके कि कहीं-कहीं बुनके कुछ हिस्से ही दिये गये हैं और छूटे हुए हिस्सोंको किसी चिह्न ढारा सूचित नहीं किया गया है।

१ सितम्बर, १९५२

भारतन् कुमारप्पा

अनुक्रमणिका

सम्पादकका निवेदन

१. गांधोंका स्थान	३
२. गांधोंका पुनर्निर्माण (सामान्य)	३४
३. ग्राम-सफाई	९
४. ग्राम-आरोग्य	१५
५. ग्राम-आहार	२४
६. ग्रामशिक्षा	२८
७. ग्रामोद्योग और खेती	२९
८. जमीदारी और अहिंसाका आदर्श	४०
९. गांधोंका यातायात	४९
१०. ग्राम-स्वराज्य	५५
११. गांवकी रक्षा	६४
१२. ग्रामसेवक	६९
१३. विद्यार्थी और गांव	९८
१४. स्त्रियां और गांव	१००
१५. कांग्रेस और गांव	१०१
१६. सरकार और गांव	१०४
परिशिष्ट — क	
मि० ब्रेनका ग्राम-सुषार-प्रयोग	१०७
परिशिष्ट — ख	
बुपयोगी सूचनाओं	जे० सी० कुमारप्पा
सूची	११७
	१२६

हमारे गांधोंका पुनर्निर्माण

१

गांवोंका स्थान

गांवोंकी सेवा करनेसे ही सच्चे स्वराज्यकी स्थापना होगी। अन्य सब प्रयत्न निर्व्वक सिद्ध होंगे।

यंग बिंदिया, २६-१२-'२९

अगर गांव नष्ट हो जाय, तो हिन्दुस्तान भी नष्ट हो जायगा। वह हिन्दुस्तान ही नहीं रह जायगा। दुनियामें युसका 'मिशन' ही सतम हो जायगा।

हरिजन, २९-८-'३६

सच तो यह है कि हमें गांवोंवाला भारत और शहरोंवाला भारत, जिन दोमें से अेकको चुन लेना है। देहात अुतने ही पुराने हैं, जितना कि यह भारत पुराना है। शहरोंको विदेशी आधिपत्यने बनाया है। जब यह आधिपत्य मिट जायगा, तब शहरोंको देहातके मातहत होकर रहना पड़ेगा। आज तो शहरोंका बोलबाला है और वे गांवोंकी सारी दौलत खींच लेते हैं। जिससे गांवोंका हास और नाश हो रहा है। गांवोंका शोषण खुद अेक संगठित हिसा है। अगर हमें स्वराज्यकी रचना अहिंसाके पाये पर करनी है, तो गांवोंको अुचित स्थान देना होगा।

हरिजनसेवक, २०-१-'४०

गांवोंका पुनर्निर्माण (सामान्य)

स्वराज्यमें ग्रामसेवा

स्वयंसेवक और स्वयंसेविकाओं गांवमें जाकर लोगोंको स्वराज्य-धर्मकी शिक्षा दें। वे गांवोंको साफ और स्वावलम्बी बनानेका धर्म लोगोंको सिखायें। स्वराज्यमें सरकार गांवोंको साफ नहीं करायेगी, बल्कि लोग अबूँहें अपने समझकर खुद ही साफ करेंगे। ग्रामोद्योगोंका नाश होनेसे गांव बरबाद हो गये हैं; ग्रामोद्योगोंका पुनरुद्धार करनेसे ही अनका पुनरुद्धार होगा। यिसमें चरखा मध्यबिन्दु है और अस्के आसपास दूसरे धंधे प्रतिष्ठित हैं। . . . अिस तरह हर आदमी परिश्रमका मूल्य समझे और अगर सब लोग परिश्रमी बन जायं और जनताके कल्याणके लिये काम करें, तो जनताके लाखों रूपये बच जायं, अस्के धनकी वृद्धि हो और वह कमसे कम कर देकर अधिकसे अधिक सुखी हो।

अहिंसक स्वराज्यमें कोओ किसीका शत्रु नहीं होगा, सब अपना-अपना काम करेंगे, कोओ निरक्षर नहीं रहेगा, अुत्तरोत्तर सबके ज्ञानकी वृद्धि होती जायगी। सारी प्रजामें कमसे कम बीमारियां होंगी, कोओ दरदी नहीं होगा और परिश्रम करनेवालेको बराबर काम मिलता रहेगा। स्वराज्यमें जुआ, मद्यपान, व्यभिचार या वर्ग-विग्रहके लिये कोओ गुंजायिश नहीं होगी। धनी लोग अपने धनका विवेकपूर्ण अुपयोग करेंगे — भोग-विलास और अैश-आरामको बढ़ानेमें अुसे बरबाद नहीं करेंगे। स्वराज्यमें यह नहीं होना चाहिये कि मुट्ठीभर धनी लोग रत्न-जटित प्रासादोंमें रहें और हजारों-लाखों लोग हवा और प्रकाशसे रहित कोठरियोंमें पशुओंका जीवन बितायें। अस्में हिन्दू-मुस्लिम, सूर्य-अस्पृश्य तथा अूच-नीचके कोओ भेद नहीं होने चाहिये।

[गांधीजी द्वारा राजकोटकी प्रजाके नाम निकाली गयी दूसरी अपीलका एक भाग।]

हरिजनसेवक, १८-३-'३९

ग्राम-स्वराज्य

ग्राम-स्वराज्यकी मेरी कल्पना यह है कि वह अेक अंसा पूर्ण प्रजातंत्र होगा, जो अपनी अहम जरूरतोंके लिये अपने पड़ोसी पर भी निर्भर नहीं करेगा; और फिर भी बहुतेरी दूसरी जरूरतोंके लिये—जिनमें दूसरोंका सहयोग अनिवार्य होगा — वह परस्पर सहयोगसे काम लेगा। जिस तरह हरअेक गांवका पहला काम यह होगा कि वह अपनी जरूरतका तमाम अनाज और कपड़ेके लिये कपास खुद पैदा कर ले। अुसके पास अितनी फाजिल जमीन होनी चाहिये, जिसमें ढोर चर सकें और गांवके बड़ों व बच्चोंके लिये मनबहलावके साधन और खेलकूदके मैदान बगैराका बन्दोबस्त हो सके। अिसके बाद भी जमीन बची, तो अुसमें वह अंसी अुपयोगी फसलें बोयेगा, जिन्हें बेचकर वह आर्थिक लाभ अुठा सके; यों वह गांजा, तम्बाकू, अफीम बगैराकी खेतीसे बचेगा। हरअेक गांवमें गांवकी अपनी अेक नाटक-शाला, पाठशाला और सभा-भवन रहेगा। पानीके लिये अुसका अपना अिन्तजाम होगा — वाटरवर्क्स होंगे — जिससे गांवके सभी लोगोंको शुद्ध पानी मिला करेगा। कुओं और तालाबों पर गांवका पूरा नियंत्रण रखकर यह काम किया जा सकता है। वुनियादी तालीमके आखिरी दर्जे तक शिक्षा सबके लिये लाजिमी होगी। जहां तक हो सकेगा, गांवके सारे काम सहयोगके आधार पर किये जायेंगे। जात-पांत और क्रमागत अस्पृश्यताके जैसे भेद आज हमारे समाजमें पाये जाते हैं, वैसे अिस ग्राम-समाजमें बिलकुल न रहेंगे। सत्याग्रह और असहयोगके शास्त्रके साथ अहिंसाकी सत्ता ही ग्रामीण समाजका शासन-बल होगी। गांवकी रक्षाके लिये ग्राम-सैनिकोंका अेक अंसा दल रहेगा, जिसे लाजिमी तौर पर बारी-बारीसे गांवके चौकी-पहरेका काम करना होगा। अिसके लिये गांवमें अंसे लोगोंका रजिस्टर रखा जायगा। गांवका शासन चलानेके लिये हर साल गांवके पांच आदमियोंकी अेक पंचायत चुनी जायगी। अिसके लिये नियमानुसार अेक खास निर्धारित योग्यतावाले गांवके बालिग स्त्री-पुरुषोंको अधिकार होगा कि वे अपने पंच चुन लें। अिन पंचायतोंको सब प्रकारकी आवश्यक सत्ता और अधिकार रहेंगे। चूंकि अिस ग्राम-स्वराज्यमें आजके प्रचलित अर्थोंमें सजा या दंडका कोओ रिवाज नहीं रहेगा, अिसलिये यह पंचायत अपने अेक

सालके कार्यकालमें स्वयं ही भारासभा, न्यायसभा और कारोबारी सभाका सारा काम संयुक्त रूपसे करेगी। आज भी अगर कोई गांव चाहे तो अपने यहां विस तरहका प्रजातंत्र कायम कर सकता है। अुसके अिस काममें भीजूदा सरकार भी ज्यादा दस्तावाजी नहीं करेगी। क्योंकि अुसका गांवसे जो भी कारगर संबंध है, वह सिर्फ मालगुजारी बमूल करने तक ही सीमित है। यहां मैंने अिस बातका विचार नहीं किया है कि अिस तरहके गांवका अपने पास-पड़ोसके गांवोंके साथ या केन्द्रीय सरकारके साथ, अगर वैसी कोई सरकार हुआ, क्या संबंध रहेगा। मेरा हेतु तो ग्राम-शासनकी ऐक रूपरेखा पेश करनेका ही है। अिस ग्राम-शासनमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आधार रखनेवाला संपूर्ण प्रजातंत्र काम करेगा। व्यक्ति ही अपनी अिस सरकारका निर्माता भी होगा। अुसकी सरकार और वह दोनों अहिंसाके नियमके बश होकर चलेंगे। अपने गांवके साथ वह सारी दुनियाकी शक्तिका मुकाबला कर सकेगा। क्योंकि हरअेक देहातीके जीवनका सबसे बड़ा नियम यह होगा कि वह अपनी और अपने गांवकी अिज्जतकी रक्षाके लिअे मर मिटे।

जो चित्र यहां अपस्थित किया गया है, अुसमें असंभव जैसी कोओ चीज नहीं है। संभव है अैसे गांवको तैयार करनेमें ऐक आदमीकी पूरी जिन्दगी खत्म हो जाय। सच्चे प्रजातंत्रका और ग्राम-जीवनका कोओ भी प्रेमी ऐक गांवको लेकर बैठ सकता है। और अुसीको अपनी सारी दुनिया मानकर अुसके काममें गड़ सकता है। निश्चय ही अुसे अिसका अच्छा फल मिलेगा। वह गांवमें बैठते ही अेकसाथ गांवके भंगी, कतवैये, चौकीदार, बैद्ध और शिक्षकका काम शुरू कर देगा। अगर गांवका कोओ आदमी अुसके पास न फटके, तो भी वह सन्तोषके साथ अपने सफाओ और कताओके काममें जुटा रहेगा।

हरिजनसेवक, २-८-'४२

ग्राम-अिकाओ

मेरी कल्पनाकी ग्राम-अिकाओ मजबूत होगी। मेरी कल्पनाके गांवमें १००० आदमी रहेंगे। अैसे गांवको अगर स्वावलम्बनके आधार पर अच्छी तरह संगठित किया जाय, तो वह बहुत कुछ कर सकता है।

हरिजन, ४-८-'४६

समग्र प्राम-विकास

देहातवालोंमें वह कला और कारीगरी आनी चाहिये, जिससे बाहर अनुकी पैदा की हुओ चीजोंकी कीमत की जा सके। जब गांवोंका पूरा-पूरा विकास हो जायगा, तो देहातियोंकी बुद्धि और आत्माको सन्तुष्ट करनेवाली कला-कारीगरीके धनी स्त्री-पुरुषोंकी गांवोंमें कमी नहीं रहेगी। गांवमें कवि होंगे, चित्रकार होंगे, शिल्पी होंगे, भाषाके पंडित और खोज करनेवाले लोग भी होंगे। योड़में, जिन्दगीकी ऐसी कोअी चीज न होगी जो गांवमें न मिले। आज हमारे देहात अुजड़े हुए और कूड़े-कचरेके ढेर बने हुए हैं। कल वहीं सुन्दर बगीचे होंगे और ग्रामवासियोंको ठगना या अनुका शोषण करना नामुमकिन हो जायगा।

अिस तरहके गांवोंकी पुनर्रचनाका काम आजसे ही शुरू हो जाना चाहिये। गांवोंकी पुनर्रचनाका काम कामचलाओ नहीं, बल्कि स्थायी होना चाहिये।

अद्योग, हुनर, तन्दुरस्ती और शिक्षा अिन चारोंका सुन्दर समन्वय करना चाहिये। नभी तालीममें अद्योग और शिक्षा, तन्दुरस्ती और हुनरका सुन्दर समन्वय है। अिन सबके मेलसे मांके पेटमें आनेके समयसे लेकर बुढ़ापे तकका एक खूबसूरत फूल तैयार होता है। यही नभी तालीम है। अिसलिए मैं शुरूमें ग्राम-रचनाके टुकड़े नहीं करूंगा, बल्कि यह कोशिश करूंगा कि अिन चारोंका आपसमें मेल बैठे। अिसलिए मैं किसी अद्योग और शिक्षाको अलग नहीं मानूंगा, बल्कि अद्योगको शिक्षाका जरिया मानूंगा, और अिसीलिए ऐसी योजनामें नभी तालीमको शामिल करूंगा।

हरिजनसेवक, १०-११-'४६

पैसेका स्थान

[श्री घनश्यामदास बिड़लाके साथ हुओ बातचीतसे ।]

“आप खूब पैसा अिकट्ठा करके अपने ग्रामकार्यको एक अच्छे विशाल क्षेत्रमें क्यों नहीं फैलाते ? ”

“नहीं; जितनेकी मुझे जरूरत होती है, अुससे ज्यादा पैसा अिकट्ठा करनेमें मेरा विश्वास नहीं है। ”

हमारे गांधींका पुनर्निर्माण

६

“पर मान लीजिये, आप बीस, और दीस त सही दस ही, गांधीं
नमूनेके बना दें तो कैसा हो ?”

“अगर यह अितना आसान काम हो, तो तुम अपने हृष्येसे यह काम
कर सकते हो। मगर मैं जानता हूँ कि यह काम अितना आसान नहीं है।
यह बात नहीं कि हृष्येकी जादूकी लकड़ी फेरते ही कोओ गांधीं नमूनेका बन
जायगा।”

हरिजनसेवक, ३०-११-'३५

डॉ० मॉट : अगर भारतको पैसा दिया जाय, तो बिना किसी तरहका
नुकसान पहुँचाये बुद्धिमानीसे किस तरह दिया जा सकता है? क्या पैसा
देनेसे कोओ लाभ होगा?

गांधीजी : नहीं। जब पैसा दिया जाता है, तो वह नुकसानके सिवा
और कुछ कर ही नहीं सकता। जब पैसेकी जरूरत हो, तब अुसे खुद
कमाना चाहिये। मेरा यह पक्का विश्वास है कि मिशनरी सोसायटियोंको
जो अमरीकी और ब्रिटिश पैसा दिया गया है, अुसने फायदेके बजाय नुकसान
ही ज्यादा किया है। आप ओश्वर और धन दोनोंकी अेकसाथ पूजा नहीं
कर सकते। मुझे भय है कि धनको भारतकी सेवा करनेके लिअे भेजा गया
है और ओश्वर पीछे रह गया है; नतीजा यह होगा कि अेक दिन ओश्वर
जिसका बदला लेगा। जब कोओ अमेरिकन कहता है कि ‘मैं पैसेसे तुम्हारी
सेवा करूँगा’, तो मुझे अुससे डर लगता है। मैं अुससे यही कहता हूँ : ‘हमारे
यहां आपके अंजीनियरोंको भेजिये, जो यहां पैसा कामानेके लिअे नहीं बल्कि
हमें अपने वैज्ञानिक ज्ञानका लाभ देनेके लिअे आयें। अनुभवके आधार पर
मुझे यह पक्का विश्वास हो गया है कि आत्मासे संबंध रखनेवाली
बातोंमें पैसेका कोओ स्थान नहीं है।

हरिजन, २६-१२-'३६

ग्राम-सफाई

गांवोंकी सफाई करना

गांवोंमें करनेके कार्य ये हैं कि अनुमें जहां-जहां कूड़े-कर्कट तथा गोबरके ढेर हों, वहां-वहांसे अनको हटाया जाय और कुओं तथा तालाबोंकी सफाई की जाय। अगर कार्यकर्ता लोग नौकर रखे हुअे भंगियोंकी भाँति खुद रोज सफाईका काम करना शुरू कर दें और साथ ही गांववालोंको यह भी बतलाते रहें कि अनुसे सफाईके कार्यमें शरीक होनेकी आशा रखी जाती है, ताकि आगे चलकर अन्तमें सारा काम गांववाले स्वयं करने लग जायं, तो यह निश्चित है कि आगे या पीछे गांववाले अिस कार्यमें अवश्य सहयोग देने लगेंगे।

वहांके बाजार तथा गलियोंको सब प्रकारका कूड़ा-कर्कट हटाकर स्वच्छ बना लेना चाहिये। फिर अुस कूड़ेका वर्गीकरण कर देना चाहिये। अुसमें से कुछका तो खाद बनाया जा सकता है, कुछको सिर्फ जमीनमें गाड़ देनाभर बस होगा और कुछ हिस्सा अैसा होगा कि जो सीधा संपत्तिके रूपमें परिणत किया जा सकेगा। वहां मिली हुअी प्रत्येक हड्डी अेक बहुमूल्य कच्चा माल होगी, जिससे बहुतसी अुपयोगी चीजें बनाओ जा सकेंगी, या जिसे पीसकर कीमती खाद बनाया जा सकेगा। कपड़ेके फटे-पुराने चिथड़ोंसे तथा रटी कागजोंसे कागज बनाये जा सकते हैं और अधर-अधरसे अिकट्ठा किया� हुआ मल-मूत्र गांवके खेतोंके लिअे स्वर्णमय खादका काम देगा। मल-मूत्रको अुपयोगी बनानेके लिअे यह करना चाहिये कि अुसके साथ — चाहे वह सूखा हो या तरल — मिट्टी मिलाकर अुसे ज्यादासे ज्यादा अेक फुट गहरा गड्ढा खोदकर जमीनमें गाड़ दिया जाय। गांवोंकी स्वास्थ्यरक्षा पर लिखी हुअी अपनी पुस्तकमें डॉ० पूअरे कहते हैं कि जमीनमें मल-मूत्रको नौ या बारह अिंचसे अधिक गहरा नहीं गाड़ना चाहिये। (मैं यह बात केवल स्मृतिके आधार पर लिख रहा हूं।) अनकी मान्यता

हमारे गांवोंका पुनर्निर्माण

१०

यह है कि जमीनकी भूपरी सतह सूक्ष्म जीवोंसे परिपूर्ण होती है और हवा अबं रोशनीकी सहायतासे — जो कि आसानीसे वहां तक पहुंच जाती है — ये जीव मल-मूत्रको एक हप्तेके अन्दर-अन्दर एक अच्छी, मुलायम और सुगन्धित मिट्टीमें बदल देते हैं। कोई भी ग्रामवासी स्वयं इस बातकी सचाओंका पता लगा सकता है। यह कार्य दो प्रकारसे किया जा सकता है। या तो पाखाने बनाकर अनुमें शौच जानेके लिये मिट्टी तथा लोहेकी बाल्टियां रख दी जायं और फिर प्रतिदिन अन बाल्टियोंको पहलेसे तंयार की हुओ जमीनमें खाली करके भूपरसे मिट्टी डाल दी जाय, या फिर जमीनमें चौरस गड्ढा खोदकर सीधे अुसीमें मल-मूत्रका त्याग करके भूपरसे मिट्टी डाल दी जाय। यह मल-मूत्र या तो देहातके सामूहिक खेतोंमें गाड़ा जा डाल दी जाय। यह मल-मूत्र या तो देहातके सामूहिक खेतोंमें। लेकिन यह कार्य तभी संभव है जब सकता है या व्यक्तिगत खेतोंमें। कोई भी अद्योगी ग्रामवासी कमसे कम अितना काम तो खुद भी कर ही सकता है कि मल-मूत्रको अेकत्र करके अुसको अपने लिये संपत्तिमें परिवर्तित कर दे। आजकल तो यह सारा कीमती खाद, जो लाखों रुपयोंकी कीमतका है, प्रतिदिन व्यर्थ जाता है और बदलेमें हवाको गन्दी करता तथा बीमारियां फैलाता रहता है।

गांवोंके तालाबोंसे स्त्री और पुरुष सब स्नान करने, कपड़े धोने, पानी पीने तथा भोजन बनानेका काम लिया करते हैं। बहुतसे गांवोंके तालाब पशुओंके काम भी आते हैं। बहुधा अनुमें भैसें बैठी हुओ पाओ जाती हैं। आश्चर्य तो यह है कि तालाबोंका अितना पापपूर्ण दुरुपयोग होते रहने पर भी महामारियोंसे गांवोंका नाश अब तक क्यों नहीं हो पाया है? सारी दुनियाके डॉक्टर यह कहते हैं कि पानीकी सफाओंके संबंधमें गांववालोंकी अुपेक्षा-वृत्ति ही अनुकी बहुतसी बीमारियोंका कारण है।

पाठक अिस बातको स्वीकार करेंगे कि अिस प्रकारका सेवाकार्य शिक्षा-प्रद होनेके साथ ही साथ अलौकिक रूपसे आनन्ददायक भी है और अिसमें भारतवर्षके सन्ताप-पीड़ित जन-समाजका अनिर्वचनीय कल्याण भी समाया हुआ है। मुझे अम्मीद है कि अिस समस्याको सुलझानेके तरीकेका मैंने अपर जो वर्णन किया है, अुससे अितना तो साफ हो गया होगा कि अगर अंसे अुत्साही कार्यकर्ता मिल जायं, जो झाड़ू और कावड़ेको भी अुतने ही

आराम और गर्वके साथ हाथमें ले लें जैसे कि वे कलम और पेंसिलको लेते हैं, तो अिस कार्यमें खर्चका कोअभी सवाल ही नहीं आठेगा। अगर किसी खर्चकी जरूरत पड़ेगी भी तो वह केवल आडू, फावड़ा, टोकरी, कुदाली और शायद कुछ कीटाणु-नाशक दवाओंयां खरीदने तक ही सीमित रहेगा। मूल्यी राख संभवतः अबती ही अच्छी कीटाणु-नाशक दवा है, जितनी कि कोअभी रसायनशास्त्री दे सकता है। लेकिन यहाँ तो अद्वार रसायनशास्त्री हमको यह बतलायें कि गांवके लिए सबसे सस्ती और कारगर कीटाणु-नाशक चीज कौनसी है, जिसे गांववाले स्वयं अपने गांवोंमें बना सकते हैं।

हरिजनसेवक, १५-२-'३५

खादके गड्ढे

पंजाबके ग्राम-सुधार संबंधी सरकारी महकमेके कमिशनर श्री ब्रेन द्वारा खादके गड्ढोंके बारेमें प्रकाशित पत्रिकाके कुछ महत्वके अंश अदृत करके गांधीजीने लिखा :

अिसमें जो कुछ लिखा है अुसका समर्थन कोअभी भी कर सकता है। श्री ब्रेनने जैसे गड्ढोंके लिए लिखा है वैसोंकी आम तौर पर सिफारिश की जाती है, यह मैं ज्ञानता हूँ। मगर मेरी रायमें श्री पूअरेने जो अेक फुटके छिछले गड्ढोंकी सिफारिश की है, वह अधिक वैज्ञानिक अेवं लाभप्रद है। अुसमें खुदाओंकी मजदूरी कम होती है, और खाद निकालनेकी मजदूरी या तो बिलकुल ही नहीं होती या बहुत थोड़ी होती है। फिर अुस मैलेका खाद भी लगभग अेक सप्ताहमें ही बन जाता है। क्योंकि जमीनकी सतहसे ६-७ अंच तककी गहराओंमें रहनेवाले जन्तुओं, हवा और सूर्यकी किरणोंका अुस पर असर होता है, जिससे गहरे गड्ढोंमें दबाये जानेवाले मैलेके बनिस्वत कहीं अच्छा खाद तैयार हो जाता है।

लेकिन मैला ठिकाने लगानेके तरीके कितने ही तरहके क्यों न हों, याद रखनेकी मुख्य बात यह है कि सारे मैलेको गड्ढोंमें गाड़ा जरूर जाय। अिससे दुहरा लाभ होता है — अेक तो ग्रामवासी तन्दुरुस्त रहते हैं; दूसरे, गड्ढोंमें दबकर बना हुआ खाद खेतोंमें डालनेसे फसलकी वृद्धि होती है और ग्राम-वासियोंकी आर्थिक स्थिति सुधरती है। यह याद रखना चाहिये कि मैलेके

हमारे गांधींका पुनर्निर्माण

१२

अलावा जानवरोंके शरीरके अवयव आदि चीजें अलग गाड़ी जानी चाहिये । यह निसंदिग्ध है कि ग्राम-सुधारके काममें सफाई सबसे पहला कदम है ।

हरिजनसेवक, ८-३-'३५

मैलेके गड्ढोंके बारेमें

अेक सज्जन पूछते हैं :

"(१) अेक जगह अेक फुट गहरा गड्ढा खोद कर अुसमें मैला गाड़ा गया हो, तो अुसी जगह दूसरी बार मैला गाड़नेके पहले कितना समय जाना चाहिये ? "

"(२) साधारणतया धान बोनेके बाद तुरन्त ही खेत जोता जाता है । अगर बौनीसे आठेक दिन पहले मैला गाड़ा गया हो, तो जब खेत जोता जायगा तब क्या वह मैला अूपर न आ जायगा, और अिस तरह हलवाहों और बैलोंके पैरोंको खराब नहीं करेगा ? "

(१) ठीक-ठीक बतलाओ दुओं रीतिके अनुसार मैला अगर छिछले गड्ढेमें गाड़ा गया हो, तो अधिकसे अधिक पन्द्रह दिन बाद बीज बोनेमें कोओ अड़चन नहीं आती । अेक साल अपयोग करनेके बाद अुसी जगह फिर मैला गाड़ा जा सकता है ।

(२) मनुष्य या ढोरके पैर खराब होनेका सवाल तो अठ ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक मैला सुगन्धित खादमें परिणत न हो जाय, तब तक वहां कुछ भी नहीं बोया जा सकता, और न बोना चाहिये । अैसा खाद बन जानेके बाद तो अुस मिट्टीको हम बिना किसी हिचकके खुशीसे हाथमें ले सकते हैं ।

हरिजनसेवक, २६-४-'३५

मैलेको ठिकाने कैसे लगाया जाय ?

अेक ग्रामसेवकके प्रश्नोंके जवाबमें गांधीजीने लिखा :

बरसातके दिनोंमें भी गांववालोंको अैसी जगहों पर शौचक्रिया करनी चाहिये, जहां मनुष्यके आने-जानेका रास्ता न हो । मैलेको गाड़ जरूर देना

चाहिये। पर ग्रामवासियोंको परंपरासे जो गलत शिक्षा मिली है, अुसके कारण यह मैलेके गाड़नेका प्रश्न सबसे कठिन है। सिदी गांवमें हम यह प्रथल कर रहे हैं कि गांववाले सड़कों पर पाखाना न किरें, बल्कि पासके खेतोंमें जायं और अपने पाखाने पर सूखी साफ मिट्टी ढाल दिया करें। दो महीनेकी लगातार भेहनत और म्युनिसिपैलिटीके मेम्बरों तथा दूसरे लोगोंके सहयोगका अितना परिणाम तो हुआ है कि वे साधारणतया सड़कोंको खराब नहीं करते। भगर मिट्टी तो वे अब भी अपने मल-मूत्र पर नहीं ढालते, चाहे अुनसे कितना ही कहा जाय। पूछो तो जबाब देंगे, 'यह तो निश्चय ही भयंकर काम है। विष्ठाको देखना ही पाप है; फिर अुस पर मिट्टी ढालना तो अुससे भी घोर पाप है।' अन्हें शिक्षा ही अैसी मिली है। यह बिचित्र विश्वास अुसी शिक्षाका फल है। अिसलिए ग्रामवासियोंके हृदय पर नया संस्कार जमानेके पहले ग्रामसेवकोंको अुनके अिन रुद्धिगत संस्कारोंको अेकदम मिटा देना होगा। अगर हमारा अपने कार्यक्रममें दृढ़ विश्वास है, अगर नित्य सवेरे झाड़ू लगाते रहनेका हमारे अन्दर पर्याप्त धैर्य है, और गांववालोंके अिन कुसंस्कारों पर अगर हम चिढ़ते नहीं हैं, तो अुनके ये सब मिथ्या विश्वास अुसी प्रकार लुप्त हो जायंगे, जिस प्रकार सूर्यके प्रकाशसे कुहरा नष्ट हो जाता है। युगोंका यह घोर अज्ञान कहीं आपके दो-चार महीनेके पदार्थ-पाठसे दूर हो सकता है?

सिदी गांवमें हम वर्षाका सामना करनेकी भी तैयारी कर रहे हैं। अपनी खेतीकी रखवाली तो किसान करेंगे ही; तब अिस तरह थोड़े ही वे लोगोंको अपने खेतोंमें आने देंगे जिस तरह कि आज आने देते हैं। हमने लोगोंके सामने यह तजवीज रखी है कि वे खेतकी हदबन्दीके अन्दर कुछ जमीनको बिलकुल अलग करके अुसमें आड़ लगा लें, और अुस घेरेके भीतर ही टट्टी फिरा करें। चौमासेके अन्तमें जमीनके अिस टुकड़ोंमें काफी खाद तैयार हो जायगा। वह बक्त आ रहा है जब खेतवाले खुद ही लोगोंसे अपने खेतोंमें शौचक्रिया करनेके लिये कहेंगे। अगर डॉ० फाअुलरका कूता हुआ हिसाब हम मान लें, तो अेक खेतमें बिला नागा शौचक्रिया करनेवाला मनुष्य वर्षमें दो रूपयेका खाद अुस खेतको दे देता है। ठीक दो ही रूपयेका खाद हासिल होता है या कुछ कम-ज्यादा, अिसमें सन्देह हो सकता है। पर

बिसमें जरा भी सन्देह नहीं कि मल-मूत्रके संचयसे खेतको फायदा तो जरूर होता है।

यह सलाह तो किसीने दी नहीं है कि मैला सीधा ज्योंका त्यों बतौर खादके सभी फसलोंके काममें आ सकता है। तात्पर्य तो यह है कि एक नियत समयके बाद मैला भिट्ठीके साथ सुन्दर खादमें परिणत हो जाता है। भिट्ठीमें गाढ़नेके बाद मैलेको कभी प्रक्रियाओंसे गुजरना पड़ता है, तब कहीं जमीन जुताबी और बुवाबीके अपयुक्त होती है। बिसकी अचूक कसौटी यह है: जहां मैला गाढ़ा गया हो अस जमीनको नियत समयके बाद खोदने पर अगर भिट्ठीसे कोई दुर्गंध न आती हो और असमें मैलेका नाम-निशान तक न हो, तो समझ लेना चाहिये कि अस जमीनमें अब बीज बोया जा सकता है। मैंने पिछले तीस सालसे बिसी प्रकार मैलेके खादका अपयोग हर तरहकी फसलके लिये किया है और बिससे अधिकसे अधिक लाभ हुआ है।

हरिजनसेवक, १७-५-'३५

मिश्र खाद — कम्पोस्ट

मिश्र खादका प्रचार करनेके लिये मीराबहनकी प्रेरणा और अुत्साहसे दिल्लीमें बिस महीनेमें एक अखिल भारतीय मिश्र खाद कान्फरेन्स बुलाई गयी थी। डॉ० राजेन्द्रप्रसाद असके सभापति थे। कान्फरेन्समें तीन दिनके विचार-विनियमके बाद कुछ महत्वके प्रस्ताव पास किये गये। अनुमें यह बताया गया है कि भारतके शहरों और ७ लाख गांवोंमें मिश्र खादके बारेमें कांगड़ा किया जाय। शहरोंमें और देहातोंमें मनुष्यों और जानवरोंके मलको कूड़े-कचरे, चियड़ों और कारखानोंसे निकली हुयी गन्दगीके साथ मिलानेका सुझाव रखा गया है।

अगर ये ठहराव सिर्फ अखबारोंमें छपकर ही न रह जायं और देशके करोड़ों लोग अनु पर अमल करें, तो हिन्दुस्तानकी शकल ही बदल जाय। हमारी असावधानीसे आज जो करोड़ों रुपयेका खाद बरबाद हो रहा है वह बच जाय; जमीन अपजाऊ बने; और जितनी फसल आज पैदा होती है, अससे कभी गुनी ज्यादा फसल पैदा होने लगे। परिणाम यह होगा कि भुखमरी बिलकुल दूर हो जायगी। करोड़ोंका पेट भरनेके लिये अब मिलेगा और असके बाद बाहर भी भेजा जा सकेगा।

जिस मिश्र खादको मैं सुनहरा खाद कहता हूँ। ऐसे खादसे जमीनकी ताकत बनी रहती है; असका शोषण नहीं होता। जब कि कहा जाता है कि रासायनिक खादसे जमीन कमजोर हो जाती है। साथ ही, कूड़े-कचरेका सही अपयोग आसपासके वातावरणको साफ और शुद्ध रखता है, जिससे लोगोंका स्वास्थ्य सुधरता है।

हरिजनसेवक, २८-१२-'४७

४

ग्राम-आरोग्य

डॉक्टरी मददकी सीमा

अखिल भारत ग्रामोद्योग-संघकी प्रवृत्तियां शुरू होते ही डॉक्टरी सहायताने कभी कार्यकर्ताओंके कार्यक्रममें यदि ऐकमात्र नहीं तो अत्यन्त महत्त्वका स्थान जरूर ले लिया है। यिस सहायतामें डॉक्टरी, आयुर्वेदिक, यूनानी या होमियोपैथीकी दवाइयां या सब दवाइयां मिलाकर गांववालोंको मुफ्त बांटनेका काम रहता है। अन दवाइयोंके व्यापारी अपने पास आनेवाले कार्यकर्ताओंको कुछ दवाइयां देकर आभारी बनानेके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अन दवाइयोंकी कीमत अन्हें बहुत थोड़ी चुकानी होती है और यिस तरह दी गई ये दवाइयां, अनकी अपनी रायमें — अगर वे यिस दानके प्रति केवल स्वार्थकी दृष्टिसे ही देखें — बदलेमें अन्हें ज्यादा ग्राहक दे सकती हैं। गरीब बीमार नेकनीयत लेकिन अधूरी जानकारी रखनेवाले या जरूरतसे ज्यादा अुत्साही कार्यकर्ताओंके शिकार हो जाते हैं। अनमें से तीन-चौथाऊ दवाइयां न सिर्फ बेकार होती हैं, बल्कि दृश्य नहीं तो अदृश्य रूपमें बीमारोंको नुकसान भी पहुंचाती हैं। जहां वे बीमारोंको थोड़े समयके लिए राहत भी पहुंचाती हैं, वहां गांवके बाजारमें अनकी जगह लेनेवाली दवाइयां आम तौर पर मिलती हैं।

यिसलिए यिस डॉक्टरी राहतका मैंने वर्णन किया है, असे अ० भा० ग्रामोद्योग-संघ बिलकुल छोड़ रहा है। यिसलिए असकी मुख्य चिन्ता

हमारे गांवोंका पुनर्निर्माण

१६

स्वास्थ्य-सम्बन्धी और आधिक बातोंमें गांववालोंको शिक्षा देनेकी है। लेकिन क्या अब दोनोंका कोई परस्पर सम्बन्ध नहीं है? क्या लाखों लोगोंके लिए स्वास्थ्य ही धन नहीं है? अब तक शरीर, न कि अब की बुद्धि, धन कमानेके मुख्य साधन हैं। अिसलिए ग्रामोद्योग-संघ लोगोंको बीमारीसे बचनेकी शिक्षा देना चाहता है। सब कोई जानते हैं कि देशके लाखों लोगोंको पोषणकी दृष्टिसे बहुत घटिया खुराक मिलती है। और जो कुछ वे खाते हैं असका दुरुपयोग करते हैं। सफाई और स्वच्छताका अन्हें बिल-कुल ज्ञान नहीं है। गांवोंमें सफाईका नाम नहीं है। अिसलिए अगर ये दोष दूर कर दिये जायं और गांवके लोग सफाईके सादे नियमोंको समझ-कर अब का पालन करने लगें, तो अब की ज्यादातर बीमारियां बिना ज्यादा प्रयत्न या खर्चके गायब हो सकती हैं। अिसलिए संघ दवाखाने खोलनेका विचार नहीं करता। अिस बातकी जांच की जा रही है कि गांव दवा-अयोंके रूपमें क्या दे सकते हैं। सतीशबाबूके सस्ते अलाज* असी दिशामें किये गये प्रयत्न हैं। यद्यपि वे अत्यन्त सादे हैं, फिर भी सतीशबाबू अिस बातका प्रयोग कर रहे हैं कि गृणकारिताको कम किये बिना अब अलाजोंकी संख्या बहुत कम कैसे की जा सकती है। वे बाजारमें मिलनेवाली जड़ी-बूटियोंका अध्ययन कर रहे हैं, अब की परीक्षा कर रहे हैं और असी तरहकी अंग्रेजी दवाओंसे अब की तुलना कर रहे हैं। हेतु यही है कि भोले-भाले ग्रामवासियोंको रहस्यमयी गोलियों और दवाओंके डरसे दूर रखा जाय।

हरिजन, ५-४-'३५

डॉक्टरी मदद

अेक ग्रामसेवक लिखते हैं :

“सौ-अेक घरोंकी बस्तीके अेक छोटेसे गांवमें मैं काम कर रहा हूं। आप कहते हैं कि दवा-दारू देनेके पहले ग्रामसेवकोंको

* 'घर और गांवका डॉक्टर' — लेखक : सतीशचन्द्र दासगुप्त, खादी प्रतिष्ठान, १५ - कॉलेज स्क्वेयर, कलकत्ता। पृष्ठ २४ + १२८७; कीमत रु० १०.००।

स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिये। लेकिन जब कोई ज्वर-पीड़ित ग्रामवासी मदद मांगने आये, तब ग्रामसेवकका क्या कर्तव्य है? अब तक तो मैं अन्हें गांवमें मिलनेवाली देशी जड़ी-बूटियोंको ही काममें लानेकी सलाह देता आया हूँ।"

जहां ज्वर, अजीर्ण या अिसी प्रकारके सामान्य रोगोंके रोगी ग्राम-सेवकोंकी मदद लेने आयें, वहां वे अनकी जो मदद कर सकें जरूर करें। रोगका निदान-भर अच्छी तरह मालूम हो जाय, फिर गांवमें अुस रोगकी सस्तीसे सस्ती और अच्छीसे अच्छी दवा तो मिल ही जायगी। दवाबियां कोओी अपने पास रखना ही चाहे तो अंडीका तेल, कुनैन और अुबला हुआ गरम पानी, ये सबसे बढ़िया दवाबियां हैं। अंडीका तेल सभी जगह मिल सकता है। सनायकी पत्तीसे भी वही काम निकल सकता है। कुनैनका मैं कम ही अुपयोग करता हूँ। प्रत्येक प्रकारके ज्वरमें कुनैन देनेकी जरूरत नहीं— और न प्रत्येक ज्वर कुनैनसे काबूमें ही आता है। अन्न और दूधको छोड़ देना और फलोंका रस अथवा मूनक्केका अुबला हुआ पानी लेना और नीबूके ताजे रस या अिमलीके साथ गुड़का अुबला हुआ पानी लेना भी अर्ध-अुपवास है। अुबला हुआ पानी तो रामबाण औषध है। आंतोंको वह खलमला डालता है और पसीना लाता है, जिससे बुखारका जोर कम हो जाता है। यह अेक अंसी रोगाणु-नाशक औषध है, जिसमें किसी भी तरहका जोखम नहीं है। और सस्ती अितनी कि अेक कौड़ी भी खर्च नहीं होती। हर हालतमें जब भी पानी पीना हो अुसे कुछ सिंराकर पीना चाहिये; अुतना ही गरम पानी पीना चाहिये जितना कि अच्छी तरह सहन हो सके। अुबालनेका मतलब महज गरम करना नहीं है। पानीमें जब बुलबुले अुठने लगें और अनसे भाप निकलने लगे, तभी अुसे अुबला हुआ समझना चाहिये।

जहां ग्रामसेवक खुद किसी निश्चय पर न पहुंच सकें, वहां अन्हें स्थानीय वैद्योंका अवश्य पूरा-पूरा सहयोग लेना चाहिये। जहां वैद्य न हो अथवा भरोसेका वैद्य न हो और ग्रामसेवक पड़ोसके किसी परमार्थी डॉक्टरको जानते हों, वहां अन्हें जरूर अुसकी मदद लेनी चाहिये।

पर अन्हें यह मालूम होना चाहिये कि रोगके अपचारमें भी स्वच्छताका स्थान सबसे महत्वका है। अन्हें यह याद रखना चाहिये कि सर्वश्रेष्ठ वैद्य तो प्रकृति ही है। अिस बातका वे विश्वास रखें कि मनुष्य जिसे बिगाड़ देता है, प्रकृति अुसे संवारती रहती है। लाचार तो वह अुस समय मालूम पड़ती है, जब मनुष्य लगातार अुसकी अवहेलना किया करता है। तब जो असाध्य हो जाता है, अुसे नष्ट कर डालनेके लिये वह अपने अंतिम और अटल दूत 'मृत्यु' को भेजती है, और अुस देहधारीको नया चोला पहना देती है। अिसलिये स्वच्छता और स्वास्थ्यरक्षाका कार्य करनेवाले मनुष्य प्रत्येक व्यक्तिके सर्वश्रेष्ठ सहायक या अुत्तम वैद्य हैं, भले अुसे अिसका पता हो या न हो।

हरिजनसेवक, १७-५-'३५

दवा-दारूकी सहायता

भिन्न-भिन्न संस्थाओंकी ओरसे किये जानेवाले ग्रामकार्य या समाज-सेवाके कामकी जो रिपोर्ट मेरे पास आती हैं, मैं देखता हूं कि अनमें से बहुतोंमें दवा-दारूकी सहायताके कामको बहुत महत्व दिया जाता है। यह सहायता बीमारोंको दवा बांटनेके रूपमें की जाती है— और बीमारोंका तो कहना ही क्या? अन्होंने किसीको दवा बांटनेकी बात कहते सुना नहीं कि अुसे आकर घेर लिया। अिस तरह जो व्यक्ति दवा बांटता है, अुसे अिसके लिये कोओी खास अन्यास करनेका कष्ट नहीं अठाना पड़ता। रोग और अुसके लक्षणोंका विशेष या किसी तरहका ज्ञान रखनेकी अुसे जरूरत नहीं होती। यहां तक कि दवायें भी अक्सर दयालु दवा-फरोशोंसे मुफ्त ही मिल जाती हैं। ऐसे दानियोंसे अिसके लिये चन्दा भी हमेशा मिल ही जाता है, जो चन्दा देते समय ज्यादा सोच-विचार नहीं करते। बस अिसी खयालसे अन्हें आत्म-संतोष हो जाता है कि हम जो दान दे रहे हैं अुससे दीन-दुखियोंकी मदद होगी।

सेवाके जितने भी तरीके हैं अनमें यह सामाजिक सेवा मुझे सबसे ज्यादा काहिल और अक्सर किसी हृदतक हानिकारी भी मालूम होती है। अिसकी बुराओंका आरम्भ तो तभी हो जाता है, जब कि मरीज यह समझने लगता

है कि बस दवा गटक जानेके सिवा मुझे और कुछ नहीं करना है। दवा पाकर वह आगेके लिये सावधान बने, औसा नहीं होता। अलबत्ता, कभी-कभी वह पहलेसे भी गया-जीता बन जाता है — क्योंकि अस खायालसे वह तत्संबंधी दवाव या संयम रखनेकी फिल नहीं करता कि अनियमितता और लापर-बाहीसे कुछ गड़बड़ी भी हुई तो क्या, सेंत-मेंत या बराय नाम पैसोंकी कुछ दवा लेकर खा लूंगा और सब ठीक-ठाक हो जायगा। फिर अस बातसे कि असे औसी (दवा-दारूकी) मदद बिना कुछ सर्व किये मुफ्त ही मिल जाती है, असके अुस आत्म-सम्मानका भी हास होता है, जो बिना कोओ काम किये खैरातमें कुछ लेना गवारा नहीं कर सकता।

लेकिन दवा-दारूकी सहायताका एक और भी तरीका है, और निस्सं-देह वह हमारे लिये एक बड़ी नियामत है। जो लोग रोग और असे पैदा करनेवाले कारणोंको जानते हैं, वही औसी सहायता कर सकते हैं। वे बीमारोंको खाली दवा ही नहीं देंगे, बल्कि यह भी बतायेंगे कि अन्हें क्या खास बीमारी है और क्या करनेसे आगे वे अससे बचे रह सकते हैं। औसे सेवक रात-दिनकी कोओ परवाह नहीं करेंगे और हर समय सहायताके लिये तैयार रहेंगे। औसी सहायतासे रोग-निवारण ही नहीं होगा, बल्कि स्वास्थ्य-विज्ञानकी शिक्षा भी लोगोंको मिलेगी, जिससे वे यह जान सकेंगे कि स्वास्थ्य और सफाओंके नियमोंका पालन करते हुओ वे किस प्रकार तन्दुरुस्त रह सकते हैं। लेकिन औसी सेवा बहुत कम देखनेमें आती है। अधिकांश रिपोर्टोंमें तो दवा-दारूकी सहायताका अुल्लेख बतौर अिश्तहारके ही होता है, ताकि लोग असे पढ़कर अनुके दूसरे औसे कामकाजके लिये चन्दा देनेको प्रेरित हों, जिनमें शायद दवा-दारूकी सहायतासे भी कम ज्ञानकी आवश्यकता होती है। असलिये समाज-सेवाके कार्यमें लगे हुओ सब भाग्योंसे, चाहे वे शहरोंमें काम करते हों या गांवोंमें, मेरी प्रार्थना है कि दवा-दारूकी अपनी अस हलचलको वे अपने सेवाकार्यका सबसे कम महत्वपूर्ण अंग मानें। बेहतर तो यह होगा कि अपनी रिपोर्टोंमें औसे सहायता-कार्यका वे कोओ अुल्लेख ही न करें। असके बजाय वे औसे अुपायोंका सहारा लें, जिनसे अस स्थानमें बीमारीमें रुकावट हो, तो अलबत्ता वे अच्छा काम करेंगे। दवा-दारूका सामान तो जहां तक हो कम करना चाहिये। जो दवायें अनुके

गांवमें ही मिल सकें अनुके अुपयोगकी जानकारी अन्हें हासिल करनी चाहिये और जहां तक हो अुन्हींका अस्तेमाल करना चाहिये। अंसा करने पर अन्हें पता लगेगा, जैसा कि सिन्दी गांवमें हमें मालूम होता जा रहा है, कि वहुतसे रोगोंमें तो गरम पानी, धूप, साफ नमक और सोडाके साथ कभी-कभी अण्डीके तेल व कुनैनका प्रयोग करनेसे ही काम चल जाता है। जो भी ज्यादा बीमार हों अन सबको शहरके बड़े अस्पतालमें भेज देनेका हमने नियम बना लिया है। नतीजा यह हुआ है कि मरीज लोग मीराबहनके पास दौड़े चले आते हैं और अनसे स्वास्थ्य, सफाई व रोग-निवारणके अुपाय मालूम करते हैं। दबाके बजाय रोग-निवारणका अुपाय ग्रहण करनेमें अन्हें कोअी आपत्ति हो, अंसा मालूम नहीं पड़ता।

हरिजनसेवक, १६-११-'३५

बीमारियोंका कुदरती अिलाज

दूसरे दिन सुबहसे बीमार आने लगे। कोअी ३० होंगे। गांधीजीने अनमें से पांच या छहकी जांच की और अन सबकी बीमारीके प्रकारको देखकर थोड़े हेरफेरके साथ सबको अेकसे ही अिलाज सुझाये। मसलन्, रामनामका जप, सूर्यस्नान, बदनको जोरसे रगड़ना या घिसना, कटिस्नान, दूध, छाछ, फल, फलोंका रस और पीनेके लिअे काफी साफ और ताजा पानी। गांधीजीने कहा : “कुदरती अिलाजके लिअे बहुत बड़ी पंडिताओंकी या अूचे दरजेकी युनिवर्सिटीकी डिग्रियां हासिल करनेकी जरूरत नहीं पड़ती। जो चीज हमें सब तक पहुंचानी है, सादगी अुसकी खास निशानी होनी चाहिये। जो चीज करोड़ोंके लाभके लिअे है, अुसके लिअे बड़े-बड़े पोथोंको अुलटकर प्राप्त किये गये ज्ञानकी जरूरत नहीं। अंसा पांडित्य तो बहुत थोड़े लोग पा सकतें हैं, अिसलिअे वह अमीरोंके ही कामका होता है। लेकिन हिन्दुस्तान तो अंसे ७ लाख गांवोंमें बसा है, जिन्हें कोअी जानता तक नहीं, जो बहुत छोटे-छोटे हैं और दूर-दूर बसे हुअे हैं। अनमें से कभी तो अंसे हैं जिनकी आबादी ५००-६०० से ज्यादा नहीं; और कुछ १०० से भी कम आबादीवाले होते हैं। मेरा बस चले तो मैं अंसे ही किसी गांवमें जाकर रहूँ। वह सच्चा हिन्दुस्तान है, मेरा हिन्दुस्तान है;

बुसीके लिये मैं जीता हूँ। अनि गरीबोंके बीच आप बड़ी-बड़ी डिप्रियोंवाले डॉक्टरों और अस्पतालोंकी कीमती चीजोंके बड़े काफिलेको किस तरह ले जायगे? अन्हें तो सादे कुदरती अिलाज और रामनामका ही आधार है।"

गांववालोंको चेतावनी देते हुअे गांधीजीने कहा: "मैं सख्त काम लेनेवाला आदमी हूँ। आप लोगोंके साथ रहूँगा, तो न मैं अपने साथ रियायत करूँगा और न आप लोगोंके साथ। मैं आपके घरोंमें आआँगा, आपके मोहल्लों और रास्तोंकी जांच करूँगा, आपकी गटरें देखूँगा और आप लोगोंके पाखानोंको भी देखूँगा। अगर अनि में कहीं भी धूल या गन्दगी रही, तो मैं अुसे बर्दाश्त नहीं करूँगा।"

हरिजनसेवक, ७-४-'४६

मेरी रायमें जिस जगह शरीर-सफाई, घर-सफाई और ग्राम-सफाई हो तथा युक्ताहार और योग्य व्यायाम हो, वहां कमसे कम बीमारी होती है। और, अगर चित्तशुद्धि भी हो, तो कहा जा सकता है कि बीमारी असंभव हो जाती है। रामनामके बिना चित्त-शुद्धि नहीं हो सकती। अगर देहातवाले अितनी बात समझ जायं, तो अन्हें वैद्य, हकीम या डॉक्टरकी जरूरत न रह जाय।

कुदरती अुपचारके गर्भमें यह बात रही है कि मानव-जीवनकी आदर्श रचनामें देहातकी या शहरकी आदर्श रचना आ ही जाती है। और अुसका मध्यबिन्दु तो ओश्वर ही हो सकता है।

हरिजनसेवक, २६-५-'४६

कुदरती अिलाजके गर्भमें यह बात रही है कि अुसमें कमसे कम खर्च और ज्यादासे ज्यादा सादगी होनी चाहिये। कुदरती अुपचारका आदर्श ही यह है कि जहां तक संभव हो, अुसके साधन अँसे होने चाहिये कि अुपचार देहातमें ही हो सके। जो साधन नहीं हैं वे वहीं पैदा किये जाने चाहिये। कुदरती अुपचारमें जीवन-परिवर्तनकी बात आती है। यह कोओी वैद्यकी दी हुओी पुड़िया लेनेकी बात नहीं है, और न अस्पताल जाकर मुफ्त दवा लेनेकी या वहां रहनेकी बात है। जो मुफ्त दवा लेता है वह भिक्षुक बनता है। जो कुदरती अुपचार करता है,

वह कभी भिषुक नहीं बनता। वह अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाता है और अच्छा होनेका अुपाय खुद ही कर लेता है। वह अपने शरीरमें से जहर निकाल कर ऐसा प्रयत्न करता है, जिससे दुबारा बीमार न पड़ सके। और कुदरती अिलाजमें मध्यबिन्दु तो रामनाम ही है न?

पथ्य खुराक — युक्ताहार — अिस अुपचारका अनिवार्य अंग है। आज हमारे देहात हमारी ही तरह कंगाल हैं। देहातमें साग-सब्जी, फल, दूध वगैरा पैदा करना कुदरती अिलाजका खास अंग है। अिसमें जो समय खर्च होता है, वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। बल्कि अुससे सारे देहातियोंको और आखिरमें सारे हिन्दुस्तानको लाभ होता है।

हरिजनसेवक, २-६-'४६

देहातियोंके लिये मेरी कल्पनाके नैसर्गिक अुपचारका भतलब यह है कि वह देहातमें जितने देहाती साधन मिल सकें, अुनसे बिजली और बरफकी मददके बिना जितना किया जा सके अुतना ही किया जाय। यह काम तो मेरे जैसेका ही हो सकता है, जो देहाती बन गया है और जिसकी देह शहरोंमें रहते हुये भी जी देहातमें ही रहता है।

हरिजनसेवक, ११-८-'४६

अेक प्रश्नके अुत्तरमें गांधीजीने कहा : “मेरा कुदरती अिलाज तो सिर्फ गांववालों और गांवोंके लिये ही है। अिसलिये अुसमें खुद-बीन, अेक्स-रे वगैराकी कोओ जगह नहीं है। और न ही कुदरती अिलाजमें कुनैन, अेमिटीन, पेनिसिलीन वगैरा दवाओंकी गुजाइश है। अुसमें अपनी सफाई, घरकी सफाई, गांवकी सफाई और तन्दुरुस्तीकी हिफाजतका पहला और पूरा-पूरा स्थान है। अिसकी तहमें ख्याल यह है कि अगर अितना किया जाय या हो सके, तो कोओ बीमारी ही न हो। और बीमारी आ जाय तो अुसे मिटानेके लिये कुदरतके सभी कानूनों पर अमल करनेके साथ-साथ रामनाम ही असल अिलाज है। यह अिलाज सार्वजनिक या आम नहीं हो सकता। जब तक खुद अिलाज करनेवालेमें रामनामकी सिद्धि न आ जाय, तब तक रामनाम-रूपी अिलाजको अेकदम आम नहीं बनाया जा सकता। लेकिन पंच-

महाभूतोंमें से यानी पृथ्वी, पानी, आकाश, तेज और हवामें से जितनी शक्ति ली जा सके अुतनी लेकर रोग मिटानेकी यह अेक कोशिश है। और मेरे विचारसे कुदरती अिलाज यही खतम हो जाता है। अिसलिए आजकल अुरुलीकांचनमें जो प्रयोग चल रहा है, वह गांववालोंको तस्दुरस्तीकी हिफाजत करनेकी कला सिखाने और बीमारोंकी बीमारीको पंचमहाभूतोंकी मददसे मिटानेका प्रयोग है। जरूरत मालूम होने पर अुरुलीमें मिलनेवाली जड़ी-बूटीका अपयोग किया जा सकता है, और पच्च-परहेज तो कुदरती अिलाजका जरूरी हिस्सा है ही।

हरिजनसेवक, १८-८-'४६

आरोग्यके नियम

श्री ब्रजलाल नेहरू मेरे जैसे ही खब्ती हैं। अुन्होंने अखबारोंमें अेक पत्र लिखा है, जिसमें आरोग्य-मंत्री राजकुमारी अमृतकुंवरके अिस कथनकी तारीफ की है कि हमारी अनेक बीमारियां हमारे अज्ञान और लापरवाहीसे पैदा होती हैं। अुन्होंने यह सूचना की है कि आज तक आरोग्य-विभागका ध्यान अस्पताल बगेरा खोलने पर ही रहा है। अुसके बदले राजकुमारीने जिस अज्ञानका जिक्र किया है, अुसे दूर करनेकी तरफ अिस विभागको ध्यान देना चाहिये। अुन्होंने यह भी सुझाया है कि अिसके लिए अेक नया विभाग खोलना चाहिये। परदेशी हुकूमतकी यह अेक बुरी आदत थी कि जो सुधार करना हो, अुसके लिए नया विभाग और नया खर्च खड़ा किया जाय। लेकिन हम क्यों अिस बुरी आदतकी नकल करें? बीमारियोंका अिलाज करनेके लिए अस्पताल भले रहें, लेकिन अन पर अितना वजन क्यों दिया जाय? घर बैठे स्वास्थ्य कैसे संभाला जाय, अिसकी तालीम देना आरोग्य-विभागका पहला काम होना चाहिये। अिसलिए आरोग्य-मंत्रीको यह समझना चाहिये कि अनुके नीचे जो डॉक्टर और नौकर काम करते हैं, अनुका पहला फर्ज है जनताके आरोग्यकी रक्षा और अुसकी संभाल करना।

श्री ब्रजलाल नेहरूकी अेक सूचना ध्यान देने लायक है। वे लिखते हैं कि बीमारियोंके अिलाजके बारेमें ढेरों किताबें देखनेमें आती

है, लेकिन कुदरती अलाज करनेवालोंके सिवा डिग्रीधारी डॉक्टरोंने आरोग्यके नियमोंके बारेमें कोअभी किताब लिखी हो, ऐसा कभी सुना नहीं गया। असलिअे श्री नेहरू यह सूचना करते हैं कि आरोग्य-मंत्री मशहूर डॉक्टरोंसे ऐसी किताबें लिखवायें। ये किताबें लोगोंके समझने लायक भाषामें लिखी जायं, तो जहर अपयोगी साबित होंगी। शर्त यही है कि ऐसी किताबोंमें तरह-तरहके टीके लगानेकी बात नहीं होनी चाहिये। आरोग्यके नियम ऐसे होने चाहिये, जिनका पालन डॉक्टर-बैद्योंकी मददके बिना घर बैठे हो सके। ऐसा न हो तो कुओंसे निकलकर खाओमें गिरने जैसी बात हो सकती है।

बेशक, आरोग्यके नियमोंकी पढ़ाओ स्कूलों और कॉलेजोंमें अनिवार्य होनी चाहिये।

हरिजनसेवक, २८-१२-'४७

५

ग्राम-आहार

हरी पत्तियां

आप खुराक या विटामिनोंके बारेमें लिखी हुओ किसी भी आधुनिक पुस्तको अठाकर देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि असमें हर भोजनके साथ थोड़ी मात्रामें बिना पकाओ हुओ हरी पत्तियां या भाजियां खानेकी जोरदार सिफारिश की गयी है। बेशक, अनु पर जमी हुओ धूलको पूरी तरह साफ करनेके लिअे अन्हें हमेशा ५-६ बार पानीसे अच्छी तरह धोना चाहिये। सिर्फ तोड़नेकी थोड़ी तकलीफ अठानेसे ही ये पत्तियां हर गांवमें मिल सकती हैं। फिर भी अन्हें सिर्फ शहरोंकी ही खानेकी चीज समझा जाता है। हिन्दु-स्तानके बहुतसे हिस्सोंमें गांववाले दाल और चावल या रोटी और बहुतसी मिर्च पर गुजर करते हैं, जो शरीरको नुकसान करती है। चूंकि गांवोंका आर्थिक पुनर्गठन खुराकके सुधारसे शुरू किया गया है,

अिसलिए सादीसे सादी और सस्तीसे सस्ती खुराकका पता लगाना चाहिये, जो गांवबालोंको अनुकी खोओ हुओ तन्दुस्ती किरसे पानेमें मदद करे। गांवबालोंके हर भोजनमें अगर हरी पत्तियां जुड़ जायं, तो वे अंसी बहुतसी बीमारियोंसे बच सकेंगे, जिनके आज वे शिकार बने हुओ हैं। गांवबालोंके भोजनमें विटामिनोंकी कमी है। अनुमें से बहुतसे विटामिन हरी पत्तियोंसे मिल सकते हैं। एक प्रसिद्ध अंग्रेज डॉक्टरने मुझे दिल्लीमें कहा था कि हरी पत्ता-भाजियोंका ठीक-ठीक अपयोग खुराक-संबंधी परम्परागत विचारोंमें कान्ति पैदा कर देगा और आज दूधसे जो पोषण मिलता है, असका बहुतसा हिस्सा हरी पत्ता-भाजियोंसे मिल सकेगा। बेशक, असका मतलब यह है कि हिन्दुस्तानके जंगली धास-चारेमें छिपी हुओ जो बेशुमार हरी पत्तियां मिलती हैं, अनुके पोषक तत्त्वोंकी व्यारेवार जांच की जाय और अनुके बारेमें कड़ी मेहनतसे शोध की जाय।

हरिजन, १५-२-'३५

ग्रामसेवकोंके साथ चर्चा

चूंकि आजके भोजनके व्यंजनोंकी सूची मैंने कुछ घ्यानके साथ बनाओ है और खासकर ग्रामसेवकोंकी आवश्यकताओंको दृष्टिमें रखकर, अिसलिए असके संबंधमें कुछ विस्तारके साथ मुझे कहना ही होगा। आप लोगोंको अंसा भोजन करानेका विचार था, जो पोषक हो और जिसे एक औसत दरजेका ग्रामवासी, हमने आठ घंटेके कामकी कमसे कम जो मजदूरी नियत की है यानी तीन आने, असके अन्दर आसानीसे प्राप्त कर सके।

आज हम लोग कुल १८ भोजन करनेवाले थे और हमारे भोजन पर कुल खर्च ₹० ९-१४-३ आया है। अिसका यह अर्थ हुआ कि हरओंके भोजन पर ६ पैसेसे कुछ ही अधिक खर्च हुआ है। तफसील अिस प्रकार है:

	रु० आ० पा०
१८ सेर गेहूंका आटा	१-८-०
६ „ टमाटर	०-११-३
२ „ गुड़	०-६-३

हमारे गांवोंका पुनर्निर्माण

२६

१२	" कुम्हड़ा	०-७-६
३	" अलसीका तेल	१-२-०
१२½	" दूध	३-१३-०
२	" सोयाबीन	०-६-०
२	" नारियलकी गिरी	०-४-०
१६	कैथ	०-२-०
	बिमली और नमक	०-२-३
	ओंधन	१-०-०

कुल ८० ९-१४-३

विनोबाने मुझे यह सलाह दी थी कि मुझे आप लोगोंके लिए रोटी बनानेकी इंजटर्स में नहीं पड़ना चाहिये, बल्कि गेहूंका दलिया (जो हम लोग सबेरे खाते हैं) दिया जाय; अस तरह रोटी बनानेकी इंजटर्स से हम बच जायेंगे। पर मैंने अपने मनमें कहा कि नहीं, आप नौजवानोंको, जिन्हें श्रीश्वरने अच्छे मजबूत दांत दिये हैं, अच्छी सिकी हुआ कुड़कुड़ी भाकरी जरूर देनी चाहिये। भाकरी कोओ भी बना सकता है। अेक जगहसे दूसरी जगह अुसे हम आसानीसे अपने साथ ले जा सकते हैं और वह दो दिन तक रखी जा सकती है। गूंधनेके पहले आटेमें अलसीके तेलका मोन दे दिया गया था, जिससे भाकरी मुलायम और मुरमुरी बने। कुछ पत्तियां और कच्ची तरकारी तो हमें खानी ही चाहिये, असलिए हमने टमाटर और दो चटनियां भोजनमें रखी थीं। अेक चटनी तो कैथकी थी, जो अधिर बहुतायतसे मिलता है और दूसरी हमारे बगीचेमें अगी हुआ पत्तियोंकी बनाओ गबी थी। कैथमें रेचक और बंधक दोनों ही गुण हैं और थोड़ा सा गुड़ ढाल देनेसे अुसकी चटनी अच्छी स्वादिष्ठ हो जाती है। दूसरी चटनीमें थोड़ी नारियलकी गिरी, अमली और नमक था, ताकि पत्तियोंमें अेक अच्छा जायका आ जाय। हरी पत्तियां हमें किसी न किसी रूपमें जरूर ही खानी चाहिये, जिससे कि हमें अपने भोजनमें अुचित मात्रामें विटामिन मिलते रहें। हमने जो तरकारी चुनी थी, वह सस्तीसे सस्ती है और हमारे गांवोंमें हर जगह होती है। चटनीमें

मैंने बिमली भी डलवाई थी। बिमलीके विश्व लोगोंमें जो अेक बुरी घारणा है, अुसके होते हुवे भी यह देखनेमें आया है कि वह अेक अच्छी रेचक और रक्त-सोषक वस्तु है। हमारे अेक साथीको यहाँ मलेरिया हो गया था। अन्हें मैंने बिमलीके पानीकी कभी मात्रामें दी थी, जिनका अन पर अच्छा असर पड़ा था। कब्जमें भी मैंने बिमलीको अनेक बार आजमाया है।

आहारमें दूधका होना जरूरी है। आपके भोजनमें पाव-पाव दूध था। पर मैंने आपको धी नहीं दिया। तो भी मैं आशा करता हूँ कि धी आपको अेक तरहसे मिल गया, क्योंकि मैंने आपको सोयाबीन और तेल दिया है। जहाँ अच्छे शुद्ध धीका मिलना संदेहास्पद है, वहाँ मिलावटी धी स्थानेसे क्या लाभ? लेकिन दूध या छाछका लेना जरूरी है, चाहे वह कितनी ही कम मात्रामें मिले। धीको आप बिना किसी डरके अपने आहारमें से निकाल सकते हैं।

दो मुख्य चीजें जो आपको करनी हैं अनमें से अेक तो यह है कि ग्रामवासियोंको आप लोग अेक अच्छे युक्ताहारका निश्चय करा दें, और अुसी प्रकारके आहारसे आप स्वयं भी संतुष्ट रहें। कुछ लोग अैसे हो सकते हैं जिनके आहारमें बहुतसी निकम्मी चीजें रहती हैं, और अैसे तो बहुत हैं जिनके आहारमें विटामिनोंकी बड़ी भारी कमी रहती है। अन्हें आपको अेक अच्छा अुपयुक्त आहार बतलाना है। आप लोग खुद भी गोपालन सीखें और ग्रामवासियोंको भी अुसका चसका लगायें। यह हमारे लिये अेक शरमकी बात समझी जानी चाहिये कि हमारे अनेक गांवोंमें आज दूध नहीं मिल रहा है। दूसरा मुख्य कर्तव्य है सफाओंका। अिसमें संदेह नहीं कि यह बहुत ही कठिन काम है। पर अगर आपको यिन चीजोंमें सफलता मिल गओ अर्थात् ग्रामवासियोंमें आप अेक अच्छा अुपयुक्त आहार दाखिल करा दें और गांवोंको अच्छा साफ-सुथरा बना दें, तो अिसका अर्थ यह हुआ कि मानव-शरीरको आपने औश्वरका निवास-मंदिर होने लायक और ठीक तरहसे काम करनेका अेक सुन्दर साधन बना दिया।

हरिजनसेवक, २-११-'३५

ग्रामशिक्षा

अनुकूल से अनुकूल भावना होते हुआ भी अंग्रेज अध्यापक अंग्रेज और भारतीय जरूरतोंके बीचके भेदको भलीभांति नहीं समझ सके हैं, न समझ सकेंगे। हमारे देशकी आबोहवामें विलायती ढंगकी अमारतें आवश्यक नहीं हैं; न प्रधानतया ग्रामीण वातावरणमें पले हुआ हमारे बच्चोंको अस शिक्षाकी ही जरूरत है, जो खासकर शहरी वायुमंडलमें पले हुआ अंग्रेज बच्चोंके लिए आवश्यक है।

जब हमारे बालक शालाओंमें भरती किये जाते हैं, तब अन्हें पट्टी, वेन्सिल या पुस्तकोंकी जरूरत न होनी चाहिये; बल्कि अनुके हाथोंमें सादे ग्रामीण औजार होने चाहिये, जिन्हें वे स्वतंत्रतापूर्वक और लाभ अुठाकर अिस्तेमाल कर सकें। अिसका मतलब हुआ शिक्षा-प्रणालीमें क्रान्ति। मगर सिवा क्रान्तिके दूसरा कोओ अुपाय ही नहीं है, जिससे शालामें जाने योग्य हरअेक बालकके लिए शिक्षा सुलभ हो जाय।

यह अेक मानी हुओ बात है कि वर्तमान सरकारी शालाओंमें पढ़ने, लिखने और गणित (अंग्रेजीके तीन 'आर': रीडिंग, राइटिंग, और अरिथ्मेटिक) की जो शिक्षा दी जाती है, बालक-बालिकायें भावी जीवनमें अससे बहुत कम लाभ अुठाते हैं। ज्यादातर बातें तो साल भरके भीतर ही भूल जाती हैं, फिर भले ही अुपयोगमें न आनेके कारण अैसा होता हो। अिन बातोंकी ग्राम्य वातावरणमें कोओ जरूरत भी नहीं होती।

लेकिन अगर बालकोंको अनुके आसपासके वातावरणके अनुकूल किसी धंधेकी शिक्षा दी जाय, तो न केवल अससे अन पर होनेवाले खर्चकी पूर्ति होगी, बल्कि वे भावी जीवनमें अिस शिक्षासे लाभ भी अुठा सकेंगे। मैं अेक अैसी संपूर्ण स्वावलम्बी शालाकी कल्पना कर सकता हूं, जिसमें मसलन्, कताओ या बुनाओका काम सिखाया जाता हो; और साथ ही जिसके पास कपासका खेत भी हो।

जिस योजनाका अल्लेख में कर रहा है, असमें साहित्यकी शिक्षाका बहिष्कार नहीं किया गया है। प्राथमिक शिक्षाका कोआई भी पाठ्यक्रम तब तक संपूर्ण नहीं माना जायगा, जब तक असमें पढ़ने-लिखने और गणितको स्थान न होगा। हाँ, अतना जरूर है कि पढ़ने-लिखनेका समय आखिरी वक्त — आखिरी सालमें आयेगा, जब कि बालक और बालिकायें भलीभांति वर्णमाला सीखनेके लिये तैयार-सी रहेंगी। हाथसे लिखना एक कला है। चित्रकारके चित्रकी भांति हरअेक अक्षर सही-सही लिखा जाना चाहिये। यह तभी हो सकता है जब कि बालक-बालिकाओंको प्राथमिक चित्रकलाका ज्ञान मिला हो। अस तरह औद्योगिक शिक्षाके साथ-साथ, जिसमें अनका पाठशालाका अधिकतर समय व्यतीत होगा, वे प्राथमिक अितिहास, भूगोल और गणितकी जबानी तालीम भी पाते जायंगे। वे सदाचार सीखेंगे, रात-दिनकी व्यावहारिक सफाओं, स्वच्छता और आरोग्यका पदार्थ-पाठ पढ़ेंगे, जो कुछ सीखेंगे असे अपने साथ अपने घरोंमें ले जायंगे और चुपचाप एक कान्तिकारीका काम करने लगेंगे।

हिन्दी नवजीवन, ११-७-'२९

७

ग्रामोद्योग और खेती

कपड़ा

बेशक, हरअेक गांवके लिये आदर्श यही है कि वह खुद अपने लिये काते और बुने, जैसे कि आज अधिकतर गांव अपनी जरूरतका अनाज खुद पैदा कर लेते हैं। हर गांवके लिये अपनी जरूरतका पूरा अनाज खुद पैदा करनेके बनिस्बत अपने लिये कातना और बुनना ज्यादा आसान है। हर गांव काफी कपास अिकट्ठी कर सकता है और बिना किसी कठिनाओंके कात और बुन सकता है।

यंग अंडिया, ११-८-'२१

हमारे गांवोंका पुनर्निर्माण

१०

चरखा हमारे लिये सभूते सामूहिक जीवनकी बुनियाद है। असके बिना किसी भी स्थायी सावंजनिक जीवनका निर्माण करना असंभव है। यही एक ऐसी प्रत्यक्ष दिलाती देनेवाली चीज़ है, जो देशके नीचेसे नीचे आदमीके साथ हमारा अटूट संबंध कायम करती है और अनमें आशाका संचार करती है। असके साथ हम कठी चीजें जोह अनमें आशाका संचार करती हैं या हमें जोड़नी चाहिये। लेकिन हम पहले असे अपनानेका सकते हैं या हमें जोड़नी चाहिये। असके साथ हम कठी चीजें जोह अनमें आशाका संचार करती हैं, जिस तरह एक होशियार राज अिमारत शुरू दृढ़ निश्चय कर लें, जिस तरह एक होशियार राज अिमारत शुरू करनेसे पहले अपनी नींवकी मजबूतीका निश्चय कर लेता है। और करनेसे पहले अपनी नींवकी मजबूती ही गहरी और मजबूत होगी। अिमारत जितनी बड़ी होगी, नींव अतनी ही गहरी और मजबूत होगी। असलिये अगर असका नतीजा देखना हो, तो चरखेको भारतमें सब अगह फैलाना होगा।

यंग अंडिया, ४-९-'२४

मजदूरी पानेके लिये की जानेवाली कताओं सिर्फ़ अन्हीं गांवोंमें दाखिल की जाय, जहांके लोग असलिये हमेशा अभाव-ग्रस्त रहते हैं कि अन्हें खेतीसे काफी अुपज नहीं होती और अनके पास फालतू बक्त रहता है।

अपनी जरूरतके लिये की जानेवाली कताओं हर गांवमें दाखिल की जाय, भले वहां गरीबी हो या न हो। ऐसे मामलोंमें लोगोंको दी जानेवाली मददका रूप यह हो सकता है— अन्हें ओटाओ, धुनाओ या कताओं सिखाओ जाय, लागत दामों पर कपास और औजार दिये जायं तथा मामूली दरों पर अनका सूत अनके लिये बुनवा दिया जाय।

यंग अंडिया, २-५-'२९

चरखा

संक्षिप्त

चरखा मेरे लिये तो जन-साधारणकी आशाओंका प्रतिनिधित्व करता है। जन-साधारणकी स्वतंत्रता, जैसी भी वह थी, चरखेके खातमेके साथ ही खत्म हो गयी। चरखा ग्रामवासियोंके लिये खेतीका पूरक घंधा था और खेतीकी असके प्रतिष्ठा थी। विधवाओंका यह बन्धु और सहारा था। ग्रामवासियोंको यह काहिलीसे भी बचाता था, क्योंकि

जिसमें कपाससे हडी व बिनीलोंको अलग करना, हडीकी घुनाई, कताई, मंड़ाई, रंगाई आदि अगले-पिछले सभी अद्योग शामिल थे। गांवके बढ़ाई और लोहार भी जिसके काममें लगे रहते थे। चरखेसे सात लाख गांव आत्म-निर्भर बने हुए थे। चरखेके जानेसे घानीसे तेल निकालने जैसे अन्य ग्रामीण अद्योग भी नष्ट हो गये। अब अद्योगोंका स्थान किन्हीं नये अद्योगोंने नहीं लिया। अिसलिए गांववाले अपने विविध धंधोंसे वंचित हो गये और अपनी अत्यादक बुद्धि तथा जो थोड़ी-बहुत सम्पत्ति अन धंधोंसे मिल सकती थी अुसको भी खो दैठे।

अिसलिए गांववालोंको अगर आत्म-निर्भर बनना है, तो सबसे स्वाभाविक बात यही हो सकती है कि चरखेका और अुससे संबन्धित सब चीजोंका पुनरुद्धार किया जाय।

यह पुनरुद्धार तभी हो सकता है, जब कि बुद्धि और देश-भक्तिवाले स्वार्थत्यागी भारतीयोंकी सेना दिलोजानसे गांवोंमें चरखेका सन्देश फैलानेके काममें लग जाय और ग्रामीणोंकी निस्तेज आंखोंमें आशा और प्रकाशकी ज्योति जगमगा दे। सच्चे सहयोग और सच्ची प्रौढ़-शिक्षाके प्रसारका यह बहुत बड़ा प्रयत्न है। चरखेके शान्त किन्तु निश्चित और जीवनप्रद 'रिवोल्यूशन' की तरह ही अिससे शान्त और निश्चित क्रान्ति होती है।

चरखेके बीस बरसके अनुभवने मुझे अिस बातका विश्वास करा दिया है कि मैंने अुसके पक्षमें यहां जो दलील दी है वह विलकुल सही है। चरखेने गरीब मुसलमानों और हिन्दुओंकी अेक समान सेवा की है। अिसके द्वारा कोओ पांच करोड़ रुपये बिना किसी दिखावे और शोरगुलके गांवोंके अिन लाखों कारीगरोंकी जेबोंमें पहुंच चुके हैं।

अिसलिए बिना किसी हिचकिचाहटके मैं कहता हूं कि चरखा हमें सब धर्मोंको माननेवाली जनताके स्वराज्य तक जरूर ले जावेगा। क्योंकि चरखा गांवोंको अनके अुपयुक्त स्थान पर पहुंचाकर अूंच-नीचके भेदभावको नष्ट करता है।

ग्रामोद्योग

ग्रामोद्योगके संबंधमें कांग्रेसने जो प्रस्ताव पास किया है अुसका रचयिता मैं हूं, और अन अद्योगोंकी अुष्टिके लिये जो संघ स्थापित होनेवाला है अुसका एकमात्र सलाहकार भी मैं ही हूं। अिसलिये अन अद्योगोंके सम्बन्धमें और अनसे जनताके चरित्र तथा स्वास्थ्यको जिस लाभके होनेकी आशा है, अुसके विषयमें मेरे मनमें जो विचार चक्कर लगा रहे हैं अुन विचारोंको मैं क्यों न जनताके आगे रख दूँ?

हरिजन-यात्राके सिलसिलेमें जब अिस वर्षके आरंभमें मलाबार गया था, तभी यह ग्रामोद्योग-संघ स्थापित करनेका विचार एक प्रकारसे निश्चित हो गया था। एक खादी-सेवकके साथ बात करते हुवे मैंने देखा कि शहरके लोगोंने गांववालोंसे जिस चीजको कूरता और अविचारपूर्वक छीन लिया है, वह चीज अगर हमें ओमानदारीके साथ अुन्हें लौटा देनी है, तो एक ग्रामोद्योग-संघ स्थापित करनेकी अत्यन्त आवश्यकता है।

आज यह बहुत कम लोगोंको मालूम होगा कि हिन्दुस्तानके छोटे-छोटे बचे-खुचे खेत-खलिहानोंमें खेती करनेमें किसानको लाभके बदले हानि ही हो रही है। गांवके लोगोंमें आज जीवन नहीं दिखाओ देता। अुनके जीवनमें न आशा रही है न अुमंग, और न अुत्साह है न स्फूर्ति। भूख धीरे-धीरे अुनके प्राणोंको चूस रही है। अधर अणके गर्दन-तोड़ बोझसे वे अलग दबे जा रहे हैं। साहूकार अुन्हें कर्ज देता है, क्योंकि न दे तो जाय कहां? न देनेसे तो अुसका सारा पैसा ढूँब जाय। कितनी ही जांच-पड़ताल की जाय, गांवोंके कर्जका यह गोरख-धंधा कभी सुलझनेका नहीं। जांच तो हमने अिसकी काफी बारीकीसे की है, फिर भी अिस विषयकी हमारी जानकारी नगण्य ही है।

ग्रामोद्योगोंका यदि लोप हो गया, तो भारतके सात लाख गांवोंका सर्वनाश ही समझिये।

ग्रामोद्योग-संबंधी मेरी प्रस्तावित योजना पर अिधर दैनिक पत्रोंमें जो टीकायें हुओ हैं अुन्हें मैंने पढ़ा है। कअी पत्रोंने तो मुझे यह सलाह दी है कि मनुष्यकी अन्वेषण-बुद्धिने प्रकृतिकी जिन शक्तियोंको अपने वशमें

कर लिया है, अनुका अपयोग करनेसे ही गांवोंकी मुकित होगी। अनु आलोचकोंका यह कहना है कि प्रगतिशील पश्चिममें जिस तरह पानी, हवा, तेल और बिजलीका पूरा-पूरा अपयोग हो रहा है, असी तरह हमें भी अन चीजोंको काममें लाना चाहिये। वे कहते हैं कि अन निश्चृंग प्राकृतिक शक्तियों पर कब्जा कर लेनेसे प्रत्येक अमेरिकावासी ३३ गुलामोंको रख सकता है अर्थात् ३३ गुलामोंका काम वह अन शक्तियोंके द्वारा ले सकता है।

अिस रास्ते अगर हम हिन्दुस्तानमें चले, तो मैं यह बेधड़क कह सकता हूं कि प्रत्येक मनुष्यको ३३ गुलाम मिलनेके बजाय अिस मुल्कके अेक-अेक मनुष्यकी गुलामी ३३ गुनी बढ़ जायगी।

यंत्रोंसे काम लेना असी अवस्थामें अच्छा होता है, जब कि किसी निषर्परित कामको पूरा करनेके लिये आदमी बहुत ही कम हों या नपे-तुले हों। पर यह बात हिन्दुस्तानमें तो है नहीं। यहां कामके लिये जितने आदमी चाहिये, अनुसे कहीं अधिक बेकार पड़े हुए हैं। अिसलिये अद्योगोंके यंत्रीकरणसे यहांकी बेकारी घटेगी या बढ़ेगी? कुछ वर्गगज जमीन खोदनेके लिये मैं हल्का अपयोग नहीं करूंगा। हमारे यहां सवाल यह नहीं है कि हमारे गांवोंमें जो लाखों-करोड़ों आदमी पड़े हैं अन्हें परिश्रमकी चबकीसे निकालकर किस तरह छुट्टी दिलाओ जाय, बल्कि यह है कि अन्हें सालमें जो कुछ महीनोंका समय यों ही बैठेबैठे आलसमें बिताना पड़ता है असका अपयोग कैसे किया जाय। कुछ लोगोंको भेरी यह बात शायद विचित्र लगेगी, पर दरअसल बात यह है कि प्रत्येक मिल सामान्यतः आज गांवोंकी जनताके लिये त्रासरूप हो रही है। अनुकी रोजी पर ये मायाविनी मिलें छापा मार रही हैं। मैंने बारीकीसे आंकड़े अेकत्र नहीं किये, पर जितना तो कह ही सकता हूं कि गांवोंमें बैठकर कमसे कम दस मजदूर जितना काम करते हैं अतना ही काम मिलका अेक मजदूर करता है। अिसे यों भी कह सकते हैं कि दस आदमियोंकी रोजी छीनकर यह अेक आदमी गांवमें जितना कमाता था अससे कहीं अधिक कमा रहा है। अिस तरह कताओ और बुनाओकी मिलोंने गांवोंके लोगोंकी जीविकाका अेक बड़ा भारी

साधन छीन लिया है। अपरकी दलीलका यह कोई जवाब नहीं है कि वे मिलें जो कपड़ा तैयार करती हैं वह अधिक अच्छा और काफी सस्ता होता है। कारण यह है कि अन मिलोंने अगर हजारों मजदूरोंका धंधा छीनकर अन्हें बेकार बना दिया है, तो सस्तेसे सस्ता मिलका कपड़ा गांधींकी बती हुबी महंगीसे महंगी खादीसे भी महंगा है। कोयलेकी खानमें काम करनेवाले मजदूर जहां रहते हैं वहाँ वे कोयलेका अुपयोग कर सकते हैं, अिसलिए अन्हें कोयला महंगा नहीं पड़ता। अिसी तरह जो ग्रामवासी अपनी जरूरत भरके लिए खुद खादी बना लेता है, असे वह महंगी नहीं पड़ती। पर मिलोंका बना कपड़ा अगर गांधींके लोगोंको बेकार बना रहा है, तो चावल कूटने और आटा पीसनेकी मिलें हजारों स्त्रियोंकी न केवल रोजी ही छीन रही हैं, बल्कि बदलेमें तमाम जनताके स्वास्थ्यको हानि भी पहुंचा रही हैं। जहां लोगोंको मांस खानेमें कोई आपत्ति न हो और जहां मांसाहार पुसाता हो, वहां मैदा और पॉलिशदार चावलसे शायद हानि न होती हो; लेकिन हमारे देशमें, जहां करोड़ों आदमी ऐसे हैं जो मांस मिले तो खानेमें आपत्ति नहीं करेंगे, पर जिन्हें मांस मिलता ही नहीं, अन्हें हाथकी चक्कीके पिसे हुओ गेहूंके आटे और हाथ-कुटे चावलके पौष्टिक तथा जीवनप्रद तत्त्वोंसे वंचित रखना अेक प्रकारका पाप है। अिसलिए डॉक्टरों तथा दूसरे आहार-विशेषज्ञोंको चाहिये कि मैदे और मिलके कुटे पॉलिशदार चावलसे लोगोंके स्वास्थ्यको जो हानि हो रही है असे वे जनताको आगाह कर दें।

मैंने सहज ही नजरमें आनेवाली जो कुछ मोटी-मोटी बातोंकी तरफ यहां ध्यान खींचा है, असका अदेश्य यही है कि अगर ग्रामवासियोंको कुछ काम देना है, तो वह यंशोंके द्वारा संभव नहीं। अनके अद्वारका सच्चा मार्ग तो यही है कि जिन अद्योग-घन्घोंको वे अब तक किसी कदर करते चले आ रहे हैं, अन्हींको भलीभांति जीवित किया जाय।

अिसलिए मेरे अभिप्रायके अनुसार अखिल भारत ग्रामोद्योग संघका काम यह होगा कि जो अद्योग-घंघे आज चल रहे हैं अन्हें प्रोत्साहन दिया जाय और जहां हो सके और वांछनीय हो वहां नष्ट हो जूके या नष्ट हो रहे ग्रामोद्योगोंको गांधींकी पढ़तिसे — वर्यात् अस रीतिसे

जिससे अनादि कालसे गांववाले अपनी झोपड़ियोंमें काम करते आ रहे हैं—सजीव किया जाय। जिस प्रकार हाथकी ओटाओं, धुनाओं, कताओं और बुनाओंकी क्रियाओं और औजारोंमें बहुत अुप्रति हुआ है, असी प्रकार ग्रामोद्योगोंकी पद्धतिमें भी काफी सुधार किया जा सकता है।

अेक आलोचकने यह आपत्ति थुठाओं है कि प्राचीन पद्धतिका अनुसरण करके प्रत्येक मनुष्य अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाकी पूर्ति कर लेता है, परन्तु इस रीतिसे सामूहिक कार्य कभी नहीं हो सकता। यह दृष्टि मुझे बड़ी शोथी मालूम होती है। इसके पीछे कोओ गहरा विचार नहीं है। ग्रामवासी भले ही वस्तुओंको अपने झोपड़ोंमें बैठ कर बनावें, पर यह बात नहीं कि वे सब चीजें अिकट्ठी न की जा सकें और अनुसे होनेवाला मुनाफा लोगोंमें न बंट सके। ग्रामवासी किसीकी देखरेखमें किसी खास योजनाके अनुसार काम करें। कच्चा माल सार्वजनिक भंडारसे दिया जाय। अगर सामूहिक कार्य करनेकी अिच्छा ग्रामवासियोंके अन्दर पैदा कर दी जाय, तो सहयोग, श्रम-विभाग, समयकी बचत और कार्य-कुशलताके लिए तो निश्चय ही काफी अवकाश है। आज ये सारी चीजें अखिल भारतीय चरखा-संघ ५००० से ऊपर गांवोंमें कर रहा है।

किन्तु खद्दर गांवोंके सौर मंडलका सूर्य है और अन्यान्य विविध अुद्योग इस मंडलके ग्रह हैं। जिन अद्योगरूपी ग्रहोंको खद्दररूपी सूर्यसे जो अुष्णता और प्राणशक्ति मिल रही है, असके बदलेमें वे खद्दरको टिकाये हुए हैं। बिना खादीके अन्य अद्योगोंका विकास होना असंभव है। किन्तु मैंने अपनी गत हरिजन-यात्रामें देखा कि अगर दूसरे अद्योग-धन्धे जिन्दा न किये गये, तो खादीकी अधिक अुप्रति नहीं हो सकती। ग्रामवासियोंमें अगर अनुके फुरसतके समयका सदुपयोग करनेकी क्रियाशीलता और क्षमता अुत्पन्न करनी है, तो ग्रामजीवनका सभी पहलुओंसे स्पर्श करके असमें नवचेतनाका संचार करना होगा। जिन दो संघोंसे इसी बातकी अपेक्षा की जायगी।

मुझे मालूम है कि अेक वर्ग औसा है, जो खादीको आर्थिक दृष्टिसे लाभदायक मानता ही नहीं। मुझे आशा है कि इस वर्गके लोग मेरे

हमारे गांवोंका पुनर्निर्माण

३६

जिस कथनसे भड़क नहीं जायेंगे कि खादी ग्रामसेवाकी प्रवृत्तियोंका केन्द्र है। खादी तथा अन्य ग्रामोद्योगोंका पारस्परिक संबंध बताये बिना में अपने अंतरका कल्पनाचित्र ठीक-ठीक अंकित नहीं कर सकता था। जो लोग खादी और अन्य ग्रामोद्योगोंके असंबंधको न मानते हों, वे दूसरे अद्योगोंमें भले अपनी शक्ति लगावें।

हरिजनसेवक, २३-११-'३४

ग्रामोद्योगोंकी योजना

ग्रामोद्योगोंकी योजनाके पीछे मेरी कल्पना तो यह है कि हमें अपनी रोजमर्गकी आवश्यकताओं गांवोंकी बनी चीजोंसे ही पूरी करनी चाहिये; और जहाँ यह मालूम हो कि अमुक चीजें गांवोंमें मिलती ही नहीं, वहाँ हमें यह देखना चाहिये कि अनु चीजोंको घोड़े परिष्रम और संगठनसे गांववाले बनाकर अनुसे कुछ मुनाफा अुठा सकते हैं या नहीं। मुनाफेका अंदाज लगानेमें हमें अपना नहीं, किन्तु गांववालोंका ख्याल रखना चाहिये। संभव है कि शुरूमें हमें साधारण भावसे कुछ अधिक देना पड़े और चीज हल्की मिले। पर अगर हम अनु चीजोंके बनानेवालोंके काममें रस लें, और यह आग्रह रखें कि वे बढ़ियासे बढ़िया चीजें तैयार करें, और सिर्फ आग्रह ही नहीं रखें बल्कि अनु लोगोंको पूरी मदद भी दें, तो यह हो नहीं सकता कि गांवोंकी बनी चीजोंमें दिन-दिन तरक्की न होती जाय।

हरिजनसेवक, ३०-११-३४

अम बचानेवाले यंत्र क्यों नहीं?

अेक पत्रलेखकके जवाबमें, जिन्होंने हाथसे चावल कूटने और हाथ-चक्कीसे आटा पीसनेका विरोध किया था, गांधीजीने लिखा :

कूटने-पीसनेके सातिर ही कूटने-पीसनेकी प्राचीन पद्धतिको फिरसे चालू करनेमें मुझे कोओ दिलचस्पी नहीं है। जिस अद्योगको फिरसे चलानेकी जो मैं सलाह देता हूं, असका कारण यह है कि जो लाखों-करोड़ों ग्रामवासी निरुद्यमी हो गये हैं, अन्हें काम-धंधेमें लगानेका कोबी दूसरा मार्ग ही नहीं है। मैं यह मानता हूं कि अगर हम आर्थिक

संकटके अिस दिन-दिन बढ़ते हुअे भारी बोझको दूर न कर सके, तो गांवोंका अद्धार होना असंभव है। अिसलिए ग्रामवासियोंको अनुके व्यर्थ जाते हुअे समयके सदुपयोगकी सलाह देना ही ठोस ग्रामसेवा है।

हरिजनसेवक, ७-१२-'३४

ग्रामोद्योग क्यों?

नित्यके अुपयोगकी शायद ही कोअी ऐसी चीज हो, जो आजसे पहले गांववालोंने न बनाई हो और जिसे वे आज न बना सकते हों। अगर हम अिस तरफ पूरी तरहसे अपना मन लगा दें और गांवों पर अपना व्यान अेकाघ कर लें, तो हम बातकी बातमें लाखों रुपये गांव-वालोंकी जेबमें पहुंचा सकते हैं। आज तो हम अन्हें बिना कुछ मुआवजा दिये अुलटे अन गरीबोंको लूट-खसोट रहे हैं। अिस भयंकर सर्वनाशको आगे बढ़नेसे अब हमें रोक देना चाहिये। जो लोग आज अस्पृश्य माने जाते हैं, अनकी प्रथानुमोदित अस्पृश्यता दूर करनेकी अपेक्षा अस्पृश्यता-निवारणका यह आन्दोलन मेरे लिए अधिक व्यापक मानी रखने लगा है। शहरवालेकी दृष्टिमें गांव अस्पृश्य हो गये हैं। शहरवाला अन्हें जानता नहीं, पहचानता नहीं। न वह गांवोंमें जाकर रहना चाहता है। अगर वह किसी गांवमें जा पहुंचता है, तो वहां भी अपना वही शहरी जीवन जमाना चाहता है। यह तो तभी सह्य हो सकता है, जब कि हम अपने मुल्कमें अितने शहर बना सकें कि अनमें ३० करोड़ मनुष्य समा जायं। ग्रामोद्योगोंका पुनरुज्जीवन और जबरदस्तीकी बेकारी तथा दूसरे कारणोंसे अुत्पन्न देशकी दिन-दिन बढ़ती हुअी दरिद्रताका निवारण अगर असंभव है, तो भारतके गांवोंको शहरोंमें परिणत कर देनेकी कल्पना तो और भी अधिक असंभव है।

हरिजनसेवक, ३०-११-'३४

गांवोंकी चीजें काममें लें

[अेक भाषणसे]

हमने गांववालोंके साथ घोर अन्याय करनेका पाप किया है। अुसके प्रायश्चित्तका अेकमात्र रास्ता यह है कि अन्हें तैयार बाजारका यकीन

दिलाकर बुनके नष्टप्राय अुच्छोग-धंधोंको फिरसे जिलानेके लिये अन्हें प्रोत्साहन दिया जाय। अीश्वरसे बढ़कर धीरज रखनेवाला और सहनशील दूसरा कोई नहीं है, लेकिन अुसके धीरज और सहनशीलताकी भी कोई सीमा है। अगर हम गांवोंके प्रति अपने फर्जकी अपेक्षा करेंगे, तो अपने ही सर्वनाशको न्योतेंगे। यह फर्ज कोई बड़ा कठिन नहीं है। वह बिलकुल ही सीधा-सादा है। हमें अपनेमें ग्राम-मानस निर्माण करना होगा और अपनी तथा अपनी गृहस्थीकी जरूरतोंको ग्रामीण दृष्टिसे ही देखना होगा। जिसमें बहुत ज्यादा खर्चका भी सवाल नहीं है। स्वयंसेवक पाससे पासके गांवोंमें जायें और अन्हें जिस बातका विश्वास दिलायें कि जो कुछ वे पैदा करेंगे, वह सब कस्बों और शहरोंमें जरूर बिक जायगा। यह ऐसा काम है जिसे हर बेक जाति और धर्मके, हर पार्टी और विश्वासके स्त्री और पुरुष कर सकते हैं। अिसका हमारे देशके सच्चे अर्थशास्त्रसे मेल बैठता है।

हरिजन, १-३-'३५

गांवोंका शोषण बन्द हो

[एक बातचीतसे]

गांवोंमें फिरसे जान तभी आ सकती है, जब वहांकी लूट-खसोट रुक जाय। बड़े पैमाने पर मालकी पैदावार प्रतिस्पर्धा और बाजारकी समस्याओंको जन्म देगी और अुसके फलस्वरूप। मवासियोंका प्रत्यक्ष या परोक्ष शोषण हुबे बिना नहीं रहेगा। अिसलिये हमें जिस बातकी सबसे ज्यादा कोशिश करनी चाहिये कि गांव हर बातमें स्वावलम्बी और स्वयंपूर्ण हो जाय। वे अपनी जरूरतें पूरी करने भरके लिये चीजें तैयार करें। ग्रामोद्योगके अिस अंगकी अगर अच्छी तरह रक्षा की जाय, तो फिर भले ही देहाती लोग अद्विकलके अन यंत्रों और औजारोंसे भी काम ले सकते हैं, जिन्हें वे बना और खरीद सकते हैं। शर्त सिफ़ यही है कि दूसरोंको लूटनेके लिये अनका अपयोग नहीं होना चाहिये।

हरिजनसेवक, २९-८-'३६

मौजूदा प्राप्तिका समुपयोग

सवाल — हजारों गांवोंमें आटा पीसनेकी चकियां ऑंजिनसे चलती हैं। अब ऑंजिनोंको नदियों, कुओं या तालाबों पर लगानेसे बहुतसे खेतोंमें पानी देनेका काम बड़ी आसानीसे हो सकता है। यह काम सरकारके द्वारा क्यों न कराया जाय? ऑंजिनके मालिक क्या अितना सहयोग न देंगे?

जवाब — अगर हजारों गांवोंमें आटा पीसनेकी कलें हैं और वे ऑंजिनसे चलती हैं, तो मैं यिसे हमारी पामरताकी सीमा समझता हूँ। हिन्दुस्तानमें कहीं अितनी कलें या अितने ऑंजिन नहीं बनते। मुझे अम्मीद है कि गुजरातके हजारों गांवोंमें अंसा अनुचित काम हरगिज नहीं होता होगा। सारे हिन्दुस्तानमें अंसे गांवोंकी संख्या भी हजारों तक नहीं जा सकती। लेकिन अगर यह सच है, तो यिससे गांवके लोगोंका आलस्य जाहिर होता है। ये अितने ज्यादा ऑंजिन और पनचकियां अिनके मालिकोंके अतिलोभकी सूचक हैं। क्या गरीब लोगोंको यिस हद तक मुहताज बनाकर धन कमाना मुनासिब होगा? फिर, यिस तरहकी कलोंको रखनेसे आज देहातमें चलनेवाली पत्थरकी चकियां बेकार हो जायंगी। चक्की बनानेका अद्योग करनेवाले भी बेकार हो जायंगे। अिस तरह तो गांवके अद्योगोंका और अनुके साथ कलाका भी लोप हो जायगा। अेकका लोप होकर दूसरा अपयोगी अद्योग शुरू हो जाय, तो शायद बहुत कहनेको न रहे। मगर मैं नहीं जानता कि कहीं अंसा हुआ है। अिसके सिवा, हाथकी चक्की चलानेवाले प्रातःकाल प्रभातियों और भजनोंका जो मधुर संगीत बहाते हैं, अुसका भी लोप हो जायगा।

लेकिन मुझे जो कहना है, वह तो यह है। मेरे ख्यालसे आज अिन ऑंजिनोंका दुरुपयोग हो रहा है। आजके यिस आपत्तिकालमें अिन्हीं ऑंजिनोंका अपयोग नदी, कुओं और तालाबसे पानी खींचकर खेतोंकी सिंचाओं करने और अन्न बोनेके काममें भी किया जाय तो कितना अच्छा हो? अुस हालतमें अिन ऑंजिनोंका आजकलका दुरुपयोग सहा जा सकता है। सवाल पूछनेवालोंने सरकारी मददका जिक्र किया है। लेकिन क्या सचमुच यिसमें सरकारी मददकी जरूरत हो सकती है? क्या मालिक लोग

मुसीबतके समयमें भी अपने अंजिनोंका ऐसे परोपकारके काममें अपयोग न करेंगे ? अथवा क्या हमारी हालत अतिनी अपंग हो गयी है कि जब तक सरकार हमें मजबूर न करे, हम अेक भी लोकोपयोगी काम अपनी अिच्छासे करनेको तैयार न होंगे ? जो भी हो, मेरी यह निश्चित राय है कि लोगोंको अिस दुर्भाग्यसे बचानेके लिअे, जो अनुके सामने मुंह बाये खड़ा है, मौजूदा शक्तिके सदुपयोगके लिअे तुरन्त ही तमाम जरूरी कदम अठाये जाने चाहिये ।

हरिजनसेवक, १०-३-'४६

८

जमींदारी और अहिंसाका आदर्श जमींदार-वर्ग

जमींदार यदि समय रहते चेत जायं, तो अन्हें लाभ होगा । वे केवल लगान वसूल करनेवाले ही न बने रहें । अन्हें अपने आसामियोंके द्रस्टी और विश्वस्त मित्र बन जाना चाहिये । अन्हें अपने जेबखर्चकी हद बांध देनी चाहिये । शादीके मौके पर या दूसरे मौकों पर काश्तकारोंसे जबरन् लिये जानेवाले अुपहारोंके रूपमें या अेक किसानसे दूसरे किसानके नाम पर जमीन करते समय, या लगान न देनेके कारण छीनी हुयी जमीनको फिर अुसी किसानके नाम पर करनेके मौके पर लिये जानेवाले नजरानेके रूपमें वे जो अनुचित दस्तूर लेते हैं, अुसे अन्हें छोड़ देना चाहिये । जमींदारोंको चाहिये कि वे अपने काश्तकारोंको जमीनोंका स्थायी पट्टा दें, अनके हितमें जीवित रस लें, अनके बच्चोंके लिअे सुव्यवस्थित स्कूलें खोलें, प्रीढ़ोंके लिअे रात्रि-पाठशालाओं चलायें, बीमारोंके लिअे अस्पतालों और दवाखानोंकी व्यवस्था करें, गांवोंकी सफाईकी तरफ ध्यान दें और अनेक तरहसे काश्तकारोंको यह महसूस करने दें कि वे — जमींदार — अनके सच्चे दोस्त हैं और अपनी अनेकविध सेवाओंके बदलेमें अनसे केवल निश्चित कमीशन ही लेते हैं । संक्षेपमें, अन्हें अपने पदका औचित्य सिद्ध करना चाहिये । अन्हें कांग्रेसियों पर भरोसा रखना चाहिये । वे खुद कांग्रेसके सदस्य बनकर यह जान सकते हैं कि कांग्रेस जनता और सरकारके बीच पुलका काम करती है । जिनके

मनमें लोगोंके सच्चे कल्याणकी भावना है, वे सब कांग्रेसकी नेवाओंका अुपयोग कर सकते हैं। कांग्रेसजन भिसका ध्यान रखेंगे कि किसान जमींदारोंके प्रति अपना कर्तव्य विवेकपूर्वक पूरा करें। मेरा मतलब ज़फरी तीर पर कानून द्वारा तय किये गये कर्तव्योंसे नहीं, बल्कि अन कर्तव्योंसे है जिन्हें खुद किसानोंने अुचित ठहराया है। अन्हें यह सिद्धान्त अस्वीकार कर देना चाहिये कि अनकी जमीनें केवल अन्हींकी हैं और जमींदारोंका अन पर कोओ हक नहीं है। वे अस संयुक्त परिवारके सदस्य हैं या अन्हें होना चाहिये, जिसका मुखिया जमींदार है, जो अस बातका ध्यान रखता है कि अनके अधिकारोंका कोओ अपहरण न करे। कानून भले कुछ भी हो, जमींदारीका बचाव तभी किया जा सकता है, जब वह संयुक्त परिवारकी स्थिति प्राप्त कर ले।

यंग इंडिया, २८-५-'३१

जमींदार और तालुकेदार

वर्णश्रमके भयंकर मजाकका ही यह परिणाम है कि तथाकथित क्षत्रिय अपनी रिआयासे खुदको अूंचा समझता है और असकी गरीब रिआया विरासतमें मिले हुओ अपने हलकेपनको नब्रतासे अपने भाग्यके रूपमें मान लेती है। अगर भारतीय समाजको शांतिपूर्ण तरीकेसे सच्ची प्रगति करना है, तो धनिक जमींदार-वर्गको यह निश्चित रूपसे मानना होगा कि रिआयामें भी वही आत्मा है जो अनके भीतर है, और यह कि अपने धनके कारण वे गरीब रिआयासे अूंचे नहीं हो जाते। जापानी सामन्तों और जमींदारोंकी तरह अन्हें खुदको ट्रस्टी मानना चाहिये, जो अपनी रिआयाके कल्याणके लिए अपने पास धन-दौलत रखेंगे। फिर वे अपने परिश्रमके लिए कमीशनके रूपमें अुचित रकम ही लेंगे, अससे थोड़ी भी ज्यादा नहीं। आज तो धनिक जमींदारोंके बिलकुल अनावश्यक ठाटबाट और फिजूलखर्ची तथा रिआया — जिसके बीच जमींदार लोग रहते हैं — के आसपासके गन्दे बातावरण और असकी भयंकर गरीबीके बीच कोओ अनुपात ही नहीं है। असलिए अेक आदर्श जमींदार तुरन्त अपनी रिआयाके मौजूदा बोझको बहुत-कुछ हलका कर देगा, वह अपनी प्रजाके धनिष्ठ सम्पर्कमें आयेगा, असकी

जरूरतोंको जानेगा और अुसमें निराशाकी जगह, जो आज अुसे निर्जीव और निष्प्राण-सी बना रही है, आशाका संचार करेगा। अपनी रिआयाके सफाई और स्वास्थ्य-संबंधी अज्ञानसे अुसे खुशी नहीं होगी। अपनी रिआयाकी जीवन-संबंधी जरूरतें पूरी करनेके लिये वह गरीब बन जायगा। अपनी देखरेखमें रहनेवाली रिआयाकी आर्थिक स्थितिका वह अध्ययन करेगा तथा स्कूल खोलेगा, जिनमें वह काश्तकारोंके बच्चोंके साथ ही अपने बच्चोंको भी पढ़ायेगा। वह खुद रास्ते और पाखाने साफ करके अपनी प्रजाको अुसके रास्ते और पाखाने साफ करना सिखायेगा। वह बिना किसी संकोचके अपने बगीचे रिआयाके लिये खोल देगा, ताकि लोग छूटसे अुनका अुपयोग कर सकें। अपने आनन्दके लिये वह जो गैर-जरूरी अिमारतें अपने कब्जेमें रखता है, अुनमें से ज्यादातरका अस्पताल, स्कूल या अिसी तरहकी दूसरी सार्वजनिक संस्थाओं स्थापित करनेमें अुपयोग करेगा। अगर केवल पूंजीपति जमींदार-वर्ग समयको पहचानकर अपनी साधन-संपत्तिके ओश्वर-दत्त अधिकारका विचार बदल दे, तो बहुत ही थोड़े समयमें हिन्दु-स्तानके सात लाख घूरोंके ढेर — जिन्हें आज गांव कहा जाता है — शांति, स्वास्थ्य और मुखके धाम बन जायें। मेरा यह पक्का विश्वास है कि अगर पूंजीपति जमींदार जापानके जमींदार-वर्गका (जिसने राष्ट्र-निर्माणकी नभी व्यवस्थामें अपनी जमींदारी और अुससे संबंधित सारे विशेष अधिकार स्वेच्छासे छोड़ दिये थे) अनुसरण करें, तो अन्हें कुछ खोना नहीं पड़ेगा, बल्कि लाभ ही लाभ होगा। आज तो अुनके सामने दो ही रास्ते खुले हैं। या तो वे स्वेच्छासे अपनी आवश्यकतासे ज्यादा दौलत, साज-सामान वर्गराका त्याग करें और सबको सच्चे सुखका अुपभोग करने दें, या समय रहते न चेतनेके कारण फैलनेवाली अंधाधुंधीका सामना करें, जिसमें लाखों जाग्रत लेकिन अज्ञान व भूखों मरनेवाले लोग देशको ढुबो देंगे और जिसे शक्तिशाली सरकारकी सशस्त्र सेना भी रोक नहीं सकेगी। मैंने यह आशा की है कि भारत सफलतासे अिस सर्वनाशको टाल सकेगा। यू० पी० के कुउ नौ-जवान तालुकेदारोंके घनिष्ठ सम्पर्कमें आनेका मुझे जो मौका मिला, अुसने मेरी अिस आशाको मजबूत बनाया है।

आर्थिक समानता

आर्थिक समानता अर्थात् जगतके सब मनुष्योंके पास एक समान सम्पत्तिका होना, जिससे वे अपनी कुदरती आवश्यकतायें पूरी कर सकें। कुदरतने ही अगर एक आदमीका हाजमा कमजोर बनाया हो और वह केवल पांच ही तोला अन्न खा सके और दूसरेको बीस तोला अन्न खानेकी आवश्यकता हो, तो दोनोंको अपनी-अपनी पाचन-शक्तिके अनुसार अन्न मिलना चाहिये। सारे समाजकी पुनर्रचना इस आधार पर होनी चाहिये। अहिंसक समाजका दूसरा कोई आदर्श हो ही नहीं सकता। पूर्ण आदर्श तक हम कभी पहुंच नहीं सकते, लेकिन अुसे नजरमें रखकर हम विधान बनायें और व्यवस्था करें। जिस हद तक हम इस आदर्शको पहुंच सकेंगे, अुसी हद तक सुख और संतोष प्राप्त करेंगे और अुसी हद तक सामाजिक अहिंसा सिद्ध हुओ कही जायगी।

इस आर्थिक समानताके धर्मका पालन एक व्यक्ति भी कर सकता है। दूसरोंके साथकी अुसे आवश्यकता नहीं रहती। अगर एक आदमी इस धर्मका पालन कर सकता है, तो जाहिर है कि एक मंडल भी कर सकता है। यह कहनेकी जरूरत अिसलिए है कि किसी भी धर्मके पालनमें जहां तक दूसरे अुसका पालन न करें, वहां तक हमें रुके रहनेकी आवश्यकता नहीं। फिर भी आदर्शकी आखिरी हद तक न पहुंचे, वहां तक कुछ भी त्याग न करनेकी वृत्ति बहुधा देखनेमें आती है। यह भी हमारी गतिको रोकती है।

अब हम इसका विचार करें कि अहिंसाके जरिये आर्थिक समानता कैसे लाओ जा सकती है। पहला कदम यह है: जिसने इस आदर्शको अपनाया हो, वह अपने जीवनमें आवश्यक परिवर्तन करे। हिन्दुस्तानकी गरीब प्रजाके साथ अपनी तुलना करके अपनी आवश्यकतायें कम करे। अपनी धन कमानेकी शक्तिको अंकुशमें रखे। जो धन कमाये, अुसे गीमानदारीसे कमाये। सट्टेकी वृत्ति हो तो अुसका त्याग कर दे। घर भी अपनी सामान्य आवश्यकतायें पूरी करने लायक ही रखे और जीवनको हर तरहसे संयमी बनावे। अपने जीवनमें जो सुधार संभव हों अन्हें

करके अपने मिलने-जुलनेवालों और पढ़ोसियोंमें समानताके आदर्शका प्रचार करे।

आर्थिक समानताकी जड़में धनिकका द्रस्टीपन निहित है। अिस आदर्शके अनुसार धनिकको अपने पढ़ोसीसे अेक कौड़ी भी ज्यादा रखनेका अधिकार नहीं। तब क्या अुसके पास जो ज्यादा है, वह अुससे छीन लिया जाय? ऐसा करनेके लिए हिंसाका आश्रय लेना पड़ेगा। और हिंसाके जरिये ऐसा करना संभव हो, तो भी समाजको अुससे कोअी लाभ होनेवाला नहीं है। क्योंकि धन अिकट्ठा करनेकी शक्ति रखनेवाले अेक आदमीकी शक्तिको समाज खो बैठता है। अिसलिए अहिंसक मार्ग यह हुआ कि जितनी अुचित मानी जा सकें, अुतनी अपनी आवश्यकतायें पूरी करनेके बाद जो पैसा बाकी बचे, अुसका वह प्रजाकी ओरसे द्रस्टी बन जाये। अगर वह प्रामाणिकतासे संरक्षक बने, तो जो पैसा पैदा करेगा अुसका सदृश्य भी करेगा। जब मनुष्य अपनेको समाजका सेवक मानेगा, समाजके खातिर धन कमायेगा और समाजके कल्याणके लिए अुसे खर्च करेगा, तब अुसकी कमाओीमें शुद्धता आयेगी। अुसके साहसमें भी अहिंसा होगी। अिस प्रकारकी कार्य-प्रणालीका आयोजन किया जाय, तो समाजमें बगैर संघर्षके मूक कांति पैदा हो सकती है।

कोअी पूछ सकते हैं कि अिस प्रकार मनुष्य-स्वभावमें परिवर्तन होनेका अुल्लेख अितिहासमें कहीं देखा गया है? व्यक्तियोंमें तो ऐसा हुआ ही है। किन्तु बड़े पैमाने पर समाजमें परिवर्तन हुआ है, यह शायद सिद्ध न किया जा सके। अिसका अर्थ अितना ही है कि व्यापक अहिंसाका प्रयोग आज तक नहीं किया गया। हम लोगोंके हृदयमें अिस झूठी मान्यतानेघर कर लिया है कि अहिंसा व्यक्तिगत रूपसे ही विकसित की जा सकती है और वह व्यक्ति तक ही मर्यादित है। लेकिन दरअसल बात ऐसी नहीं है। अहिंसा सामाजिक धर्म है और सामाजिक धर्मके तौर पर वह विकसित की जा सकती है। लोगोंको अिसी बातका विश्वास करानेके लिए मेरा सारा प्रयत्न और प्रयोग है। यह नभी चीज है, अिसीलिए अिसे इठ समझकर फेंक देनेकी बात अिस युगमें तो कोअी नहीं करेगा। यह कठिन है अिसलिए अशक्य है, अैसा भी अिस युगमें कोअी नहीं कहेगा।

क्योंकि बहुतसी चीजें अपनी आँखोंके सामने नभी-पुरानी होती हमने देखी हैं; जो अशक्य लगता था, अुसे शक्य बनते हमने देखा है। मेरी यह मान्यता है कि अहिंसाके क्षेत्रमें अिससे बहुत ज्यादा शोध शक्य है, और विविध धर्मोंके अितिहास अिस बातके प्रमाणोंसे भरे पड़े हैं। समाजमें से धर्मको निकालकर फेंक देनेका प्रयत्न बांझके घर पुत्र पैदा करने जितना ही निष्कल है, और अगर कहीं सफल हो जाय तो समाजका अुसमें नाश है। धर्मके रूपान्तर हो सकते हैं। अुसमें निहित प्रत्यक्ष वहम, सड़ांध और अपूर्णतायें दूर हो सकती हैं, हुआ हैं और होती रहेंगी। मगर धर्म तो जब तक जगत है, तब तक चलता ही रहेगा; क्योंकि धर्म ही जगतका अेकमात्र आधार है। धर्मकी अंतिम व्याख्या है ओ॒श्वरका कानून। ओ॒श्वर और अुसका कानून अलग-अलग चीजें नहीं हैं। ओ॒श्वर अर्थात् अचल, जीता-जागता कानून। कोओी अुसका पार नहीं पा सकता। मगर अवतारों और पैगम्बरोंने तपस्या करके अुसके कानूनकी कुछ कुछ ज्ञांकी दुनियाको कराओी है।

किन्तु महाप्रयत्न करने पर भी धनिक संरक्षक न बनें और भूखों मरते हुओं करोड़ोंको अहिंसाके नामसे और ज्यादा कुचलते जायं, तब क्या करें? अिस प्रश्नका अुत्तर ढूँढ़नेमें ही अहिंसक कानून-भंग प्राप्त हुआ। कोओी धनवान गरीबोंके सहयोगके बिना धन नहीं कमा सकता। मनुष्यको अपनी हिंसक शक्तिका भान है। क्योंकि वह तो अुसे लाखों वर्षोंसे विरासतमें मिली हुआ है। जब अुसे चार पैरकी जगह दो पैर और दो हाथवाले प्राणीका आकार मिला, तब अुसमें अहिंसक शक्ति भी आओ। हिंसक शक्तिका तो अुसे मूलसे ही भान था। मगर अहिंसक शक्तिका भान भी धीरे-धीरे किन्तु अचूक रीतिसे रोज-रोज बढ़ने लगा। यह भान गरीबोंमें फैल जाये, तो वे बलवान बनें और आर्थिक असमानताको, जिसके वे शिकार बने हुओ हैं, अहिंसक तरीकेसे दूर करना सीख लें।

असहयोग और सविनय कानून-भंगके बारेमें मुझे कुछ लिखनेकी आवश्यकता है क्या? अिन्हें 'हरिजन' पत्रोंका कौन पाठक नहीं जानता?

अहिंसक साधन

गन्दे साधनोंसे मिलनेवाली चीज भी गन्दी ही होगी। असलिए राजाको मारकर राजा और प्रजा अेकसे नहीं बन सकेंगे। मालिकका सिर काटकर मजदूर मालिक नहीं बन सकेंगे। कोओ असत्यसे सत्यको नहीं पा सकता। सत्यको पानेके लिये हमेशा सत्यका ही आचरण करना होगा। क्या अहिंसा और सत्यकी जोड़ी है? हरगिज नहीं। सत्यमें अहिंसा छिपी हुओ है; और अहिंसामें सत्य। अेकको दूसरेसे अलग नहीं किया जा सकता। असीलिए मैंने कहा है कि सत्य और अहिंसा अेक ही सिक्केके दो पहलू हैं। दोनोंकी कीमत अेक ही है। केवल पढ़नेमें ही फर्क है। अेक तरफ अहिंसा है, दूसरी तरफ सत्य। पूरी पवित्रताके बिना अहिंसा और सत्य निभ ही नहीं सकते। शरीर या मनकी अपवित्रताको छिपानेसे असत्य और हिंसा ही पैदा होगी।

असलिए सत्यवादी, अहिंसक और पवित्र समाजवादी ही दुनियामें या हिन्दुस्तानमें समाजवाद फैला सकते हैं।

हरिजनसेवक, १३-७-'४७

अहिंसक अर्थ-रचना

[अेक भाषणका अंश]

अहिंसा-परायण मनुष्यके सारे कामकाज और सारी प्रवृत्तियां अहिंसासे रंगी हुओंगी। अुसका धन्वा, अुसका व्यवसाय निश्चित रूपसे अहिंसक होगा। वैसे तो सूक्ष्म दृष्टिसे देखा जाय तो बिना थोड़ी-बहुत हिंसाके कोओ भी काम या अद्योग-धन्वा संभव नहीं है। कुछ न कुछ हिंसा किये बिना जीना भी शक्य नहीं है। हमारा काम तो यही सोचना है कि अंसी हिंसाकी मात्रा घटाकर कमसे कम कैसे की जाय। अहिंसा शब्द भी नकारात्मक है, यानी वह जीवनमें अनिवार्य हिंसाको छोड़नेके प्रयत्नका सूचक है। असलिए जिसकी अहिंसामें श्रद्धा है वह अंसे ही अद्योग-धन्वेमें लगेगा, जिसमें कमसे कम हिंसा होगी। अदाहरणके लिये, हम यह कल्पना नहीं कर सकते कि अहिंसामें विश्वास

खानेवाला मनुष्य कसाअीका धन्धा पसन्द करेगा। अिसका यह अर्थ नहीं कि मांस खानेवाला अहिंसक नहीं हो सकता। मांस खानेवालोंमें अँसे बहुतसे लोग मिलेंगे, जो मांस न खानेवालोंसे ज्यादा अहिंसक होंगे। जैसे कि दीनबन्धु अन्दूज थे। लेगिन मांस खानेवालोंमें भी जो अहिंसामें शद्दा रखते हैं, वे शिकारीका धन्धा नहीं करेंगे और लड़ाओीमें या लड़ाओीकी तैयारीमें शामिल नहीं होंगे।

अिस तरह कितने ही काम और धन्धे अँसे हैं, जिनमें निश्चित रूपसे हिसा रहती है। अनुहें अहिंसक मनुष्यको छोड़ना होगा। लेकिन खेतीका धन्धा नहीं छोड़ा जा सकता, यद्यपि अमुक मात्रामें अुसमें हिसा अनिवार्य है। अिसलिए अँसे मामलोंमें कसौटी यह है: जो धन्धा हम स्वीकार करना चाहते हैं, अुसका आधार क्या हिसा पर है? वैसे तो हर काममें, हर क्रियामें थोड़ी-बहुत हिसा रहती ही है। हमारा काम अितना ही है कि अुसे यथासंभव कम करनेका प्रयत्न करें। यह काम अहिंसा पर हार्दिक शद्दाके बिना नहीं हो सकता। मान लीजिये कि कोओी आदमी प्रत्यक्ष हिसा बिलकुल नहीं करता, मेहनत करके खाता है; लेकिन पराया धन या खुशहाली देखकर हमेशा ओष्ठ्यसे जल अुठता है। अँसा आदमी अहिंसक हरगिज नहीं माना जा सकता। अर्थात् अहिंसक धन्धा वही है जो जड़से हिसा-रहित है और जिसमें दूसरेकी ओष्ठ्या या शोषण नहीं है।

मेरे पास अिस बातका अंतिहासिक प्रमाण तो नहीं है, परन्तु मैंने हमेशा यह माना है कि भारतवर्षमें अेक समय गांवोंका अर्थतंत्र अँसे निर्दोष अहिंसक अुद्योग-धन्धों पर रचा गया था। वह मनुष्यके अधिकारों पर नहीं, बल्कि मनुष्यके धर्मों और फज्झों पर खड़ा था। अँसे धन्धोंमें लगे हुओे लोग अपनी जीविका तो कमाते ही थे, अिससे आगे बढ़कर अुनके परिश्रमसे सारे समाजका हित और कल्याण होता था। अुदाहरणके लिये, गांवका सुतार गांवके किसानोंकी जरूरतें पूरी करता था। अुसे नकद पैसा नहीं मिलता था, लेकिन गांवके लोग अुसे अपनी मेहनतसे पैदा की हुओी अनाज वगैरा चीजें मेहनतानेके रूपमें देते थे। मेरा कहनेका यह मतलब नहीं कि अिस प्रथामें भी अन्याय नहीं हो सकता था;

लेकिन ऐसे अन्यायकी संभावना भिसमें कमसे कम रहती थी। मैं साठ बरससे पहलेके काठियावाड़के लोक-जीवनकी बात आपको बता रहा हूं, जिसका मुझे निजी अनुभव है। आज हम लोगोंमें देखते हैं अुससे अुस जमानेके लोगोंकी आंखोंमें ज्यादा तेज और अनके हाथ-पांवोंमें ज्यादा शक्ति और स्फूर्ति दिखाती देती थी।

बिन अद्योग-धन्धोंमें शरीर-श्रम मुख्य चीज थी। विशाल यंत्रोदयोग अुस समय नहीं थे। क्योंकि जब मनुष्य हाथसे जोत सके अुतनी ही जमीनसे संतोष मानता हो, तब वह दूसरेका शोषण नहीं कर सकता। हाथ-अद्योगोंमें गुलामी और शोषणकी गुंजाइश ही नहीं है। विशाल यंत्रोदयोग एक मनुष्यके हाथमें घनके ढेर जिकट्ठे करते हैं, जिसके बल पर वह अनेक लोगोंसे अपने लिये कड़ी मेहनत कराता है। अपने मजदूरोंके लिये आदर्श स्थिति पैदा करनेकी भी शायद वह कोशिश करता होगा, फिर भी अुसमें अन्याय और शोषण तो रहता ही है और अुसका अर्थ अमुक रूपमें हिसा ही है।

जब मैं यह बात कहता हूं कि अुस जमानेमें समाज दूसरोंके शोषण पर नहीं किन्तु न्याय पर रचा गया था, तब मैं अितना ही बताना चाहता हूं कि सत्य और अहिंसा ऐसे गुण नहीं हैं, जिन्हें केवल व्यक्ति ही सिद्ध कर सकता है, बल्कि सारी जातियां और मानव-समाज भी अन पर अमल कर सकते हैं। जो गुण केवल मठ या कुटियामें ही खिल सकता है या व्यक्ति ही जिसका विकास कर सकते हैं, अुसे मैं गुण ही नहीं मानता। मेरी नजरमें ऐसे गुणकी कोअी कीमत नहीं है।

हरिजनसेवक, १-९-'४०

गांवोंका यातायात

गांवकी गाड़ीकी हिमायत

बड़ोदाके श्री अश्वरभाई अस० अमीनने मशीनके मुकाबले पशुओंके सामर्थ्यके विषयमें एक लम्बा पत्र मेरे पास भेजा है। असमें से प्रस्तुत बातें मैं यहां देता हूँ :

“खेतोंमें या थोड़ी दूरके काममें पशुओंसे काम लेना मशीनकी ताकतसे काम लेनेके बनिस्बत महंगा नहीं पड़ता और असलिअे अधिकांश बातोंमें पशु मशीनका मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन अस समय प्रवृत्ति यह है कि पशुओंके मुकाबलेमें हम मशीनकी शक्तिको ही तरजीह देते हैं।

“मिसालके तौर पर बैलगाड़ीको लीजिये। १०० रुपये गाड़ीके दाम हुओ और २०० रुपये बैलोंके। यह बैलगाड़ी गांवोंकी अूबड़-खाबड़ और रेतीली सड़कों पर १६ बंगाली मनका बोझ १५ मील प्रतिदिनके हिसाबसे ढो सकती है। असमें १२ आने दोनों बैलोंका, ६ आने गाड़ीवानका और ४ आने टूट-फूटका — अस तरह कुल रु० १-६-० रोज खर्च पड़ेगा। असके विरुद्ध एक टनवाली मोटर-लारी पर १५ मीलके लिअे कमसे कम एक गैलन पेट्रोल और कुछ लुब्रिकेटिंग ऑॅयिल खर्च होगा। असकी मरम्मत व सार-संभाल पर भी भारी खर्च आयेगा और असके लिअे बड़ी तनखाहका इ़ाबिवर रखना पड़ेगा। अस तरह १५ मीलकी लारीकी चलाओमें लुब्रिकेटिंग ऑॅयिल सहित पेट्रोल पर रु० १-१२-० खर्च होंगे, १२ आने रोज (८ घंटे कामके रु० ६ प्रतिदिनके हिसाबसे) सार-संभालके पड़ेंगे और ८ आने इ़ाबिवर, क्लीनर व लारीमें सामान रखने-अुतारनेके लिअे एक और आदमी रखने पर खर्च होंगे, जब कि १६ बंगाली मन

बोझा ढोनेवाली दो गाड़ियों पर १० १-६-० फी गाड़ीके हिसाबसे कुल १० २-१२-० खर्च होगा। अेक बैलगाड़ी अेक दिनमें ७ से ८ गाड़ी तक खाद लादकर गांवसे खेत तक, जो लगभग आधे मील पर होता है, ले जा सकती है। अिसमें १० १-६-० + ६ आने गाड़ीको भरने व खाली करनेमें गाड़ीवानकी मदद करनेवाले अतिरिक्त व्यक्तिकी मजदूरीका खर्च पढ़ेगा, जब कि मोटर-लारी यह काम करे तो अुसमें भी अिससे कम खर्च नहीं पढ़ेगा। हाँ, बड़िया पक्की सड़क हो और लगातार काफी लम्बी दूरी तक बजने के जाना हो, तब जरूर मोटर-लारी बाजी मार ले जायगी और बैलगाड़ी सुस्त और आर्थिक दृष्टिसे अनुपयोगी मालूम पढ़ेगी। बैलोंको लगातार लम्बी दूरी तक भगाये ले जाना भी बांछनीय नहीं है। क्योंकि अिससे अुनकी शक्ति और सामर्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है। मगर अितने पर भी रेलवे स्टेशनसे लेकर दूर-दूरके गांवों तक बैलगाड़ियां मोटर-लारियोंके मुकाबलेमें रात-दिन लम्बी दूरीका सफर तय करती हुओं पाओ जाती हैं। यह जरूर है कि अिन बैलगाड़ियोंके बैलोंकी शारीरिक दशा दयनीय होती है, क्योंकि कमाओंके अनुपातसे गाड़ी-मालिक अुन्हें खानेको कम देते हैं। अिस प्रकार मालको शीघ्रतासे ले जाने या आदमीके अेक जगहसे दूसरी जगह जानेके महत्व पर विचार करें, तो सिफं धीमी चाल ही अेक अंसी चीज है, जो बैलगाड़ीके विरुद्ध जाती है। मगर जो गांववाले खाली वक्तमें कोओं कमाओं नहीं करते, और जिनके लिए मोटरके कारण बचनेवाले समयका कोओं महत्व नहीं है, अुन्हें तो यही सोचना चाहिये कि थोड़ी दूरका काम पैदल चलकर ही निकालें और लम्बे सफरके लिए बैलगाड़ीका अिस्तेमाल करें। अगर कोओं किसान अपनी खुदकी गाड़ी रखे और अुसमें सफर करे, तो नकद पैसेके रूपमें अुसे कोओं रकम खर्च नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि अपने खेतमें पैदा हुओं चीजें खिलाकर ही वह बैलोंसे काम लेगा। सच तो यह है कि किसान चारे व अनाजको ही अपना पेट्रोल, गाड़ीको मोटर-लारी और बैलोंको

धाससे शक्ति अुत्पन्न करनेवाला अुसका बैंजिन समझे। मशीनमें न तो धासकी खपत होगी और न अुससे गोबर ही निकलेगा, जो कि खादके लिए बड़ा अपयोगी है। गांवमें बैल तो रखने ही पड़ते हैं और धास भी हर हालतमें होती है। अगर गाड़ी भी रहे तो अुसके कारण गांवके बढ़ाई और लुहारका घन्था चलेगा। और अगर गायको पालें तो वह कल्पतरुका काम देगी। बनस्पतियोंके तेलसे वह ठोस मक्खन या धी बनायेगी और साथ ही वह बैल पैदा करनेवाली मशीन भी होगी। जिस प्रकार ऐक पंथ दो काज सर्वेंगे।"

मोटर-लारीका आक्रमण सफल हो या न भी हो। बुद्धिमान कार्यकर्ता जिसके हानि-लाभका अध्ययन करके निश्चित रूपसे गांववालोंका पथप्रदर्शन करें, तो यह समझदारीकी बात होगी। अतः श्री ओश्वर-भाऊने जो कुछ लिखा है और जो दिशा मुझाओं है, अुस पर सब ग्रामसेवकोंको विचार करना चाहिये और देखना चाहिये कि अंसा करना कहां तक ठीक है।

हरिजनसेवक, ३-७-'३७

मोटर-लारी बनाम बैलगाड़ी

गांवोंमें प्रचार-कार्य करनेके लिए मोटर-लारियां अपयोगी होंगी या बैलगाड़ियां — जिस विषय पर अगस्तकी 'ग्रामोद्योग पत्रिका'में ऐक सुन्दर तर्कपूर्ण लेख प्रकाशित हुआ है, जो नीचे अद्भृत किया जाता है :

"हमसे पूछा गया है कि जिला बोर्ड और अन्य जिसी प्रकारकी संस्थायें, जो ग्रामोद्यारके लिए कुछ धनराशि अलग रखना चाहती है, अुस रकमको गांवोंमें विभिन्न प्रकारके प्रचार-कार्यके लिए मोटर-लारी खरीदनेमें लगायें तो कैसा हो। यह शुभ चिह्न है कि जिस प्रकारकी संस्थायें ग्रामोंके प्रति अपनी जिम्मेदारी महसूस करने लगी हैं और गांवों और शहरों

तथा शिक्षितों और अशिक्षितोंके बीचकी मौजूदा खाड़ीको पूरनेके लिये प्रयत्नशील ही रही है। यहां सवाल यह अठता है कि मोटर-लारियोंका, जो एक रातमें कभी गांवोंका चक्कर लगा सकती है, अिस कामको जल्दी करनेके लिये अपयोग किया जा सकता है या नहीं।

“सब खचोंमें, विशेषकर अनु खचोंमें जो विशुद्ध ग्रामीणोंकी भलाड़ीके लिये किये जाते हैं, हमें यह देखना जरूरी है कि व्यय हुबी धनराशि लौटकर गांवोंमें जाती है या नहीं। जिला और स्थानीय बोर्ड लोगोंसे धन प्राप्त करते हैं, अतः अन्हें ऐसी चीजें खरीदनी चाहिये, जिनसे लोगोंमें धनका प्रचलन और तेजीसे हो। यदि जिला और स्थानीय बोर्ड लोगोंसे टैक्स आदिके रूपमें जो रूपया बसूल करते हैं अुसे बाहर भेज दें, तो अिससे वहांके लोगोंकी गरीबी बढ़ेगी और अिसका जिला और स्थानीय बोर्डोंके कोष पर अवश्य असर पड़ेगा।

“कोओ स्थानीय संस्था कुछ हजार रुपयोंसे अधिक धन ग्रामोद्धारके लिये अलग नहीं रखती। अगर वह अिस प्रयोजनके लिये एक मोटर-लारी खरीदती है, तो अिसका अर्थ यह होता है कि वह ५,००० रुपये जिलेसे बाहर भेज देती है; अिसके सिवा टायरों आदिके स्थायी खर्चके साथ पेट्रोल आदि पर वह रोजाना जो खर्च करती है, वह भी गांववालोंके पास लौटकर नहीं आता बल्कि बाहर ही जाता है। अिस खर्चका स्पष्ट अद्वेश्य गांववालोंकी बेहतरी और खुशहाली है। किन्तु खेती, स्वास्थ्य, बालरक्षा और अिसी प्रकारके अन्य विषयों पर कभी-कभी होनेवाले भाषण या ग्रामोफोन व रेडियो सुननेके लायक बन सकनेके लिये यह भारी खर्च अठाना पड़ता है, जब कि अन्हें अपना और अपने परिवारका गुजारा केवल २ रुपये माहवारमें करना पड़ता है। अिस समय गांववालोंको सबसे अधिक जिस चीजकी जरूरत है, वह है रोजगार और काम। हम बाहरसे चीजें मंगाकर अन्हें कामसे वंचित कर देते हैं और अुसके मुआवजेमें अन्हें भाषण, मैजिक

लेन्टर्सके खेल और संगीत देते हैं, जिसके लिए वे स्वयं खर्च करते हैं, और हम अपनी पीठ ठोंकते हैं कि हम अनकी बेहतरीके लिए काम कर रहे हैं। क्या अिससे ज्यादा बेहूदी और कोअी बात हो सकती है?

“अब तुलना कीजिये कि मोटर-लारीकी जगह बहुत नफरतसे देखी जानेवाली बैलगाड़ीका अुपयोग किया जाय तो क्या होगा। अिससे बहुत तहलका शायद न मचे और न यह अुतने जोरसे अैलान कर सके कि कुछ आश्चर्यजनक चीज दुनियामें गांवोंके लिए की जा रही है। लेकिन अगर हमें सिर्फ अभिनय करना और ढोल पीटना अभीष्ट नहीं है, बल्कि वास्तविक शांत रचनात्मक कार्यकी जरूरत है, तो हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि बैलगाड़ी मोटर-लारीसे ग्रामीणोंका कहीं अधिक भला कर सकती है। वह दूर-दूरके गांवोंमें पहुंच सकती है, जहां मोटर-लारीका जाना कठिन है। अुसकी कीमत मोटर-लारीकी कीमतका बहुत छोटा भाग होनेके कारण अुतनी ही रकममें कभी बैलगाड़ियां खरीदी जा सकती हैं, जो जिलेके कभी ग्राम-समूहोंका भला कर सकती हैं। अिन पर खर्च किया हुआ पैसा गांवके बढ़ाई, लुहार और गाड़ीवानके जेबमें जाता है। बैलगाड़ी भी देखनेके लायक चीज बनाओ जा सकती है, बशर्ते अुसे वैज्ञानिक तरीकेसे बनाया जाय और अुसमें बढ़िया पहिये, स्टीलकी हाल और धुरी वगैरा काममें लिये जायं। अिन पर किया गया व्यय गांवमें से सम्पत्तिको बाहर ले जानेके बनिस्बत अुसे गांवकी ही ओर मोड़ेगा। मोटरकी तो वहां जरूरत, समझी जा सकती है, जहां किसी भी कामकी सफलताकी कसीटी कामका जल्दी होना माना जाय। मगर गांवोंमें प्रचारके लिए, जिसका अुद्देश्य ग्रामीणोंकी बेहतरी है, अैसी किसी चीजकी जरूरत नहीं। अिसके विपरीत, धीमे और स्थायी अुपाय अधिक फायदेमन्द साबित होंगे। अेक गांवसे दूसरे गांवमें भागनेके बनिस्बत अेक ही गांवमें कुछ समय बिताना अधिक लाभप्रद कहा जा सकता है। अिसी प्रकार अिससे मनुष्योंके जीवन तथा समस्यायें

अच्छी तरह समझी जा सकती हैं और अब उन समस्याओंको सुलझानेके लिये किया जानेवाला काम प्रभावात्मक हो सकता है।

“ असलिये मोटर-लारियों और ग्रामकार्यका अेकसाथ चलना बहुत बेतुका मालूम होता है। हमें जरूरत है स्थिर रचनात्मक प्रयत्नकी, न कि बिजली जैसी तेज रफ्तार और अूपरी तड़क-भड़ककी। हम स्थानीय बोडी और सार्वजनिक संस्थाओंको, जो गांववालोंकी भलाओंके कार्यमें वस्तुतः बहुत दिलचस्पी रखती हैं, सलाह देंगे कि वे ग्रामोद्धारके कार्यको गांवकी बनी हुओंके अस्तेमालसे प्रारम्भ करें और अब हालतोंका अध्ययन करें, जिनसे देशमें लगातार गरीबी बढ़ती जा रही है और अन्हें अेक-अेक करके हटानेमें अपनी सारी शक्ति लगा दें। जब ग्रामीण जीवनके लिये चारों तरफसे गहरे और खूब सोच-विचारकर प्रयत्न करनेकी जरूरत है, तब ऐसे अपायों पर, जो अेक रातमें ग्रामोद्धारका सञ्जबाग दिखाना चाहते हैं, सार्वजनिक धन खर्च करना अुसका नाश ही करना है।”

आशा है कि जो लोग ग्रामसेवाके कार्यमें दिलचस्पी रखते हैं, वे बैलगाड़ीके पक्षमें दी हुओंके स्पष्ट दलीलों पर ध्यान देंगे। जो गांवोंकी भलाओंके द्वारा गांवोंके पैसेका नाश हो, यह बड़ी निर्दयताकी बात है।

हरिजनसेवक, २-९-'३९

गांवके ढोर

[ग्रामवासियोंके साथ हुओंके अेक बातचीतसे ।]

बैल हमारे गांवोंमें हर जगह यातायातके साधन हैं; शिमला जैसी जगहमें भी अनका असल रूपमें अपयोग बन्द नहीं हुआ है। रेल और मोटर-लारियां वहां जाती हैं, लेकिन सारे पहाड़ी रास्ते पर मैंने बैलोंको भारी बोझसे लदी हुओंगाड़ियां खींचते देखा हैं। ऐसा लगता है कि यातायातका यह साधन मानो हमारे जीवन और सम्यताका अंग बन

गया है। और अगर हमारी दस्तकारियोंकी सम्यताको जिन्दा रहना है, तो बैलोंको जिन्दा रहना ही होगा।

आपको अिस बातका पता लगाना चाहिये कि गांवमें किसके होर सबसे अच्छे हैं और फिर अिस बातकी खोज करनी चाहिये कि वह अन्हें अितनी अच्छी हालतमें कैसे रख सकता है। आप अिसका पता लगावें कि गांवमें किसकी गाय सबसे ज्यादा दूध देती है और यह जानें कि वह अुसे किस तरह पालता और खिलाता है। आप गांवके सबसे अच्छे बैल और सबसे अच्छी गायके लिये अिनाम रख सकते हैं। आदर्श होरोंके बिना हमारे गांव आदर्श नहीं बन सकते।

हरिजन, १५-९-'४०

१०

ग्राम-स्वराज्य

पंचायतें

पंचायत हमारा बड़ा पुराना और सुन्दर शब्द है; अुसके साथ प्राचीनताकी मिठास जुड़ी हुड़ी है। अुसका शाब्दिक अर्थ है गांवके लोगों द्वारा चुने हुओं पांच आदमियोंकी सभा। यह अुस पद्धतिका सूचक है, जिसके द्वारा भारतके बेसुमार ग्राम-लोकराज्योंका शासन चलता था। लेकिन ब्रिटिश सरकारने महसूल वसूल करनेके अपने कठोर तरीकेसे अिन प्राचीन लोकराज्योंका लगभग नाश ही कर डाला है। वे अिस महसूल-वसूलीके आधातको सह नहीं सके। अब कांग्रेस-जन गांवके बड़े-बूढ़ोंको दीवानी और फौजदारी अिन्साफकी सत्ता देकर अिस पद्धतिको फिरसे जिलानेका अधूरा प्रयत्न कर रहे हैं। यह प्रयत्न पहले-पहल १९२१ में किया गया, लेकिन वह असफल रहा। अब वह दुबारा किया जा रहा है। लेकिन अगर वह व्यवस्थित और सुन्दर ढंगसे — मैं वैज्ञानिक तरीकेसे नहीं कहूंगा — नहीं किया गया, तो फिर असफल रहेगा।

नीतितालमें मुझे बताया गया कि संयुक्त प्रान्तकी कुछ जगहोंमें हस्तीके साथ होनेवाले बलात्कारके मामले भी तथाकथित पंचायतें ही चलाती हैं। मैंने अज्ञान या पक्षपातवाली पंचायतों द्वारा दिये गये कुछ बेतुके और अटपटांग फैसलोंके बारेमें भी सुना। अगर यह सब सच हो तो बुरा है। ऐसी अनियमित और नियम-विरुद्ध काम करनेवाली पंचायतें अपने ही बोझसे दबकर खत्म हो जायंगी। असलिए मैं ग्राम-सेवकोंके मार्गदर्शनके लिये नीचेके नियम सुझाता हूँ :

१. प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीकी लिखित विजाजतके बिना कोई पंचायत कायम न की जाय।

२. कोओ भी पंचायत पहले-पहल ढिंडोरा पिटवाकर बुलाओ गयी सार्वजनिक सभामें चुनी जानी चाहिये।

३. तहसील कमेटी द्वारा अुसकी सिफारिश की जानी चाहिये।

४. ऐसी पंचायतको फौजदारी मुकदमे चलानेका अधिकार नहीं होना चाहिये।

५. वह दीवानी मुकदमे चला सकती है, अगर दोनों पक्ष अपने झगड़े पंचायतके सामने रखें।

६. किसीको पंचायतके सामने अपनी कोओ बात रखनेके लिये मजबूर न किया जाय।

७. किसी पंचायतको जुर्माना करनेकी सत्ता नहीं होनी चाहिये; अुसके दीवानी फैसलोंके पीछे अेकमात्र बल अुसकी नैतिक सत्ता, कड़ी निष्पक्षता और संबंधित पक्षोंका स्वेच्छापूर्वक आज्ञा-पालन ही है।

८. गुनाह करनेवालोंका कुछ समयके लिये सामाजिक या दूसरी तरहका बहिष्कार नहीं होना चाहिये।

९. हरअेक पंचायतसे यह आशा रखी जायगी कि वह :

(क) अपने गांवमें लड़के-लड़कियोंकी शिक्षाकी तरफ ध्यान दे;

(ख) गांवकी सफाईका ध्यान रखे;

(ग) गांवकी दवादारूकी जरूरत पूरी करे;

(घ) गांवके कुओं या तालाबोंकी रक्षा और सफाईका काम देखें;

(ड) तथाकथित अस्पृश्योंकी अुम्रति और रोजाना जरूरतें पूरी करनेका प्रयत्न करे।

१०. जो पंचायत बिना किसी सही कारणके अपने चुनावके छह महीनेके भीतर नियम ९ में बताई गई शर्तें पूरी न करे, या दूसरी तरहसे गांवबालोंकी सद्भावना खो दे, या प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीको अुचित मालूम होनेवाले किसी कारणसे निन्दाकी पात्र ठहरे, अुसे तोड़ दिया जाय और अुसकी जगह दूसरी पंचायत चुन ली जाय।

शुरू-शुरूमें यह जरूरी है कि पंचायतको जुर्माना करने या किसीका सामाजिक बहिष्कार करनेकी सत्ता न दी जाय; गांवोंमें सामाजिक बहिष्कार अज्ञान या अविवेकी लोगोंके हाथमें अेक खतरनाक हथियार सिद्ध हुआ है। जुर्माना करनेका अधिकार भी हानिकारक साबित हो सकता है और अपने अुद्देश्यको ही नष्ट कर सकता है। जहां पंचायत सचमुच लोकप्रिय होती है और नियम ९ में सुझाये गये रचनात्मक कामके जरिये अपनी लोकप्रियताको बढ़ाती है, वहां वह देखेगी कि अुसकी नैतिक प्रतिष्ठाके कारण ही लोग अुसके फैसलों और सत्ताका आदर करते हैं। और वही सबसे बड़ा बल है, जो किसीके पास ही सकता है और जिसे कोभी अुससे छीन नहीं सकता।

यंग अिडिया, २८-५-'३१

ओंधमें ग्राम-लोकशाही

नन्हीं-सी रियासत ओंधको कौन नहीं जानता? आमदनी और विस्तारमें तो वह बहुत ही छोटी है, मगर ओंध-नरेशने बिना मांगे अपनी प्रजाको पूर्ण स्वराज्यकी नियामत बख्श कर अपनी और अपने राज्यकी कीर्ति चारों तरफ फैला दी है। ओंधके प्रधानमंत्री श्री अप्पासाहब पंतने अेक नौ पृष्ठकी आकर्षक पत्रिका छपाई है, जिसमें ओंध राज्यके अिस प्रयोगका वर्णन दिया गया है। अुसमें से मैं नीचेका भाग अुदृत करता हूँ:

“नये विधानकी नींव ग्राम्य प्रजातंत्र पर रखी गई है। हर गांवके प्रौढ़ मतदाता मिलकर पांच आदमियोंकी अेक

पंचायत चुनते हैं। अन पांचमें से अेकको पंचायत सर्वानुभवितसे अपना प्रमुख चुनती है। अगर पंचायत अिस तरहसे अेकमत न हो सके, तो गांवकी सब बालिग जनता पंचायतमें से अेकको अपना प्रमुख चुन लेती है। अिस तरह गांवोंके अेक समूहके प्रमुखोंकी मिलकर तालुका-पंचायत बनती है। आमदनीका रूपया कैसे खर्च किया जाय, अिसका फैसला तालुका-पंचायत अपनी बैठकोंमें करती है। तालुकेमें जितनी आमदनी हो, अुसमें से आधी पंचायतको मिलती है। गांव अपने-अपने बजट खुद तैयार करते हैं और अपने प्रमुखोंके हारा तालुका-पंचायतके सामने पेश करते हैं। अन सब पर पंचायतमें बहस होती है और सारे तालुकेका बजट तैयार किया जाता है। जो रकम गांवोंके हिस्से आती है, अुसे वे अपनी भरजीके मुताबिक खर्च कर सकते हैं। अभी तक यह खर्च प्रायः शिक्षा और सार्वजनिक सेवाके साधनों — अिमारतों, सड़कों वगैरा पर ही हुआ है।

“धारासभाके सदस्य न सिर्फ केन्द्रीय सरकारके कामकाजसे वाकिफ रहते हैं, बल्कि गांवोंके रोजके कारोबारसे भी निकट सम्बन्ध रखते हैं। तालुका-पंचायतकी बैठकोंमें शामिल होनेके कारण वे तालुकेके दूसरे गांवोंके कारोबारसे भी परिचित होते हैं। अिस तरह धारासभाके सदस्योंको लगभग दिनके बारहों घंटे सेवाकार्यमें खर्च करने पड़ते हैं। वे सिर्फ नामके ही सदस्य नहीं होते कि चुनावोंमें खड़े हो जायं, कुछ मुद्रोंको सामने रखकर चुनावमें जीत जायं और अुसके बाद अगले चुनाव तक मजेमें लापरवाहीकी नींद सोते रहें। अन्हें हर रोज ग्रामवासियोंका सामना करना पड़ता है। विधानके अनुसार ग्रामवासियोंको यह अधिकार है कि वे जब चाहें धारासभामें से अपने प्रतिनिधिको वापस बुला लें। इनके बहुमतसे पंचायतका फिरसे चुनाव करनेकी मांग की जा सकती है।

“पंचायतें अदालतका काम करती हैं। ग्रामवासीको फरियादकी सुनवाईके लिये न तो रूपया खर्च करना पड़ता है, न

गांवके बाहर ही कहीं जाना पड़ता है और न तालुकेके मुख्य कस्बे तक दौड़ लगानी पड़ती है। पंचायत वहींकी वहीं अुसके मुकदमेका फैसला कर देती है। किसान गांवमें से अपने गवाह ला सकता है और कोअी कठिन मुकदमा दरपेश हो, जिसमें कानूनके बहुत पेंच-बल आते हों, तो एक सब-जज गांवमें आ जाता है और पंचायतको मुंसिफी करनेमें मदद करता है। सब-जज न सिर्फ पंचायतको कानून-शास्त्रीके नाते प्रौढ़ सलाह देता है, बल्कि अकसर जब गांवकी गरीब प्रजाको अपने कानूनी हक्कोंकी खबर नहीं होती तो अनकी रहनुमाओं भी करता है, ताकि गुड़े अपना अुल्लू सीधा करनेके लिये अन्हें अुलटे रास्ते न लगा दें।"

अिस सबका नतीजा यह है कि औंधमें न्याय कम खर्चसे, शीघ्रतासे और अचूक ढंगसे प्रजाको मिलता है। अभी दो ही तालुकोंमें १९७ दीवानी और फौजदारी मुकदमे तय किये जा चुके हैं। ५० प्रतिशत फौजदारी और ७५ प्रतिशत दीवानी मुकदमोंमें कोअी वकील नहीं किया गया। चूंकि साक्षी सब स्थानीय होते हैं, अन्हें कुछ देना नहीं पड़ता। अिस तरह रुपया और समय दोनोंकी बचत होती है। अधिकांश मुकदमोंके एक ही पेशीमें फैसले हुआे। पेशीके समय गांवके सारे लोग आकर अदालतमें बिकट्ठे हो जाते हैं, अिसलिये झूठ बहुत कम बोला जाता है। क्योंकि वह फौरन पकड़ा जाता है। अिसी वजहसे बहुतसे मुकदमे कोर्टसे बाहर समझीते द्वारा भी तय हो जाते हैं। न्याय करनेकी यह क्रिया खुद ही एक जबरदस्त 'प्रौढ़-शिक्षा' है।

७२ गांवोंमें ८८ पाठशालाओं हैं। प्रौढ़ मताधिकारकी प्रणाली शुरू होनेके बाद प्रौढ़ जनताके ३५ प्रतिशत लोग पढ़ना-लिखना सीख चुके हैं। बुनियादी तालीम और शारीरिक विकास पर भी पूरा-पूरा ध्यान दिया जाता है।

अगर अप्पासाहबने यहां अिस प्रयोगके अुजले पहलू पर प्रकाश डाला है, तो अुसकी कठिनाइयों और मुसीबतोंको भी नजर-अंदाज नहीं किया है। मगर मैं यहां अनकी चर्चा नहीं करता। क्योंकि वे तो अिस

हमारे लोगोंका पुनर्निर्माण

६०

तरहके सारे प्रयोगोंमें हमेशा हुआ ही करती है। अगर लोकनेता अपनी अद्वा खो न दें, तो ये सब कठिनाभियां अपने-आप हल हो जायंगी।

हरिजनसेवक, १७-८-'४०

आजादी

आजादीसे मतलब है आम लोगोंकी आजादी, अन पर हुक्मत करनेवालोंकी आजादी नहीं। हाकिम आज जिन्हें अपने पांव तले रोंद रहे हैं, आजाद हिन्दुस्तानमें अन्हीं लोगोंकी मेहरबानी पर अन्हें रहना होगा। अनको लोगोंके सेवक बनना होगा और अनकी मरजीके मुताबिक काम करना होगा।

आजादी नीचेसे शुरू होनी चाहिये। हरअेक गांवमें जम्हूरी सल्तनत या पंचायतका राज होगा। असके पास पूरी सत्ता और ताकत होगी। असका मतलब यह है कि हरअेक गांवको अपने पांव पर खड़ा होना होगा — अपनी जरूरतें खुद पूरी कर लेनी होंगी, ताकि वह अपना सारा कारोबार खुद चला सके। यहां तक कि वह सारी दुनियाके स्थिलाफ अपनी हिफाजत खुद कर सके। असे तालीम देकर अस हद तक तैयार करना होगा कि वह बाहरी हमलेके मुकाबलेमें अपनी हिफाजत या रक्षा करते हुभे मर-मिटनेके लायक बन जाय। अस तरह आखिर हमारी बुनियाद व्यक्ति पर होगी। असका यह मतलब नहीं कि पड़ोसियों पर या दुनिया पर भरोसा न रखा जाय; या अनकी राजी-खुशीसे दी हुओी मदद न ली जाय। ख्याल यह है कि सब आजाद होंगे और सब अेक-दूसरे पर अपना असर डाल सकेंगे। जिस समाजका हरअेक आदमी यह जानता है कि असे क्या चाहिये और अससे भी बढ़कर जिसमें यह माना जाता है कि बराबरीकी मेहनत करके भी दूसरोंको जो चीज नहीं मिलती है, वह खुद भी किसीको नहीं लेनी चाहिये, वह समाज जरूर ही बहुत अूचे दर्जेकी सम्यतावाला होना चाहिये।

ऐसे समाजकी रचना सत्य और अहिंसा पर ही हो सकती है। मेरी राय है कि जब तक अश्वर पर जीता-जागता विश्वास न हो,

सत्य और अहिंसा पर चलना नामुमकिन है। ओश्वर या खुदा वह जिन्दा ताकत है, जिसमें दुनियाकी तमाम ताकतें समा जाती हैं। वह किसीका सहारा नहीं लेती और दुनियाकी दूसरी सब ताकतोंके खत्म हो जाने पर भी कायम रहती है। अस जीती-जागती रोशनी पर, जिसने अपने दामनमें सब कुछ लपेट रखा है, मैं विश्वास न रखूँ, तो मैं समझ न सकूँगा कि मैं आज किस तरह जिन्दा हूँ।

ऐसा समाज अनगिनत गांवोंका बना होगा। असका फैलाव अेकके ऊपर अेकके ढंग पर नहीं, बल्कि लहरोंकी तरह अेकके बाद अेककी शकलमें होगा। जिन्दगी मीनारकी शकलमें नहीं होगी, जहां अूपरकी तंग चोटीको नीचेके चौड़े पाये पर खड़ा होना पड़ता है। वहां तो समुद्रकी लहरोंकी तरह जिन्दगी अेकके बाद अेक घेरेकी शकलमें होगी और व्यक्ति असका मध्यबिन्दु होगा। यह व्यक्ति हमेशा अपने गांवके खातिर मिटनेको तैयार रहेगा। गांव अपने अिंद-गिर्दके देहातके लिए मिटनेको तैयार होगा। अस तरह आखिर सारा समाज ऐसे लोगोंका बन जायगा, जो अुद्धत बनकर कभी किसी पर हमला नहीं करते, बल्कि हमेशा नम्र रहते हैं, और अपनेमें समुद्रकी अस शानको महसूस करते हैं, जिसके बे अेक जरूरी अंग है।

असलिए सबसे बाहरका घेरा या दायरा अपनी ताकतका अस्तेमाल भीतरवालोंको कुचलनेमें नहीं करेगा, बल्कि अन सबको ताकत देगा और अनसे ताकत पायेगा। मुझे ताना दिया जा सकता है कि यह सब तो ख्याली तसवीर है, असके बारेमें सोचकर वक्त क्यों बिगाड़ा जाय? युकिलडकी परिभाषावाला बिन्दु कोओ अन्सान खींच नहीं सकता, फिर भी असकी कीमत हमेशा रही है और रहेगी। असी तरह मेरी अस तसवीरकी भी कीमत है। असके लिए अन्सान जिन्दा रह सकता है। अगरचे अस तसवीरको पूरी तरह बनाना या पाना मुमकिन नहीं है, तो भी अस सही तसवीरको पाना या अस तक पहुँचना हिन्दु-स्तानकी जिन्दगीका मकसद होना चाहिये। जिस चीजको हम चाहते हैं, असकी सही-सही तसवीर हमारे सामने होनी चाहिये, तभी हम अससे मिलती-जुलती कोओ चीज पानेकी अुम्मीद रख सकते ह। अगर हिन्दु-

स्तानके हरअेक गांवमें कभी पंचायती राज कायम हुआ, तो मैं अपनी अिस तसवीरकी सचाओंकी सावित कर सकूँगा, जिसमें सबसे पहला और सबसे आखिरी दोनों बराबर होंगे या यों कहिये कि न कोओंकी पहला होगा, न आखिरी।

अिस तसवीरमें हरअेक धर्मकी अपनी पूरी और बराबरीकी जगह होगी। हम सब अेक ही आलीशान पेड़के पत्ते हैं। अिस पेड़की जड़ हिलाओ नहीं जा सकती, क्योंकि वह पाताल तक पहुँची हुओी है। जबरदस्तसे जबरदस्त आंधी भी अुसे हिला नहीं सकती।

अिस तसवीरमें अुन मशीनोंके लिए कोओी जगह न होगी, जो अिन्सानकी मेहनतकी जगह लेकर चन्द लोगोंके हाथोंमें सारी ताकत अिकट्ठा कर देती हैं। सुधरे हुओ लोगोंकी दुनियामें मेहनतकी अपनी अनोखी जगह है। अुसमें अैसी मशीनोंकी गुंजाइश होगी, जो हर आदमीको अुसके काममें मदद पहुँचाये। लेकिन मुझे कबूल करना चाहिये कि मैंने कभी बैठकर यह सोचा नहीं कि अिस तरहकी मशीन कैसी हो सकती है। सिलाओीकी सिंगर मशीनका ख्याल मुझे आया था। लेकिन अुसका जिक्र भी मैंने यों ही कर दिया था। अपनी अिस तसवीरको मुकम्मल बनानेके लिए मुझे अुसकी जरूरत नहीं।

हरिजनसेवक, २८-७-'४६

पंचायत

शनिवारकी शामकी प्रार्थना संमलका नामके गांवमें हुओी। प्रार्थनाके बाद गांधीजीने कहा, मुझे बड़ी खुशी होती है कि आपने यहां पंचायत-घर बना लिया है। अिसके लिए मैं आपको जधाओी देता हूँ। लेकिन अगर आपने यहां पंचायतका काम न किया, तो पंचायत-घरसे क्या फायदा? पुराने जमानेमें यूनान, चीन और अन्य दूसरे देशोंसे मशहूर यात्री यहां आते थे। बड़ी-बड़ी तकलीफें अुठाकर वे हमारे देशमें ज्ञान पानेके लिए आते थे। अुन्होंने लिखा है कि हिन्दुस्तान अेक अैसा देश है, जहां कोओी चोरी नहीं करता, कोओी दरखाजोंको ताला नहीं लगाता। लोग ओमानदार और अुद्यमी हैं। सब लोग शराफतसे

रहते हैं। यह बात करीब दो हजार वर्ष पुरानी है। अब समय सिर्फ चार जातियां थीं। आज तो अितनी हो गयीं कि क्या कहना। पंचायत-घर बनाकर आपने अपने पर बड़ी जिम्मेदारी ले ली है। अिस पंचायतको आप सुशोभित करें। यहां आपसमें झगड़ा तो होना ही नहीं चाहिये। अगर झगड़ा हो तो पंच अपने निबटा दें। एक साल बाद में आपसे पूछूंगा कि आपके यहांसे कोई कोर्टमें गया था या नहीं। अगर ऐसा हुआ तो माना जायगा कि पंचायतने अपना काम नहीं किया। पंच परमेश्वरका काम करते हैं। आपकी कोर्ट एक ही होनी चाहिये — वह है आपकी पंचायत। अिसमें खर्च एक कौड़ीका नहीं और काम शीघ्रतासे हो जाता है। ऐसा होने पर न तो पुलिसकी जरूरत होगी और न मिलिटरीकी।

पंचायतको देखना है कि मवेशीको पूरा खाना मिलता है या नहीं। गाय आज पूरा दूध नहीं देती, क्योंकि अपने पूरा खाना नहीं मिलता। आज दरअसल हिन्दू गायको काटते हैं, मुसलमान या दूसरे कोई नहीं काटते। हिन्दू गायको अच्छी तरह रखते नहीं और आहिस्ता आहिस्ता अपनका कत्ल करते हैं। यह ज्यादा बुरा है। गायको हिन्दु-स्तानमें जितना कष्ट अठाना पड़ता है अुतना और किसी देशमें नहीं।

अिसी तरह आज जितना अन्न पैदा होता है, अपने दुगुना अन्न पैदा हो, यह देखना पंचायतका काम है। जमीनमें ठीक ढंगसे खाद देकर यह किया जा सकता है। मनुष्य और जानवरके मल और कचरेमें से सोनखाद तैयार हो सकता है, जिससे जमीनकी अपेक्षा बढ़ेगी।

तीसरा ख्याल आपको यह रखना है कि क्या यहांके सब लोग स्वस्थ हैं, भीतर और बाहरसे स्वस्थ हैं। यहांके रास्तों पर धूल, गोबर और कचरा बिलकुल नहीं होना चाहिये। मैं आशा करता हूं कि यहां सिनेमा-घर होगा ही नहीं। सिनेमासे हम काफी बुराओं सीख सकते हैं। कहते हैं कि सिनेमा शिक्षणका साधन बन सकता है। यह होगा तब होगा, लेकिन आज तो अपने बुराओं ही हो रही है। आप देशी खेलकूदको ही पसंद करेंगे। मैं आशा रखता हूं कि आपके यहां शराब, गांजा, अफीम वगैरा नशीली चीजें नहीं होंगी। आप अपने यहांसे छूआछूतका भूत निकाल फेंकेंगे। यहां हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख,

असाधी बगैरा सब सगे भागियोंकी तरह रहेंगे। यह सब आप कर लेंगे, तो आप सच्ची आजादीका नमूना पेश करेंगे। सारा हिन्दुस्तान आपके आदर्श गांवको देखने आयेगा और अुससे प्रेरणा लेगा।

हरिजनसेवक, ४-१-'४८

पंचायत-राज

[एक भाषणकी रिपोर्टसे]

हिन्दुस्तानके सच्चे लोकराज्यमें शासनकी अिकाओं गांव होगा। अगर एक गांव भी पंचायत-राज चाहता है, जिसे अंग्रेजीमें रिपब्लिक कहते हैं, तो कोओ अुसे रोक नहीं सकता। सच्चा लोकराज्य केन्द्रमें बैठे हुओ बीस आदमियोंसे नहीं चल सकता। अुसे हर गांवके लोगोंको नीचेसे चलाना होगा।

हरिजनसेवक, १८-१-'४८

११

गांवकी रक्षा

शान्ति-सेना

कुछ समय पहले मैंने अैसे स्वयंसेवकोंकी एक सेना बनानेकी तजवीज रखी थी, जो दंगों — खासकर सांप्रदायिक दंगोंको शान्त करनेमें अपने प्राणों तककी बाजी लगा दे। अिसके पीछे विचार यह था कि यह सेना पुलिसका ही नहीं, बल्कि फौज तकका स्थान ले ले। यह बात बड़ी महत्वाकांक्षाकी मालूम पड़ती है। शायद यह असंभव भी साबित हो। किर भी अगर कांग्रेसको अपनी अंहिंसात्मक लड़ाओीमें कामयावी हासिल करनी हो, तो अुसे ऐसी परिस्थितियोंका शांतिपूर्वक मुकाबला करनेकी अपनी शक्ति बढ़ानी ही चाहिये।

अिसलिये हम देखें कि जिस शांति-सेनाकी हमने कल्पना की है, अुसके सदस्योंकी क्या योग्यतामें होनी चाहिये :

१. शान्ति-सेनाका सदस्य पुरुष हो या स्त्री, अहिंसामें अुसका जीवित विश्वास होना चाहिये। यह तभी संभव है जब कि ओश्वरमें अुसका जीवित विश्वास हो। अहिंसक व्यक्ति तो ओश्वरकी कृपा और शक्तिके बिना कुछ कर ही नहीं सकता। अिसके बिना अुसमें क्रोध, भय और बदलेकी भावना रखते हुअे मरनेका साहस नहीं आयेगा। अैसा साहस तो अिस श्रद्धासे ही आता है कि सबके हृदयोंमें ओश्वरका निवास है और ओश्वरकी अुपस्थितिमें किसी भी भयकी जरूरत नहीं है। ओश्वरकी सर्वव्यापकताके ज्ञानका यह भी अर्थ है कि जिन्हें विरोधी या गुणे कहा जा सकता हो, अुनके प्राणोंका भी हम खयाल रखें। यह अिरादतन् दस्तांदाजी अुस समय मनुष्यके क्रोधको शांत करनेका एक तरीका है, जब कि अुसके अंदरका पशुभाव अुस पर हावी हो जाय।

२. शांतिके अिस दूतमें दुनियाके सभी खास-खास धर्मोंके प्रति समान श्रद्धा होना जरूरी है। अिस प्रकार अगर वह हिन्दू हो तो हिन्दुस्तानमें प्रचलित अन्य धर्मोंका आदर करेगा। अिसलिए देशमें माने जानेवाले विभिन्न धर्मोंके सामान्य सिद्धान्तोंका अुसे ज्ञान होना चाहिये।

३. आम तौर पर कहा जाय तो शांतिका यह काम केवल स्थानीय लोगों द्वारा अपने-अपने मुहल्लोंमें ही किया जा सकता है।

४. यह काम अकेले या जत्थोंमें हो सकता है। अिसलिए किसीको संगी-साथियोंके लिए अिन्तजार करनेकी जरूरत नहीं। फिर भी आदमी स्वभावतः अपनी बस्तीमें से कुछ साथियोंको ढूँढ़कर स्थानिक सेनाका निर्माण करेगा।

५. शांतिका यह दूत व्यक्तिगत सेवा द्वारा अपनी बस्ती या किसी चुने हुअे क्षेत्रमें लोगोंके साथ अैसे संबंध स्थापित करेगा, जिससे जब अुसे भद्री स्थितियोंमें काम करना पड़े, तो अुपद्रवियोंके लिए वह बिलकुल अैसा अजनबी न हो, जिस पर वे शक करें या जो अुन्हें नागवार मालूम पड़े।

६. यह कहनेकी तो जरूरत ही नहीं कि शांतिके लिए काम करनेवालेका चरित्र अैसा होना चाहिये, जिस पर कोअी अगुली न अठा सके और वह अपनी निष्पक्षताके लिए मशहूर हो।

७. आम तौर पर दंगोंके आनेसे पहले तूफान आनेकी चेतावनी मिल जाया करती है। अगर ऐसे आसार दिखाओ दें, तो शांति-सेना आग भड़क अठनेका अन्तजार न करके तभीसे परिस्थितिको संभालनेका काम शुरू कर देगी, जबसे अस्की संभावना दिखाओ दे।

८. अगर यह आंदोलन बढ़े तो कुछ पूरे समय काम करनेवाले कार्यकर्ताओंका असके लिए रहना अच्छा होगा, लेकिन यह बिलकुल जरूरी नहीं कि ऐसा हो ही। ख्याल यह है कि जितने भी अच्छे स्त्री-पुरुष मिल सकें अतने रखे जायं। लेकिन वे तभी मिल सकते हैं, जब कि स्वयंसेवक ऐसे लोगोंमें से मिलें, जो जीवनके विविध कार्योंमें लगे हुए हों; पर अनुके पास अितना अवकाश हो कि अपने अलाकोंमें रहनेवाले लोगोंके साथ मित्रताके संबंध पैदा कर सकें तथा वे सब योग्यतायें रखते हों, जो कि शांति-सेनाके सदस्यमें होनी चाहिये।

९. असके सेनाके सदस्योंकी ऐक खास पोशाक होनी चाहिये, जिससे कालांतरमें अनुन्हें बिना किसी कठिनाईके पहचाना जा सके।

ये सिर्फ आम सूचनायें हैं। अनिके आधार पर हरअेक केन्द्र अपना विधान बना सकता है।

हरिजनसेवक, १८-६-'३८

पुलिस-बलकी मेरी कल्पना

अहिंसक शासनमें भी ऐक मर्यादित हद तक पुलिस-बलके लिए स्थान होगा। यह मान्यता मेरी अपूर्ण अहिंसाका चिह्न है। पुलिसके बिना मैं काम चला सकूंगा, यह कहनेकी मेरी हिम्मत नहीं; जैसे कि यह कहनेकी हिम्मत है कि बिना फौजके मैं काम चला लूंगा। मैं जरूर ऐसी स्थितिकी कल्पना करता हूं, जब पुलिसकी भी जरूरत नहीं होगी। पर असका सच्चा पता तो अनुभवसे ही लग सकता है।

यह पुलिस आजकी पुलिससे बिलकुल भिन्न ही प्रकारकी होगी। असमें अहिंसामें विश्वास रखनेवालोंकी भरती होगी। वे लोगोंके सेवक होंगे, सरदार नहीं। लोग अनुकी मदद करते होंगे और रोज-ब-रोज कम होते जानेवाले अपद्रवोंका वे आसानीसे मुकाबला कर सकेंगे। पुलिसके पास

कुछ शस्त्र तो होंगे, पर अनुका अपयोग शायद ही कभी होगा। असलमें देखा जाय तो अिस पुलिसको सुधारकके तौर पर समझना चाहिये। ऐसी पुलिसका अपयोग मुख्यतः चौर-डाकुओंको काबूमें रखनेके लिये ही होगा। अहिंसक शासनमें मजदूर-मालिकोंका झगड़ा बचित् ही होगा, हड्डियालें शायद ही होंगी। क्योंकि अहिंसक बहुमतकी प्रतिष्ठा स्वभावतः अितनी बड़ी हुआ होगी कि समाजके मुख्य अंग अिस शासनका आदर करनेवाले होंगे। साम्प्रदायिक झगड़े भी अिस शासनमें नहीं होने चाहिये।

हरिजनसेवक, २४-८-'४०

अहिंसक सेवादल

अेक बार मेरे सुझानेसे ही शांतिदल कायम करनेकी कोशिशें हुआई थीं। लेकिन अनुका कोओ नतीजा नहीं निकला। अनुसे अितना सीखनेको मिला कि शांतिदल बड़े पैमाने पर काम नहीं कर सकते। बड़े-बड़े दलोंको चलानेके लिये सजा नहीं, तो सजाका डर तो होना चाहिये और जरूरत मालूम होने पर सजा दी भी जानी चाहिये। अैसे हिंसक दलमें आदमीके चाल-चलनको नहीं देखा जाता। अुसके कद और डील-डौलको ही देखा जाता है। अहिंसक दलमें अिसका ठीक अलटा होता है। अुसमें शरीरकी जगह गौण होती है। शरीरी ही सब कुछ है, यानी चरित्र सब कुछ है। अैसे चरित्रवान आदमीको पहचानना मुश्किल है। अिसलिये बड़े-बड़े शांतिदल कायम नहीं किये जा सकते। वे छोटे ही होंगे। जगह-जगह होंगे, हर गांव या हर मुहल्लेमें होंगे। मतलब यह कि जो जाने-पहचाने लोग हैं, अन्हींकी टुकड़ियां बनेंगी। वे मिलकर अपना अेक मुखिया चुन लेंगे। सबका दर्जा बराबर होगा। जहां अेकसे ज्यादा आदमी अेक ही तरहका काम करते हैं, वहां अनुमें अेकाध ऐसा होना चाहिये, जिसके हुक्मके मुताबिक सब कोओ चल सकें। ऐसा न हो तो मेल-जोलके साथ, सहयोगसे, काम न हो सकेगा। दो या दोसे ज्यादा लोग अपनी-अपनी मरजीसे काम करें, तो मुमकिन है कि अनुके कामकी दिशा अेक-दूसरेसे अलटी हो। अिसलिये जहां दो या दोसे ज्यादा दल हों वहां वे हिल-मिलकर काम करें, तभी काम चल सकता है और अुसमें कामयाबी हो सकती है।

अिस तरहके शांतिदल जगह-जगह हों, तो वे आरामसे और आसानीसे दंगा-फसादको होनेसे रोक सकते हैं। ऐसे दलोंको अखाड़ोंमें दी जानेवाली सभी तरहकी तालीम देना जरूरी नहीं। असमें से कुछ तालीम देना जरूरी हो सकता है।

सब शांतिदलोंके लिये एक चीज सामान्य होनी चाहिये। शांतिदलके हरअेक मेम्बरका ओश्वरमें अटल विश्वास होना चाहिये। असमें यह श्रद्धा होनी चाहिये कि ओश्वर ही सच्चा साथी है और वही सबका सरजनहार है, कर्ता है। अिसके बिना जो शांतिसेनाओं बनेंगी, मेरे ख्यालमें वे बेजान होंगी। ओश्वरको आप अल्लाहके नामसे पहचानें, अहुरमज्द कहें, जेहोवा कहें, जीता-जागता कायदा कहें, राम कहें, रहमान कहें, किसी भी नामसे पुकारें, मगर असकी शक्तिका अपयोग तो आपको करना ही है। अंसा आदमी किसीको मारेगा नहीं, बल्कि खुद मरकर मृत्युको जीतेगा और जी जायगा।

जिस आदमीके लिये यह कानून एक जीती-जागती चीज बन जायगा, असको वक्तके मुताबिक अबल भी अपने-आप सूझती रहेगी।

फिर भी अपने तजुरबेसे यहां मैं कुछ नियम देता हूँ:

१. सेवक अपने साथ कोई भी हथियार न रखे।
२. वह अपने बदन पर अंसी कोओ निशानी रखे, जिससे फौरन पता चले कि वह शांतिदलका मेम्बर है।
३. सेवकके पास घायलों वगैराकी सार-संभालके लिये तुरन्त काम देनेवाली चीज रहनी चाहिये। जैसे, पट्टी, कंची, छोटा चाकू, सुअी वगैरा।
४. सेवकको अंसी तालीम मिलनी चाहिये, जिससे वह घायलोंको आसानीसे अुठाकर ले जा सके।
५. जल्ती आगको बुझानेकी, बिना जले या झुलसे आगवाली जगहमें जानेकी, अपर चढ़ने और अतरनेकी कला सेवकमें होनी चाहिये।
६. अपने मुहल्लेके सब लोगोंसे असकी अच्छी जान-पहचान होनी चाहिये। यह खुद ही एक सेवा है।

७. अुसे मन ही मन रामनामका बराबर जप करते रहना चाहिये और अिसमें माननेवाले दूसरोंको भी ऐसा करनेके लिये समझाना चाहिये ।

कुछ लोग आलस्यकी वजहसे या झूठी आदतकी वजहसे यह मान बैठते हैं कि अीश्वर तो है ही और वह बिना मांगे मदद करता है, फिर अुसका नाम रटनेसे क्या फायदा ? हम अीश्वरकी हस्तीको कबूल करें या न करें, अिससे अुसकी हस्तीमें कोओी कमी-बेशी नहीं होती, यह सच है । फिर भी अुस हस्तीका अपयोग तो अन्यासी ही कर पाता है । हरअेक भौतिक शास्त्रके लिये यह बात सौ फीसदी सच है, तो फिर अध्यात्मके लिये तो यह अुससे भी ज्यादा सच होनी चाहिये । फिर भी हम देखते हैं कि अिस मामलेमें हम तोतेकी तरह रामनाम रटते हैं और फलकी आशा रखते हैं । सेवकमें अिस सचाओंको अपने जीवनमें सिद्ध करनेकी ताकत होनी चाहिये ।

हरिजनसेवक, ५-५-'४६

१२

ग्रामसेवक

ग्रामसेवा

[गुजरात विद्यापीठके कार्यकर्ताओंके साथ हुआई बातचीतसे ।]

ग्रामसेवकके जीवनका मध्यबिन्दु चरखा होगा । यह चिन्तन मैं करता ही रहता हूँ कि गांवोंमें व्यापक और सहायक अद्योगोंके रूपमें तथा दरिद्रता दूर करनेवाले साधनके रूपमें चरखा किस प्रकार स्थापित किया जा सकता है । अभी तो अिस तरह चरखेकी हमारे जीवनमें ठीक-ठीक साधना हुआई ही नहीं । खादीके मूलमें मेरी जो कल्पना है, वह तो यह है कि खादी हमारे किसानोंके लिये 'अन्नपूर्णा' का काम करेगी । वह अन्हें काम देगी । आज हमारे देशमें न तो अद्योग हैं, न स्वावलम्बन । यहां तो आलस्यने गहरी जड़ें जमा ली हैं । अद्योग और स्वावलम्बनको यदि देशमें पुनः लौटाना है, तो यह केवल चरखेके द्वारा ही संभव है ।

ग्रामसेवक गांवोंमें जाकर नियमपूर्वक चरखा चलाकर सूत ही नहीं कातेगा, बल्कि अपनी जीविकाके लिये बसूला तथा हथीड़ा चलायेगा, कुदाली या फावड़ा चलायेगा या हाथ-पैरसे जो भी मजदूरी कर सके करेगा। लाने-पीने और सोनेके लिये आठ घंटे निकालकर बाकीका असका सारा समय किसी न किसी काममें लगा ही रहेगा। अपना एक मिनट भी वह बेकार न जाने देगा। काहिलीको न तो वह अपने पास फटकने देगा, न दूसरोंके पास। वह लोगोंको यह बतलाता रहेगा कि मुझे तो यज्ञ करना है, शारीरिका पालन-पोषण शारीरिक श्रमसे ही करना है। हमारे देशसे अगर यह आलस्य विदा न हुआ, तो कितनी ही मुविधायें क्यों न मिलें लोग भूखों ही मरेंगे। जो अबके दो दाने साता है अुसे चार दाने अुपजानेका धर्म स्वीकार करना ही चाहिये। ऐसा न हुआ तो जनसंख्या चाहे कितनी ही कम हो जाय, हमारी भुखमरीकी समस्या हल न होगी। और अगर ऐसा हो जाय, अिसे धर्म मान लिया जाय, तो दूसरे करोड़ों मनुष्य भी हिन्दुस्तानमें पलने लगें।

अिस तरह ग्रामसेवक अद्यमकी जीती-जागती मूर्ति होगा। वह कपास बोनेसे लेकर चुनने और बुनने तककी खादीकी सभी क्रियाओंमें निष्णात बनेगा और हमेशा अन्हें पूर्ण बनानेका ही विचार करता रहेगा। अगर वह अिसे शास्त्र मानेगा तो यह अुसे अरुचिकर नहीं लगेगा; बल्कि ज्यों-ज्यों वह अिसकी भारी संभावनाओंको समझेगा, त्यों-त्यों रोजाना वह अिससे नया आनन्द प्राप्त करेगा। अिस प्रकार जिन सेवकोंने ग्रामसेवाके काममें रस लिया होगा, वे गांवोंमें जायंगे तो शिक्षकके रूपमें, पर वहां खुद सीखनेवाले बनकर रहेंगे; नित्य नूतन शोध और साधना करते रहेंगे। मेरी कल्पना यह नहीं है कि वे १६ घंटे खादीके ही काममें लगे रहें, बल्कि खादीके कामसे जितना समय अन्हें मिले, असमें वे गांवके चालू अद्योग-धंधोंकी खोज करें और अनमें दिलचस्पी लें तथा लोगोंके जीवनमें अपनेको ओतप्रोत कर दें। खादी या चरखेमें भले ही लोगोंको विश्वास न हो, तो भी अिन सेवकोंको वे मनुष्य तो समझेंगे ही और अिनके जीवनसे अन्हें जो अुपयोगी बातें मिलेंगी अन्हें वे ग्रहण करेंगे। सेवक किसानोंके कर्जकी समस्या हल करने जैसे अपनी शक्तिसे बाहरके कामोंमें हाथ नहीं डालेंगे।

गांवकी सफाई और स्वच्छता ग्रामसेवकका एक दूसरा मुख्य काम होगा। अपने रहनेके घर और आसपासकी जगहको वह ऐसी साफ-सुखरी रखेगा कि देखनेवालोंका दिल ही न भरेगा। पर जिस तरह वह अपने घर-आंगनको साफ रखेगा, उसी तरह लोगोंके आंगन और सारे गांवमें भी सफाई करता रहेगा।

ग्रामसेवक गांवोंमें वैद्यराज या डॉक्टर बननेका धंधा नहीं करेंगे। ये ऐसे फंदे हैं जिनसे बचना चाहिये। हरिजन-प्रवासमें मुझे एक ग्रामाश्रम देखनेका मौका आया। पर वहां मैंने जो देखा, अससे बड़ा क्षोभ हुआ। आश्रमके व्यवस्थापक और कार्यकर्ताओंको मैंने खूब खरी-खोटी सुनाई। मैंने कहा, वाह, आपने यह खूब आश्रम बनाया! यहां तो आप एक आलीशान महल बनाकर बैठे हैं। अिसमें दवाखाना भी खोल दिया। पास-पड़ोसके गांवोंमें आपके स्वयंसेवक घर-घर दवायें बाटते फिरते हैं। आप मुझे बड़े गर्वसे कहते हैं कि नित्य दूर-दूरसे लोग दवा लेने हमारे आश्रममें आते हैं और हर माह १२०० मरीजोंकी औसत हाजिरी रहती है। लोगोंको अिस तरह दवा-दारू देनेका काम आपका नहीं है। आपका काम तो अन्हें सफाई, स्वच्छता और आरोग्यके नियम सिखानेका है। स्वेच्छाचारी बनकर, गंदे रहकर और गांवको गंदा रखकर ये लोग बीमार पड़ें और आपका दवाखाना अिन्हें दवाइयां दे यह तो ग्रामसेवा नहीं है। आपको तो गांववालोंको संयम और स्वच्छता सिखानी चाहिये, जिससे बीमारी अनुके पास फटकने ही न पावे। अिस आलीशान अिमारतको छोड़कर आप सामनेके झोंपड़ोंमें जा बसें। यह मकान भाड़ेसे लोकल बोर्डिंगको अुठा दें। आपको याद होगा कि चंपारनमें हमारे पास कुनैन, अंडीका तेल और आयोडीन यही दो-तीन दवायें रहती थीं। आरोग्य और सफाईकी बात ही ग्रामसेवकको लोगोंके दिलोंमें बिठानी है।

जिसके बाद ग्रामसेवकको गांवके हरिजनोंकी सेवा करनी है। अुसका घर हमेशा हरिजनोंके लिये खुला रहेगा। संकट और कठिनाईके समय स्वभावतः वे लोग अुसके पास दौड़े आयेंगे। अगर गांववाले अुस सेवकके घरमें हरिजनोंका आना-जाना पसन्द न करें और अुसे अपनी बस्तीसे

निकाल बाहर कर दें, या वह वहां रहकर हरिजन-सेवा न कर सके, तो वह हरिजन-बस्तीमें ही जाकर बस जाय।

अब दो शब्द शिक्षाके बारेमें। बात असलमें यह है कि हाथके पहले बालकोंकी आंख, कान और जीभ काम करेगी। असिलिये अितिहास, भूगोल आदि जो भी अध्यापक अन्हें पढ़ायेगा, वह जबानी ही पढ़ायेगा। असिले बाद बच्चा वर्णमाला और बारहखड़ी पढ़ेगा और फिर अक्षर-चित्र बनानेका अभ्यास करेगा। असिका पूरा-पूरा प्रयोग आपको करना चाहिये। मुझे लगता है कि लोगोंकी बुद्धि तक पहुंचकर अुसे जाग्रत करनेका मेरा यह स्वाभाविक मार्ग सुगमसे सुगम है। लोगोंको हमें भ्रमजालमें नहीं डालना है। अगर हमने अनुसे यह कहा कि अक्षर-ज्ञानके बिना शिक्षा प्राप्त नहीं होगी, तो वे अुलटे ही रास्ते जायंगे। बड़ोंको और बालकोंको असिले प्रकार मौखिक ज्ञान देनेकी बात मेरी असिले ग्राम-संगठनकी कल्पनामें मौजूद है। किन्तु कोओ असिका यह अर्थ न करे कि मैं साक्षरताका विरोधी हूं। मैं तो अक्षर-ज्ञानका सदुपयोग चाहता हूं।

ग्रामसेवकका जीवन गांवके जीवनसे मेल खानेवाला होगा। वह साहित्यिक या ज्ञान-विलासी जीवन बिताकर गांववालोंको सच्ची शिक्षा नहीं दे सकेगा। अुसके पास तो चरखा, करघा, बसूला, हथौड़ा, कुदाली, फावड़ा वगैरा औजार होंगे। किताबें पढ़नेमें वह कमसे कम समय देगा। लोग जब अुससे मिलने आयेंगे तब वे अुसे पड़े-पड़े किताबोंके पन्ने अुलटते न देखेंगे। अन्हें वह औजार चलाता हुआ ही मिलेगा। मनुष्य जितना खाता है अुससे अधिक पैदा करनेकी शक्ति ओश्वरने अुसे दी है। दुर्बलसे दुर्बल मनुष्य भी अितना पैदा कर सकता है। असिले लिये वह अपने बुद्धिबलका अुपयोग करेगा। लोगोंसे वह कहेगा कि मैं आपकी सेवा करनेके लिये आया हूं पेटके लिये आप मुझे दो रोटियां दे दें। संभव है कि लोग अुसका तिरस्कार करें। फिर भी वह अपने गांवमें जमा रहेगा। किसी जगह अुसे सनातनी रोटी न दें, तो हरिजन भाआई तो देंगे ही। अुसने यदि सर्वार्पण कर दिया है, तो हरिजनोंके घरसे रोटी लेनेमें अुसे लज्जित न होना चाहिये। पर जहां लोगोंका सहयोग न मिले, वहां वह खुद कोओ भी अुद्योग करके अपनी

जीविका चला सकता है। शुरू-शुरूमें तो जहां संभव हो वहां किसी सामाजिक संस्थासे थोड़ा-सा पैसा लेकर वह अपना निर्वाह कर सकता है।

यदि रखिये कि हमारे सारे अस्त्र-शस्त्र आध्यात्मिक हैं। आध्यात्मिक शक्ति हाथमें आजी कि फिर अुसे कोई रोक नहीं सकता। यद्यपि आध्यात्मिक शक्ति अन आंखोंसे प्रत्यक्ष दिखाओ देनेवाली कोई साकार चीज नहीं है। अिसलिए आपकी सब प्रवृत्तियोंकी भूमिका आध्यात्मिक ही होनी चाहिये। अिसलिए आपका व्यवहार और चरित्र सौ टंच शुद्ध होना चाहिये।

आप यह न कहें कि ग्रामसेवाका यह कार्यक्रम तो हमसे पूरा नहीं होगा, यह चीज असंभव है, हममें अिसके लिये जरूरी योग्यता नहीं है। मेरा तो यह कहना है कि यदि यह बात अच्छी तरह आपके दिलमें बैठ गजी हो, तो आप सब लोग यह कार्यक्रम पूरा कर सकते हैं। आप अिसके योग्य हैं। प्रयोग करनेमें शरम कैसी? हमें तो गांवोंमें बैठकर अिसे अमलमें लाना है। अमल करते-करते ही तो अनुभव प्राप्त होगा।

हरिजनसेवक, ७-९-'३४

गांवोंकी तीर्थयात्रा

श्री सीताराम शास्त्री ग्रामसेवकोंकी अंसी यात्राओंका आयोजन कर रहे हैं, जिन्हें हम तीर्थयात्रा कह सकते हैं। ये ग्रामसेवक अपने अिर्दिगिर्द ग्रामसेवाका संदेश लेकर जाते हैं। मैं यह सलाह दूंगा कि ग्रामयात्रियोंको रेल, मोटर और गांवकी बैलगाड़ियोंकी सवारीसे भी परहेज रखना चाहिये। अगर वे मेरी सलाह मानेंगे, तो देखेंगे कि अनुके कामका और भी अधिक असर पड़ेगा और असलमें ऐक पाओ भी अनुकी खर्च न होगी। दो-तीन आदमियोंसे अधिकका यात्रीदल नहीं होना चाहिये। मुझे आशा है कि ग्रामवासी अंसे छोटे-छोटे यात्रीदलोंको अपने घरोंमें टिका भी लेंगे और अन्हें प्रेमसे रोटी-भाजी भी खिला देंगे। भार तो बेचारे गांववालों पर बड़े-बड़े यात्रीदलोंकी मेहमानीका पड़ता है, दो-दो तीन-तीन सेवकोंकी छोटी टोलियोंका नहीं।

अिन ग्रामसेवकोंको अधिक ध्यान ग्रामोंके स्वास्थ्य और स्वच्छता पर देना चाहिये। अन्हें गांवोंकी हालतोंके तथ्य और आंकड़े अिकट्ठे

हमारे गांवोंका पुनर्निर्माण

७४

करने चाहिये। गांववालोंको ऐसी सलाह देनी चाहिये कि बिना अधिक पूँजी लगाये वे कौनसा भूद्योग कर सकते हैं और किस तरह अपने स्वास्थ्य और आर्थिक स्थितिको सुधार सकते हैं।

हरिजनसेवक, २९-३-'३५

पुरानोंकी जगह नये तरीके?

काफी अनुभवके बिना ग्रामसेवकोंको पुराने औजारों, पुराने तरीकों और पुराने नमूनोंमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। पुरानी मौजूदा भूमिकाको कायम रखकर अगर वे सुधारकी बात सोचेंगे तो सलामत रहेंगे। वे देखते कि यही सच्चा अर्थशास्त्र है।

हरिजन, २९-३-'३५

एक ग्रामसेवकका प्रश्न

अिस प्रश्नके जवाबमें कि क्या ग्रामसेवक दूध, फल और शाक-भाजी ले सकता है, जो गांववाले नहीं खा सकते, गांधीजीने लिखा:

ग्रामसेवकको खास बात यह ध्यानमें रखनी चाहिये कि वह ग्रामवासियोंकी सेवा करनेके लिये ही गांवमें गया है और वहां आहारकी तथा दूसरी ऐसी जरूरतकी चीजें लेनेका अुसे अधिकार है, अुसका धर्म है, जिनसे वह अपने शरीरमें अितना स्वास्थ्य और शक्ति बनाये रखे कि गांवकी सेवा अच्छी तरह कर सके। यह सही है कि ऐसा करते हुये ग्रामसेवकको अपने रहनेके ढंग पर ग्रामवासियोंकी अपेक्षा कुछ अधिक खर्च करना पड़ेगा। पर मेरा ऐसा ख्याल है कि ग्रामवासी ग्रामसेवककी जरूरी चीजोंको डाहकी दृष्टिसे नहीं देखते। ग्रामसेवकका अन्तःकरण ही अुसके आचरणकी कसौटी है। वह संयमसे रहे, स्वादके लिये कोओी चीज न खाये, विलासितामें न पड़े और जब तक जागता रहे तब तक सेवाकार्यमें ही लगा रहे। फिर भी यह संभव है कि अुसके रहन-सहन पर कोओी टीका-टिप्पणी करें। पर अुस आलोचना या निन्दाकी अुसे कोओी परवाह नहीं करनी चाहिये। मैंने जिस आहारकी सलाह दी है, वह सब गांवोंमें मिल सकता है। दूध आम तौरसे गांवोंमें मिल जाता है और बेर, करौदा, अमरुद वांगा

अनक प्रकारके फल भी गांवोंमें आसानीसे मिल जाते हैं। अन फलोंको जिसीलिए हम कोओी महत्त्व नहीं देते कि वे आसानीसे मिल जाते हैं। गांवोंमें अनेक तरहकी पत्तियां या वनपस्तियां काफी प्रचुरतासे मिलती हैं। पर हम केवल अपने अज्ञान या आलस्यके कारण अन्हें अपयोगमें नहीं लाते। मैं खुद आजकल ऐसी अनेक प्रकारकी हरी पत्तियां खा रहा हूं, जिन्हें पहले मैंने कभी जीभ पर नहीं रखा था। पर अब मुझे ऐसा मालूम होता है कि ये सब पत्तियां पहलेसे ही खानी चाहिये थीं। गांवमें गाय रखना पुसा सकता है और अपना खर्च तो वह खुद निकाल सकती है। मैंने यह प्रयोग किया नहीं है, किन्तु मुझे लगता है कि यह चीज संभव होनी चाहिये। मेरा यह भी ख्याल है कि ग्रामसेवकके जैसा आहार ग्रामवासियोंको भी मिल सकता है और अुसे वे ले सकते हैं। और जिस तरह ग्रामसेवकके जैसा रहन-सहन रखना ग्रामवासियोंके लिए भी कोओी असंभव बात नहीं है।

हरिजनसेवक, ३०-८-'३५

ग्रामसेवकोंके साथ बातचीत

[साररूपमें]

खादी निश्चय ही हमारे ग्रामोद्योग-रूपी सौर-मंडलका केन्द्रीय स्थान लेगी। किन्तु यह याद रखें कि हमें गांवोंको वस्त्र-स्वावलंबी बनानेमें अपना सारा ध्यान अेकाग्र करना है। वस्त्र-स्वावलंबनकी खादीके पीछे पीछे व्यापारी खादी तो चलेगी ही।

बेशक, गांवोंमें जो भी अद्यम प्राप्त हों और जिस चीजकी बाजारमें खपत हो सके, अुसे आप अवश्य हाथमें ले लें। पर यह ध्यानमें रखना चाहिये कि धाटे पर कोओी दुकान न चलाओ जाय और न ऐसी चीजें बनायी जायें, जिनकी बाजारमें खपत न हो। जो भी देशी हुनर आपको पसन्द हो, अुसमें नित्य आठ घंटेका समय दीजिये और गांववालोंको यह करके बतलाओये कि जिस तरह हम लोग गुजारे-भरका पैसा पैदा कर सकते हैं, अुसी तरह आप लोग भी आठ घंटे काम करके पैदा कर सकते हैं।

गांवमें अपने साथ आप कोओी संगी-साथी न ले जायें। हमारी नीति यह है कि अेक ग्राममें या ग्राम-समूहमें अेक ही सेवक भेजा जाय।

जितने भी संगी-साथी वह चाहे, अुतने अपने गांवमें से चुन लें। वे यह अुसकी निगरानीमें काम करेंगे, पर अुस गांवकी जास जिम्मेदारी तो अुसी पर रहेगी।

हमें अिस यंत्रयुगके लोभपाशमें नहीं फँसना चाहिये। हम तो अपने परीर-यंत्रोंको पूर्ण और काम करने योग्य औजार बनायें और अुनका अच्छेसे अच्छा अुपयोग करें। यही आपका कर्तव्य कर्म है। अिसीको लेकर आप हिम्मतके साथ आगे बढ़ें।

हरिजनसेवक, २-११-'३५

भयकी भावना

अनेक ग्रामसेवक अिस बातसे बड़े भयभीत रहते हैं कि गांवोंमें अपने गुजर-बसरके लिये वे क्या करेंगे। अुन्हें अिस बातका बड़ा भय है कि अगर किसी संस्था या व्यक्तिसे अुन्हें खर्चा न मिला, तो गांवोंमें कोओरी काम करके तो वे अपना गुजारा शायद ही चला सकेंगे। फिर अगर वे कहीं विवाहित हुओं और कुटुम्बका भी भार अुन पर हुआ, तब तो अुन्हें और भी ज्यादा चिन्ता होती है। लेकिन मेरी रायमें अुनकी यह धारणा ठीक नहीं है। अिसमें शक नहीं कि अगर कोओरी आदमी शहरी मनोवृत्तिके साथ गांवमें जाय और शहरकी ही तरह वहां भी अपना रहन-सहन रखना चाहे, तब तो अुसके लिये वहां अपने गुजारे लायक कमाओरी करना असंभव ही है। अुस हालतमें तो वह तभी अुतनी कमाओरी कर सकता है, जब कि शहरवालोंकी तरह वह ग्रामवासियोंका शोषण करे। लेकिन अगर कोओरी किसी ब्रेक गांवमें जा बसे और वहां गांववालोंकी तरह ही रहनेकी कोशिश करे, तो अपने परिश्रम द्वारा अपना गुजर करनेमें अुसे कोओरी दिक्कत नहीं होगी। अुसे अिस बातका विश्वास होना चाहिये कि जब वे ग्रामवासी भी किसी न किसी तरह अपने गुजारेके लायक कमा ही लेते हैं—जो बारहों महीने बाप-दादोंके बकतसे चले आये ढरें पर, अपनी बुद्धिका अुपयोग किये बांगर, आंख मूँदकर चले जाते हैं—तो वह भी कमसे कम अुतना तो कमा ही लेगा जितना कि औसतन् कोओरी ग्रामवासी कमा लेता है। और बैसा करते हुओ वह किसी ग्रामवासीकी रोजी भी नहीं मारेगा; क्योंकि

गांवमें वह अुत्पादक बनकर जायेगा, न कि दूसरोंकी कमाई पर गुलछरें अुड़ानेवाला (परोपजीवी) बनकर।

गांवमें जानेवाले ग्रामसेवकके साथ अगर अुसका साधारण परिवार भी हो, तो अुसकी पत्नी तथा परिवारके अन्य व्यक्तियोंको चाहिये कि वे भी दिनभरकी पूरी मशक्कत करें। यह तो नहीं कहा जा सकता कि गांवमें जाते ही कोओ कार्यकर्ता गांववालोंकी तरह कड़ी मशक्कत करने लगेगा। लेकिन अगर वह अपनी हिचक और भयकी भावना छोड़ दे, तो यह जरूर है कि अपनी मेहनतकी कमीकी पूर्ति वह बुद्धिमत्तापूर्वक काम करनेसे कर लेगा। जब तक कि गांववाले अुसकी सेवाकी अितनी कद्रन करने लगें कि अुसका सारा समय अनकी अधिकसे अधिक सेवामें ही बीतने लगे, तब तक अुसे कोओ ऐसा अुत्पादक कार्य करते रहना चाहिये, जिससे दूसरों पर बोझ पड़े बिना अुसका खर्च चलता रहे। हाँ, जब अुसका सारा समय सेवामें ही लगने लगे, तब वह अुस अतिरिक्त अुत्पत्तिमें से बतौर कमीशनके कुछ पानेका पात्र होगा, जो कि अुसके द्वारा प्रेरित अुपायोंके फल-स्वरूप होने लगेगी। लेकिन ग्रामोद्योग-संघकी देखरेखमें जो ग्रामकार्य शुरू हुआ है, अुसका कुछ महीनोंका अनुभव तो यह जाहिर करता है कि गांववालोंमें हमारी पैठ बहुत धीरे-धीरे होगी और कार्यकर्ताको गांववालोंके सामने अपने आचरणसे यह सिद्ध कर देना पड़ेगा कि श्रम और सदाचरणकी दृष्टिसे वह अनुके लिए अेक नमूना है। अिससे अन्हें बड़ा सुन्दर पाठ मिलेगा और अगर कार्यकर्ता गांववालोंका संरक्षक बनकर अपनी पूजा करानेके बजाय अन्हींमें से अेक बनकर, अर्थात् अनुके साथ हिल-मिलकर रहेगा, तो देर-अबेर अुसका असर पड़े बिना नहीं रहेगा।

अब सवाल यह है कि जीविकाके लिए गांवमें कौनसा काम किया जाय? अुसे और अुसके घरवालोंको अपना कुछ न कुछ समय तो गांवकी सफाईमें लगाना ही होगा, चाहे गांववाले अिसमें अुसकी मदद करें या न करें। और साधारण तौर पर दवा-दारूकी जो सीधी-सादी मदद वह कर सकता है वह भी करेगा ही। अितना तो हर कोओ कर ही सकता है कि कुनैन या अिसी तरहकी मामूली दवा बता दे, घाव या जख्म धोकर साफ कर दे, मैली आंखों और कानोंको धो दे और घाव पर साफ मरहम

लगा दे। मैं ऐसी किसी किताबकी खोजमें हूँ, जिसमें गांवोंमें हमेशा ही होनेवाली मामूली बीमारियोंके लिये सरलसे सरल अपाय और हिदायतें हों। क्योंकि कैसी भी हों, ये दोनों बातें तो ग्रामकार्यका मूल अंग होंगी ही। लेकिन अनमें ग्रामसेवकका दो घंटे रोजसे अधिक समय न लगना चाहिये। ग्रामसेवकके लिये आठ घंटेका दिन जैसी बात नहीं है। ग्रामवासियोंके लिये वह जो श्रम करता है, वह तो प्रेमका श्रम है। अतः अपने गुजारेके लिये अन दो घंटोंके अलावा, अुसे कमसे कम आठ घंटे तो लगाने ही होंगे। यह ध्यान रखनेकी बात है कि चरखा-संघ और ग्रामोद्योग-संघने जो नभी योजना बनाओ है, अुसके अनुसार तो सब तरहके श्रमका कमसे कम मूल्य या महत्व अेकसा ही है। अस प्रकार जो पिजारा अपनी पीजन पर अेक घंटा काम करके औसत परिमाणमें रुअी धुनकता है, वह ठीक अुतनी ही मजदूरी पायेगा जितनी कि अुतने समयके अर्थात् अेक घंटे तक निश्चित परिमाणमें किये हुओ कामके लिये किसी बुनकर, कतवैये या कागज बनानेवालेको मिलेगी। असलिये ग्रामसेवक अपनी अच्छाके अनुसार कोओ भी अैसा काम कर सकता है, जिसे वह आसानीसे कर सके; अलबत्ता, यह खबरदारी हमेशा रखनी चाहिये कि काम अैसा ही चुना जाय, जिसके फलस्वरूप तैयार होनेवाला माल अुसी गांवमें या अुसके आसपासके अिलाकेमें खप सके अथवा जिस मालकी संघको जरूरत हो।

अस बातकी जरूरत तो हरअेक गांवमें ही ही कि अैसी कोओ दुकान वहां हो, जहांसे खाने-पीनेकी चीजें शुद्ध और वाजिब दामों पर मिल सकें। यह ठीक है कि दुकान चाहे कितनी ही छोटी हो, फिर भी अुसके लिये थोड़ी-बहुत पूँजी तो चाहिये ही। लेकिन जो कार्यकर्ता अपने कार्यक्षेत्रमें थोड़ा भी परिचित होगा, अुसकी ओसानदारी पर लोगोंका अितना विश्वास तो होगा ही कि दुकानके लिये थोड़ा थोक माल अुसे अधार मिल जाय।

अस तरहके और अदाहरण देनेकी अब जरूरत नहीं। जो सेवक सतत निरीक्षणकी वृत्तिसे काम करेगा, अुसे नित-नभी बातोंका पता लगता ही रहेगा और वह जल्दी ही यह जान लेगा कि अुसे कौनसा अैसा काम करना चाहिये, जिससे अुसका निर्वाह भी हो और जिन ग्रामवासियोंकी अुसे सेवा करनी है अुनके लिये वह आदर्श भी अपस्थित कर सके। अतेव

अुसे अैसा कोओी काम चुनना पड़ेगा, जिससे ग्रामवासियोंका शोषण न हो और न अनुके आरोग्य या नैतिकताको ही धक्का लगे, बल्कि अन्हें अपने फुरसतके समयमें हुनर-अद्योगका कोओी काम करके अपनी बरायनाम आम-दनीमें कुछ बृद्धि करनेकी शिक्षा मिले। सतत निरीक्षणसे अुसका ध्यान अन चीजोंकी ओर जायगा, जो गांवोंमें अकारण ही बरबाद होती हैं—जैसे खेतोंमें फसलके साथ अुग आनेवाले घासपात और दूसरी अपने-आप पैदा होनेवाली चीजें। बहुत जल्द अुसे पता लग जायेगा कि अनमें से बहुतसी तो बड़ी अुपयोगी हैं। अनमें से खाने या अन्य अुपयोगकी बनस्पतियोंका वह चुनाव कर ले, तो गोया वह अपनी रोजी कमानेके बराबर ही होगा। मीरावहनने तरह-तरहके पथर गांवोंसे लाकर मुझे दिये हैं, जो देखनेमें संगमरमरके जैसे सुन्दर लगते हैं और बड़े अुपयोगी हैं। मुझे फुरसत मिली तो शीघ्र ही मैं मामूली औजारोंसे अन्हें तरह-तरहकी शकलोंमें बदलकर बाजारमें बेचने लायक बना दूंगा। काकासाहबने बांसकी सड़ी-गली खपचियोंको, जो निकम्मी समझकर जलाओ जानेवाली थीं, एक मामूली चाकूके सहारे कागज काटनेके चाकुओं और लकड़ीके चम्मचोंमें परिणत कर दिया, जिन्हें एक हृद तक बाजारमें बेचा भी जा सकता है। मगनवाड़ीमें कुछ लोग फुरसतके समयका अुपयोग रही कागजोंके, जो एक तरफ कोरे होते हैं, लिफाफे बनानेमें करते हैं।

दरअसल बात यह है कि गांववाले अब बिलकुल निराश हो चुके हैं। किसी भी अजनबीको देखकर अन्हें यही ख्याल होता है कि वह अनका गला दबाने और अनका शोषण करनेके लिये आया है। बुद्धि और श्रमका संबंध-विच्छेद हो जानेसे अर्थात् अनमें बुद्धिशक्ति न होनेसे अनकी विचारशक्ति कुंठित हो गयी है। कामके समयका भी वे सर्वोत्तम अुपयोग नहीं करते। ग्रामसेवकको चाहिये कि जैसे गांवोंमें वह अपने हृदयमें प्रेम और आशा भरकर जाय। अुसे अिस बातका आत्म-विश्वास होना चाहिये कि जहां विवेकहीनतासे काम करके स्त्री-पुरुष सालमें छह महीने बेकार बैठे रहते हैं वहां वह पूरे साल विवेकपूर्वक काम करेगा, तो निश्चय ही ग्रामवासियोंका विश्वासपात्र बन जायगा और अनके बीच परिश्रम करता हुआ ओमानदारीके साथ अपने निर्वाहके लायक कगाओ उपलब्ध कर सकेगा।

'लेकिन मेरे बालबच्चों और अनुकी पढ़ाओंका क्या होगा?' यह बात ग्रामसेवकोंके अिच्छुक कार्यकर्ता पूछते हैं। अगर बच्चोंको आधुनिक हँगकी शिक्षा देनी हो, तो मैं कोअी ऐसी बात नहीं बता सकता जो कारगर हो। हाँ, अगर अन्हें स्वस्थ, मजबूत, औमानदार और समझदार ग्रामवासी बनाना काफी समझा जाय, जिससे कि जब चाहें तब वे गांवमें अपनी रोजी कमा सकें, तो अन्हें सारी शिक्षा अपने मां-बापकी छत्रछायामें ही मिल जायगी; और असके साथ-साथ जैसे ही वे सोचने-समझने लायक अुमरको पहुंचेंगे और अपने हाथ-पैरोंका ठीक-ठीक अपयोग करने लग जायगे, वैसे ही अपने परिवारमें वे थोड़ी-बहुत कमाओं भी करने लगेंगे। सुधङ्ग घरके समान कोअी स्कूल नहीं हो सकता, न औमानदार और सदाचारी माता-पिताके समान कोअी अध्यापक हो सकते हैं। आधुनिक माध्यमिक शिक्षा तो गांववालों पर अेक बोझ है। अनके बच्चे कभी भी असे ग्रहण नहीं कर सकेंगे। और औश्वरकी कृपा है कि सुधङ्ग घरेलू शिक्षा अन्हें प्राप्त हो, तो वे अससे महरूम भी हरगिज नहीं रहेंगे। ग्रामसेवक, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, अगर अंसा न हो कि अपने घरको सुधङ्ग रख सके, तो असके लिए ग्रामसेवक बननेका अूँचा विशेषाधिकार और सम्मान प्राप्त करनेकी आकांक्षा न रखना ही ठीक होगा।

हरिजनसेवक, २३-११-'३५

ग्रामसेवकोंके प्रश्न

कार्यकर्ताओंकी सभामें गांधीजीसे भाषणके लिए कहनेके बजाय कार्यकर्ताओंने अन्हें अपने प्रश्नोंकी अेक सूची दे दी और अन पर प्रकाश ढालनेकी अनसे प्रार्थना की।

अनमें पहला प्रश्न ग्रामसेवकोंके कर्तव्योंके बारेमें था। गांधीजीने कहा कि ग्रामसेवकका अेकमात्र कर्तव्य यह है कि वह गांववालोंकी सेवा करे; और वह अनकी सर्वोत्तम सेवा तभी कर सकता है, जब वह ग्यारह बातोंको प्रकाश-स्तम्भकी तरह सदा अपने सामने रखे। ये बातें विनोबाजीके बनाये हुये दो पद्धोंमें दी हुयी हैं, जिन्हें देशके अधिकांश आश्रमोंमें प्रार्थनाके समय रोज गाया जाता है:

अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य असंग्रह
शरीर-श्रम अस्वाद सर्वत्र भय-वर्जन
सर्वधर्मी समानत्व स्वदेशी स्पर्श-भावना
हीं अेकादश सेवावीं नम्रत्वे व्रत-निश्चये ।

[अर्थात् : अहिंसा, सत्य, अस्तेय (चोरी न करना), ब्रह्मचर्य, असंग्रह (किसी चीज पर अपना कब्जा करके न बैठ जाना), शारीरिक श्रम, अस्वाद, निर्भयता, सब धर्मोंके प्रति अेकसा आदर-भाव, स्वदेशी, छूतछातका भाव न रखते हुआे सबके प्रति भ्रातृभाव — जिन ग्यारह बातोंका विनम्रताके साथ, व्रतके रूपमें पालन करना चाहिये ।]

दूसरा प्रश्न ग्रामसेवकोंके निर्वाहिके बारेमें था। अनुहें अपना गुजर कैसे करना चाहिये? क्या वे किसी संस्थासे वेतन लें या अुसके लिअे कोओी काम करें अथवा गांववालों पर आश्रित रहें? गांधीजीने कहा : “आदर्श तरीका तो गांववालों पर आश्रित रहना ही है। जिसमें शर्मकी कोओी बात नहीं, यह तो विनम्रता है। जिसमें कार्यकर्ताके बहुत खर्चीला हो जानेकी भी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि गांववाले अुसके खर्चीलेपनको न तो प्रोत्साहन देंगे और न बरदाश्त ही करेंगे। जिस दशामें कार्यकर्ताका काम जितना ही होगा कि कामके समय वह गांववालोंके लिअे ही काम करे और अपने लिअे जितने अनाज और साग-सब्जीकी जरूरत हो अुसे गांववालोंसे जुटा ले। डाकके तथा अन्य छोटे-मोटे खर्चकी अगर अुसे जरूरत हो, हालांकि मेरे खयालमें तो ये खर्च ऐसे नहीं हैं कि अुनके बिना ग्रामसेवकोंका काम ही नहीं चल सके, तो अुनके लिअे भी वह अुनसे थोड़ी रकम ले सकता है। अगर गांववालोंके कहने पर ही वह गांवमें गया होगा, तो गांववाले खुशीसे अुसका खर्च चलायेंगे। हां, अैसा भी हो सकता है कि गांववालोंको अुसके विचार न पटें और वे अुससे सहयोग करना बन्द कर दें, जैसा कि १९१५ में जब मैंने अस्पृश्योंको सत्याग्रहाश्रममें प्रविष्ट किया तब मेरे साथ हुआ था। अुस समय ग्रामसेवकको अपने निर्वाहिके लिअे खुद कोओी काम करना चाहिये; किसी संस्था पर आश्रित रहना व्यर्थ है।”

तीसरा प्रश्न शारीरिक श्रमके बारेमें था। अिसके जवाबमें कहा गया कि गांवमें काम करनेवालेको जहां तक हो सके ज्यादासे ज्यादा शारीरिक श्रम करके गांववालोंको अपनी काहिली दूर करनेकी शिक्षा देनी चाहिये। वैसे तो वह हर तरहकी मेहनतके काम कर सकता है, लेकिन मैला अुठानेके कामको अुसे तरजीह देना चाहिये। यह निश्चय ही अुत्पादक-श्रम है। कुछ कार्यकर्ताओंने कमसे कम आध घंटा पूर्णतः सेवामें और अुत्पादक-श्रममें ही लगाने पर जो जोर दिया है वह मुझे पसन्द है। और मैला अुठानेका काम निश्चय ही अिस तरहका है। यही हाल चक्की-पिसाओंका है, क्योंकि बचत करना भी तो एक तरहसे कमाओ चाहिये।

चौथा प्रश्न डायरी (रोजनामचा) रखनेके बारेमें था। गांधीजीका यह निश्चित मत है कि ग्रामसेवकको अपने समयके अेक-अेक मिनटका हिसाब देनेके लिये तैयार रहना चाहिये और सारे समयके कार्यको स्पष्ट रूपसे अपनी डायरीमें अंकित करना चाहिये। सच्ची डायरी तो डायरी लिखनेवालेके मन और आत्माकी एक ज्ञानकी होती है। लेकिन यह जरूर है कि बहुतोंको अपनी मानसिक हलचलोंका सच्चा विवरण अंकित करना बहुत मुश्किल मालूम पड़ेगा। अुस हालतमें, वे अपनी शारीरिक हलचलोंको ही अुसमें अंकित करें। लेकिन यह लापरवाहीके साथ नहीं होना चाहिये। खाली अिस तरह लिख देनेसे काम नहीं चलेगा कि 'रसोओंमें काम किया।' अिसके साथ निश्चित रूपसे यह लिखना होगा कि कबसे कब तक क्या क्या और किस तरह काम किया।

पांचवां प्रश्न दुबलों* के बीच काम करनेके संबंधमें था, जो गुजरातके कुछ हिस्सोंमें लगभग गुलामोंकी ही तरह काम करते हैं। दुबलोंकी सेवाका अर्थ, गांधीजीने कहा, यह है कि हम अुनके दुःख-दर्दोंमें भागीदार बनें और अुनके मालिकोंसे मिल-जुलकर अिस बातका प्रयत्न करें कि वे अुनके साथ न्याय और दयालुताका व्यवहार करें।

अंतमें गांधीजीने कहा — “ग्रामसेवकको राजनीतिसे अलग रहना चाहिये। वह कांग्रेसका सदस्य तो बन सकता है, लेकिन चुनावकी हलचलमें

* गुजरातकी एक आदिवासी जाति।

अुसे भाग नहीं लेना चाहिये। क्योंकि वह तो अपने कामकी दिशा निहित कर चुका है। ग्रामोदय-संघ और चरखा-संघ दोनों कांग्रेसके बनाए हुए हैं, मगर अपना काम वे स्वतंत्र रूपसे करते हैं। यही कारण है कि वे और अनेक सदस्य कांग्रेसकी राजनीतिक हलचलोंसे अलग रहते हैं। यही अहिंसक मार्ग है।

“गांवकी दलबन्धियों, वहांके झगड़ों-टंटोंमें भी अुसे (ग्राम-सेवको) नहीं पड़ना चाहिये। अुसे तो वहां अिस निश्चयके साथ जाकर जमना चाहिये कि जिन बहुतसी बातोंके बिना शहरमें अुसका काम नहीं चलता था अनेक बिना अुसे वहां रहना होगा। अगर मैं किसी गांवमें बैठ जाऊँ तो मुझे अिस बातका निश्चय करना पड़ेगा कि कौन-कौनसी चीजें ऐसी हैं जिन्हें चाहे जितनी निर्दोष होने पर भी मुझे गांवमें नहीं ले जाना चाहिये। देखना यह होगा कि वे चीजें साधारण ग्रामवासियोंके जीवनसे मेल खाती हैं या नहीं और अनुसे वहां बजाय भलाओंके कोओ बुराओं तो नहीं फैलेगी? ग्रामसेवक बहुत शुद्ध और अूंचे दर्जेका होना चाहिये, जो खुद तो किसी प्रलोभनमें फंसे ही नहीं, साथमें गांववालोंको भी प्रलोभनोंका शिकार न होने दे। यह तो निश्चय है कि अेक शुद्धात्मा भी सारे गांवको बचा सकता है, जैसे कि अेक विभीषणने लंकाको बचाया था। अिसलिए बहुत पहले ही मैं यह कह चुका हूं कि अपनी रक्षाके लिए हिन्दुस्तान सत्यको छोड़े, अिसके बजाय खुद वही मिट जाय तो कोओ बुराओं न होगी।”

हरिजनसेवक, २९-२-'३६

आन्तरिक भय

कोओ भी शक्तिशाली आन्दोलन या संस्था बाह्य आक्रमणोंसे नहीं मर सकती। आन्तरिक विनाश ही अुसकी मृत्युका कारण हो सकता है। अिसलिए जिन चीजोंकी सबसे ज्यादा जरूरत है वे ये हैं—असंदिग्ध और निष्कलंक चरित्र, कार्यकी पद्धतिके बढ़ते ज्ञानके साथ अनवरत प्रयत्न और अत्यन्त सादा जीवन। कार्यके ज्ञानसे शून्य और ग्रामीणोंके सादे जीवनकी अपेक्षा अधिक शान-शौकतकी जिन्दगी बसर करनेवाले चरित्रहीन कार्यकर्ता अन पर किसी प्रकार भी अच्छा असर नहीं डाल सकते।

जिन पंक्तियोंको लिखते हुअे मुझे अब कार्यकर्ताओंका स्मरण आ रहा है, जिन्होंने सच्चरित्र और सादगीके अभावमें ग्रामीणोंके हितको तथा अपनेको भी नुकसान पहुंचाया है। सौभाग्यसे दुश्चरित्रताकी स्पष्ट मिसालें बहुत कम हैं। किन्तु इस कार्यमें सबसे बड़ी रकावट कार्यकर्ताओंकी ग्रामीण जीवनके स्तर पर अपने जीवनको चला सकनेकी अयोग्यता है। अगर प्रत्येक कार्यकर्ता अपने कामकी अितनी कीमत लगाने लगे, जिसका बोझ ग्रामसेवा अठा न सके, तो नतीजा यह होगा कि अन संस्थाओंको अपना कारोबार समेटना पड़ेगा।

धोड़ीसी अस्थायी अवस्थाओंको छोड़कर शहरोंके पैमाने पर तनखाहोंकी अदायगीका अिसके सिवा कोओी मतलब नहीं कि गांवों और शहरोंके बीचकी खाड़ीको पाटा नहीं जा सकता। हमें अिस तथ्यको अपनी आंखोंसे ओझल न कर देना चाहिये कि ग्राम-सुधारका आन्दोलन शहरियोंके लिअे भी अुतना ही शिक्षाकी वस्तु है जितना कि स्वयं ग्रामीणोंके लिअे है। शहरसे आये हुअे कार्यकर्ताओंको ग्रामीण मनोवृत्ति अपनाकर अुसके अनुसार ग्राम्य जीवन बितानेकी कला सीखनी चाहिये। अिसका यह मतलब कभी नहीं कि वे भी ग्रामीणोंकी तरह आधे भूखे रहने लगें। अिसका तो सिर्फ अितना ही मतलब है कि अनके पुराने जीवनके ढंगमें मौलिक परिवर्तन होना चाहिये। जहां एक तरफ गांवोंके जीवन-मानको अूंचा अठानेकी जरूरत है, वहां दूसरी तरफ शहरोंके जीवन-मानको अिस तरह नीचा करनेकी जरूरत है कि जिससे अनके स्वास्थ्य पर कोओी बुरा असर न पड़े।

हरिजनसेवक, ११-४-'३६

ग्रामसेवक-शिक्षणालयके विद्यार्थियोंसे बातचीत

आज मुझे कहना तो तुम्हारे भावी कार्य और जीवनके आदर्शके विषयमें है। जिस अर्थमें आज अंग्रेजीका 'केरियर' शब्द प्रयुक्त होता है, वैसा 'केरियर' बनानेको तुम यहां नहीं आये हो। आज तो लोग मनुष्यकी कीमत पैसेसे आंकते हैं और अुसकी शिक्षा बाजारकी बिक्रीकी चीज बन गई है। मनमें यह गज लेकर अगर तुम लोग यहां

आये हो, तब तो यह समझ लो कि तुम्हारे जीवनमें निराशा ही लिखी है। यहांसे शिक्षा प्राप्त करके निकलोगे तो शुरूमें जो १० रु० माहवार पारिश्रमिक तुम्हें मिलेगा। अन्त तक वही मिलता रहेगा। किसी बड़ी कोठीके मैनेजर या बड़े अफसरको जो तनख्वाह मिलती है, अुसके साथ अिसका मुकाबला न करना।

हमें तो ये चालू पैमाने (स्टेण्डर्ड) ही बदल देने हैं। हम तुम्हें ऐसे किसी 'केरियर' का वचन नहीं देते। सच्ची बात तो बल्कि यह है कि अिस तरहकी अगर तुम्हारी महत्वाकांक्षा हो, तो हम अुससे तुम्हें बचा लेना चाहते हैं। आशा हम यह रखते हैं कि तुम्हारा भोजन-खर्च ६ रु० मासिकके भीतर हो। एक आभी० सी० अेस० का खाना-खर्च शायद ६० रु० मासिक आयगा। पर अिसका यह मतलब नहीं कि वह किसी तरह तुमसे शारीरिक शक्ति, बुद्धि या नैतिकतामें बड़ा होगा। यह राजसी भोग भोगते हुओ भी संभव है वह शारीरिक शक्ति, बुद्धि या नैतिकतामें तुमसे कम हो। मैं मानता हूं कि तुम अपनी शक्तिको रूपये-पैसेके गजसे नापनेके लिअे अिस शिक्षण-शालामें नहीं आये हो; नगण्य-सा निर्वाह-खर्च लेकर देशको अपनी सेवा देनेमें ही तुम आनन्द अनुभव करते हो। शेयर बाजारमें एक मनुष्य भले हजारों रुपये कमाता हो, पर वह हमारे अिस कामके लिअे बिलकुल निकम्मा साबित हो सकता है। वह मनुष्य हमारी सीधी-सादी परिस्थितिकी जगहमें आ जाय तो दुःखी ही होगा, जिस तरह कि हम अुसकी परिस्थितिकी जगहमें पहुंच जायं तो दुःखी होंगे।

देशके लिअे हमें आदर्श मजदूरोंकी जरूरत है। वे अिस चिन्तामें न पड़ें कि अन्हें खाने-पहननेको क्या मिलेगा या गांवोंके लोग अन्हें क्या-क्या सुख-सुविधायें देंगे। अपनी आवश्यकताओंको वे श्रद्धापूर्वक औश्वर पर छोड़ दें और अिससे अन्हें जो भी कठिनाइयां या दुःख सहने पड़ें अनमें भी वे सुख मानें। ७ लाख गांवोंका जिस देशमें विचार करना है, वहां यह सब अनिवार्य है। हमें ऐसे वेतनभोगी सेवक नहीं पुसा सकते, जिनकी नजर हमेशा वेतन-बुद्धि, प्रोविडेण्ट फण्ड या पेंशन पर रहती है। हमारे लिअे तो ग्रामवासियोंकी निष्ठामय सेवा ही सन्तोष है।

तुममें से कुछ लोगोंके मनमें यह प्रश्न अठ रहा होगा कि गांधीोंके लोगोंके लिये भी क्या यही पैमाना है? निश्चय ही नहीं। यह तो हम सेवकोंके लिये है, हमारे स्वामी जो ग्रामवासी हैं अनुके लिये नहीं। अितने बरसोंसे हम अनुके ऊपर भाररूप बने हुए हैं। अब हम अिसलिये अपनी अच्छासे गरीबी स्वीकारना चाहते हैं कि अनुकी स्थिति कुछ सुधरे। हमें करना यह है कि आज वे जो करते हैं, अुसमें वे हमारे प्रयत्नसे कुछ बढ़ि कर सकें। ग्रामोद्योग-संघका यही अद्देश्य है। मैंने जैसे सेवकोंका वर्णन किया है, अनुकी संख्या संघमें अगर बढ़ती न गयी, तो यह अद्देश्य सफल नहीं हो सकेगा। तुम सब अिस प्रकारके ग्रामसेवक बनो।

हरिजनसेवक, ३०-५-'३६

ग्रामसेवा

[ग्रामसेवक-शिक्षणालय, वर्धाके विद्यार्थियोंके साथ हुअी गांधीजीकी बातचीतसे ।]

प्रश्न — गांवके लोग आपसे कभी मिलने आते हैं?

अुत्तर — आते हैं, पर कुछ डरते हुए और शायद थोड़ी शंका भी अनुके मनमें रहती है। ग्रामवासियोंकी ये भी कमजोरियां हैं। अनुकी ये कमजोरियां भी हमें दूर करनी होंगी।

प्र० — यह आप कैसे करेंगे?

अ० — धीरे धीरे अनुके दिलमें जगह करके हमें अनुका यह भय और सन्देह दूर करना होगा कि हम अनुसे जबरन् कोओी काम कराने आये हैं। हम अपने रोजके मुहब्बतके बर्तावसे ही यह दिखा सकेंगे कि हमारा जबरदस्ती या स्वार्थ-साधनका कोओी अिरादा नहीं है। पर यह सब धीरजका काम है। तुम अपनी सचाओी और ओमानदारीका अेकाअेक तो विश्वास नहीं जमा सकते।

प्र० — क्या यह ठीक है कि जो लोग किसी संस्था या किसी गांवसे कोओी पारिश्रमिक या वेतन लिये बगेर काम करते हैं वे ही जनताके विश्वासपात्र बन सकते हैं?

अ० — नहीं, मेरा ऐसा खयाल नहीं है। बेचारे गांववालोंको तो यह भी पता नहीं होता कि कौन वेतन लेकर काम कर रहा है और कौन नहीं। अनुके अूपर तो असलमें हमारी अन बातोंका असर पड़ता है कि हम किस ढंगसे रहते हैं, हमारी आदतें कैसी हैं, हम कैसी बातचीत करते हैं। यही नहीं, हमारे हरअेक भाव या चेष्टा तकका अनुके अूपर असर पड़ता है। शायद अनमें से कुछ लोग हम पर यह सन्देह करें कि हम यहां रुपया-पैसा कमानेकी गरजसे काम कर रहे हैं, तो हमें अनका यह सन्देह भी दूर करना होगा। पर तुम यह बात दिलमें न जमा लेना कि जो किसी संस्था या गांवसे कुछ भी नहीं लेता वही आदर्श ग्रामसेवक है। ऐसा मनुष्य अकसर घमंडमें आकर अपनेको औरोंसे अूचा समझने लगता है, जिससे अुसका पतन हो जाता है।

प्र० — आप हमें गांवके अद्योग-धन्धे सिखा रहे हैं। अिसका अद्देश्य क्या है? क्या ये धन्धे हमारे जीविका कमानेके साधन होंगे या अन्हें हम गांवके लोगोंको सिखा सकेंगे? अगर गांवके लोगोंको सिखानेके लिए ही हमें ये विषय पढ़ाये जा रहे हैं, तो अेक सालमें हम अन अद्योग-धन्धोंमें निष्णात कैसे हो सकते हैं?

अ० — तुम्हें तो मामूली धन्धोंका ही ज्ञान कराया जा रहा है। क्योंकि जब तक तुम्हें यह जानकारी न होगी, तब तक तुम अपनी सलाहसे लोगोंको मदद नहीं पहुंचा सकोगे। तुममें जो सबसे अधिक अुत्साही और कर्मशील होंगे, वे बेशक किसी अेक धन्धेके जरिये अपनी रोजी कमा सकते हैं।

प्र० — श्री राजगोपालाचार्यने अुस दिन हमारे विद्यालयमें कहा था कि 'किसी अद्योगमें पूरी तरहसे कुशलता प्राप्त किये बगैर गांवमें जाना बेकार है। गांवोंमें जाकर तुम लोग अन्हें कोओी अद्योग सिखाना चाहते हो, तो तुम्हें अनुसे अच्छे किसान, अच्छे बुनकर और अनुसे अच्छे चर्मकार बगैरा बननेकी जरूरत है।'

अ० — ठीक है। पर जो विषय यहां सिखाये जाते हैं, वे अेसे हैं कि अनुसे तुम ग्रामवासियोंको कभी बातोंका अच्छा ज्ञान करा सकते हो। आटा पीसनेकी चक्की, धान कूटनेकी ओखली और धानीमें हमने सुधार किये

हैं। हम अपने औजारोंमें सुधार करनेके प्रयोग कर रहे हैं। तुम सुधरे हुओ औजारोंको गांवोंमें ले जा सकते हो। पर सबसे बड़ी बात जो हमें अन्हें सिखानी है, वह है अमली सचाओं और ओमानदारी। जरासे फायदेके लिए वे दूधमें, धीमें, तेलमें और अपनी सचाओं तकमें मिलावट कर देते हैं। पर यह अनका नहीं, हमारा दोष है। हम अितने दिनों तक अनकी अपेक्षा और शोषण ही करते रहे। अन्हें कभी कोओं अच्छी बातें हमने नहीं सिखाओं। अब अनके निकट संपर्कमें रहनेसे हम अनकी बुरी आदतोंको आसानीसे सुधार सकेंगे। हमारी अितनी लम्बी लापरवाही और अलहदगीसे अनकी बुद्धि और अंतरात्मा तक जड़ हो गयी है। हमें अनकी अिन जड़ शक्तियोंको फिरसे जाग्रत और अनुप्राणित करना है।

हरिजनसेवक, २५-७-'३६

अेक देहातीके प्रश्न

'वीरभूमिके अेक नम्र देहाती' ने, जो शांतिनिकेतनमें रहते हैं, दीनबन्धु अेण्डूजके मारफत मेरे पास नीचे लिखे प्रश्न भेजे हैं:

१. आपकी रायमें आदर्श भारतीय ग्रामकी कल्पना क्या है? और हिन्दुस्तानकी मौजूदा सामाजिक और राजनीतिक हालतमें 'आदर्श ग्राम' के ढंग पर अेक गांवका किस हृद तक वास्तविक पुनर्निर्माण किया जा सकता है?

२. अेक कार्यकर्ताको सबसे पहले गांवकी किन् समस्याओंको हल करनेकी कोशिश करनी चाहिये और किस प्रकार अुसे अिसकी शुरुआत करनी चाहिये?

३. छोटे पैमाने पर ग्रामीण प्रदर्शनियां या संग्रहालय बनाये जायें, तो अनके खास-खास विषय क्या हों और गांवोंके पुनर्निर्माणमें अिन प्रदर्शनियोंका सबसे अच्छा अपयोग कैसे किया जाय?

१. आदर्श भारतीय गांव अिस तरह बसाया और बनाया जाना चाहिये, जिससे वह सम्पूर्णतया नीरोग हो सके। अुसके झोंपड़ों और मकानोंमें काफी प्रकाश और वायु आ-जा सके। ये अैसी चीजोंके बने हों जो पांच मीलकी सीमाके अन्दर अपलब्ध हो सकती हैं। हर मकानके आसपास

या आगे-पीछे जितना बड़ा आंगन हो, जिसमें गृहस्थ अपने लिए साग-भाजी लगा सकें और अपने पशुओंको रख सकें। गांवकी गलियों और रास्तों पर जहाँ तक हो सके धूल न हो। अपनी जरूरतके अनुसार गांवमें कुछें हों, जिनसे गांवके सब आदमी पानी भर सकें। सबके लिए प्रार्थना-घर या मंदिर हों, सार्वजनिक सभा वगैराके लिए एक अलग स्थान हो, गांवकी अपनी गोचर-भूमि हो, सहकारी ढंगकी एक गोशाला हो, ऐसी प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं हों जिनमें औद्योगिक शिक्षा सर्वप्रधान बस्तु हो और गांवके अपने मामलोंका निपटारा करनेके लिए एक ग्राम-पंचायत भी हो। अपनी जरूरतोंके लिए अनाज, साग-भाजी, फल, खादी वगैरा खुद गांवमें ही पैदा हों। एक आदर्श गांवकी मेरी अपनी यह कल्पना है। मौजूदा परिस्थितिमें अस्के मकान ज्योंके त्यों रहेंगे, सिफ़ यहाँ वहाँ थोड़ासा सुधार कर देना अभी काफी होगा। अगर कहीं जमींदार हो और वह भला आदमी हो या गांवके लोगोंमें सहयोग और प्रेमभाव हो, तो बगैर सरकारी सहायताके खुद ग्रामीण ही — जिनमें जमींदार भी शामिल है — अपने बल पर लगभग ये सारी बातें कर सकते हैं। हाँ, सिफ़ नये सिरेसे मकानोंको बनानेकी बात छोड़ दीजिये। और अगर सरकारी सहायता भी मिल जाय तब तो ग्रामोंकी इस तरह पुनर्रचना हो सकती है कि जिसकी कोओी सीमा ही नहीं। पर अभी तो मैं यही सोच रहा हूँ कि खुद ग्रामनिवासी अपने बल पर परस्पर सहयोगके साथ और सारे गांवके भलेके लिए हिल-मिलकर मेहनत करें तो क्या क्या कर सकते हैं? मुझे तो यह निश्चय हो गया है कि अगर अन्हें अुचित सलाह और मार्गदर्शन मिलता रहे, तो गांवकी — मैं व्यक्तियोंकी बात नहीं करता — आय बराबर ढूनी हो सकती है। व्यापारी दृष्टिसे काममें आने लायक अखूट साधन-सामग्री हर गांवमें भले ही न हो, पर स्थानीय अपयोग और लाभके लिए तो लगभग हर गांवमें है। पर सबसे बड़ी बदकिस्मती तो यह है कि अपनी दशा सुधारनेके लिए गांवके लोग खुद कुछ नहीं करना चाहते।

२. एक गांवके कार्यकर्ताको सबसे पहले गांवकी सफाई और आरोग्यके सवालको अपने हाथमें लेना चाहिये। यों तो ग्रामसेवकोंको

किकतंव्य-मूढ़ बना देनेवाली अनेक समस्याओं हैं, पर यह अैसी है जिसकी सबसे अधिक लापरवाही की जा रही है। फलतः गांवकी तनुस्ती बिगड़ती रहती है और रोग फैलते रहते हैं। अगर ग्रामसेवक स्वेच्छा-पूर्वक भंगी बन जाय, तो वह प्रतिदिन मैला अठाकर अुसका खाद बना सकता है और गांवके रास्ते बुहार सकता है। वह लोगोंसे कहे कि अन्हें पाखाना-पेशाब कहां करना चाहिये, किस तरह सफाई रखनी चाहिये, अुसके क्या लाभ हैं और अुसके न रखनेसे क्या क्या नुकसान होता है। गांवके लोग अुसकी बात चाहे मुनें या न मुनें, वह अपना काम बराबर करता रहे।

३. तमाम ग्रामीण प्रदर्शनियोंमें प्रधान वस्तु तो चरखा हो और स्थानीय परिस्थितिमें लाभदायक अन्य अद्योग अुसके आसपास हों। अगर अैसी प्रदर्शनी हो और अुसके साथ-साथ प्रत्यक्ष प्रयोग तथा व्याख्यान और पचें भी हों, तो ग्रामीणोंके लिये वह निःसन्देह वस्तुपाठका काम देगी और अुनके लिये खूब शिक्षाप्रद होगी।

हरिजनसेवक, १६-१-'३७

हमारे गांव

अेक युवकने, जो अेक गांवमें रहकर अपना निवाहि करनेकी कोशिश कर रहा है, मुझे अेक दुःखजनक पत्र भेजा है। वह अंग्रेजी ज्यादा नहीं जानता। अिसलिये अुसने जो पत्र भेजा है, अुसे मैं यहां संक्षिप्त रूपमें ही देता हूँ :

“ १५ साल अेक कस्बेमें बिताकर, तीन साल पहले जब कि मैं २० बरसका था, मैंने अिस ग्राम-जीवनमें प्रवेश किया। अपनी घरेलू परिस्थितियोंके कारण मैं कॉलेजकी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सका। अतः आपने ग्राम-पुनर्नवनाका जो काम शुरू किया, अुसने मुझे ग्राम-जीवन ग्रहण करनेका प्रोत्साहन दिया। मेरे पास कुछ जमीन है। कोओ २५०० की मेरे गांवकी बस्ती है। लेकिन अिस गांवके निकट संपर्कमें आनेके बाद कोओ तीन-चौथाऊंसे भी ज्यादा लोगोंमें मुझे नीचे लिखी बातें मिलती हैं :

१. दलबन्दी और लड़ाभी-झगड़े,
२. अीर्ष्याद्वेष,
३. निरक्षरता,
४. शरारत,
५. फूट,
६. लापरवाही,
७. बेढंगापन,
८. पुरानी निरथंक रुद्धियोंका आग्रह, और
९. बेरहमी।

"यह स्थान दूर एक कोनेमें है, जहां आम तौर पर कोओ आता-जाता नहीं। कोओ बड़ा आदमी तो ऐसे दूरके गांवोंमें कभी नहीं गया। लेकिन अन्नतिके लिये बड़े आदमियोंकी संगति आवश्यक है। अिसलिये गांवमें रहते हुअे मैं डरता हूं। आप मुझे क्या सलाह और आदेश देते हैं?"

अिसमें शक नहीं कि अिस नवयुवकने ग्राम-जीवनकी जो तसवीर खींची है वह अतिशयोक्तिपूर्ण है। मगर अुसने जो कुछ कहा है, अुसे आम तौर पर माना जा सकता है। यह बुरी हालत क्यों है, अिसकी वजह मालूम करनेके लिये दूर जानेकी जरूरत नहीं। क्योंकि जिन्हें शिक्षाका सौभाग्य प्राप्त हुआ है, अुन्होंने गांवोंकी बहुत अपेक्षा की है। अुन्होंने अपने लिये शहरी जीवन चुना है। ग्राम-आन्दोलन तो अिसी बातका एक प्रयत्न है कि जो लोग सेवाकी भावना रखते हैं, अन्हें गांवोंमें बसकर ग्रामवासियोंकी सेवामें लग जानेके लिये प्रेरित करके गांवोंके साथ स्वास्थ्यप्रद संपर्क स्थापित किया जाय। पत्रप्रेषक युवकने जो बुराजियां देखीं, वे ग्राम-जीवनमें बद्धमूल नहीं हैं। फिर, जो लोग सेवाभावसे ग्रामोंमें बसे हैं, वे अपने सामने कठिनाजियां देखकर हतोत्साह नहीं होते। वे तो अिस बातको जानकर ही वहां जाते हैं कि अनेक कठिनाजियोंमें, यहां तक कि गांववालोंकी अुदासीनताके होते हुअे भी, अन्हें वहां काम करना है। जिन्हें अपने मिशनमें और खुद अपने-आपमें विश्वास है, वे ही गांव-वालोंकी सेवा करके अुनके जीवन पर कुछ असर डाल सकेंगे। सच्चा

जीवन बिताना खुद अैसा सबक है, जिसका आसपासके लोगों पर ज़रूर असर पड़ता है। लेकिन अिस नवयुवकके साथ शायद कठिनाई यह है कि वह किसी सेवाभावसे नहीं, बल्कि सिर्फ अपने जीवन-निर्वाहके लिए रोजी कमानेको गांवमें गया है। और जो सिर्फ कमाईके लिए ही वहां जाते हैं अुनके लिए ग्राम-जीवनमें कोई आकर्षण नहीं है, यह मैं स्वीकार करता हूं। सेवाभावके बगैर जो लोग गांवोंमें जाते हैं, अुनके लिए तो अुसकी नवीनता नष्ट होते ही ग्राम-जीवन नीरस हो जायगा।

अतः गांवोंमें जानेवाले किसी नवयुवकको कठिनाइयोंसे घबराकर तो कभी अपना रास्ता नहीं छोड़ना चाहिये। सबके साथ प्रयत्न जारी रखा जाय, तो मालूम पड़ेगा कि गांववाले शहरवालोंसे बहुत भिन्न नहीं हैं। और अुन पर दया करने और ध्यान देनेसे वे भी साथ देंगे। यह निस्सन्देह सच है कि गांवोंमें देशके बड़े आदमियोंके सम्पर्कका अवसर नहीं मिलता। हां, ग्राम-मनोवृत्तिकी वृद्धि होने पर नेताओंके लिए यह ज़रूरी हो जायगा कि वे गांवोंमें दौरा करके अुनके साथ जीवित सम्पर्क स्थापित करें। मगर चैतन्य, रामकृष्ण, तुलसीदास, कबीर, नानक, दादू, तुकाराम, तिरुवल्लुवर जैसे सन्तोंके प्रन्थोंके रूपमें महान और श्रेष्ठ जनोंका सत्संग तो सबको अभी भी प्राप्त है। कठिनाई यही है कि मनको अिन स्थायी महत्वकी बातोंको ग्रहण करने लायक कैसे बनाया जाय। अगर आधुनिक विचारोंका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और वैज्ञानिक साहित्य प्राप्त करनेसे आशय हो, तो कुतूहल शांत करनेके लिए अैसा साहित्य मिल सकता है। लेकिन मैं यह मंजूर करता हूं कि जिस आसानीसे धार्मिक साहित्य मिल जाता है, वैसे यह साहित्य नहीं मिलता। सन्तोंने तो सर्व-साधारणके ही लिए लिखा और कहा है। पर आधुनिक विचारोंको सर्व-साधारणके ग्रहण करने योग्य रूपमें अनूदित करनेका शौक अभी पूरे रूपमें सामने नहीं आया है। यह ज़रूर है कि समय रहते अैसा होना चाहिये। अतओव अिस पत्रप्रेषक जैसे नवयुवकोंको मेरी सलाह है कि वे अपना प्रयत्न छोड़ न दें, बल्कि अुसमें लगे रहें और अपनी अुपस्थितिसे गांवोंको अधिक प्रिय और रहने योग्य बना दें। लेकिन यह वे करेंगे अैसी सेवाके ही द्वारा, जो गांववालोंके अनुकूल

हो। अपने ही परिश्रमसे गांवोंको अधिक साफ-सुधरा बनाकर और अपनी योग्यतानुसार गांवोंकी निरक्षरता दूर करके हरअेक व्यक्ति अिसकी शुहआत कर सकता है। और अगर अनुके जीवन साफ, सुधड़ और परिश्रमी हों, तो अिसमें कोभी शक नहीं कि जिन गांवोंमें वे काम कर रहे होंगे, अनुमें भी अुसकी छूत फैलेगी और गांववाले भी साफ, सुधड़ और परिश्रमी बनेंगे।

हरिजनसेवक, २०-२-'३७

आवश्यक योग्यतायें

[नीचे दी गयी कुछ योग्यतायें गांधीजीने सत्याग्रहियोंके लिए आवश्यक बतलायी थीं। लेकिन चूंकि अनुके मतानुसार अेक ग्राम-सेवकको भी सच्चा सत्याग्रही होना चाहिये, अिसलिए ये योग्यतायें ग्रामसेवक पर भी लागू होनेवाली मानी जा सकती हैं। -- सं०]

१. ओश्वरमें अुसकी सजीव श्रद्धा होनी चाहिये, क्योंकि वही अुसका आधार है।

२. वह सत्य और अहिंसाको धर्म मानता हो और अिसलिए अुसे मनुष्य-स्वभावकी सुप्त सात्त्विकतामें विश्वास होना चाहिये। अपनी तपश्चर्यके रूपमें प्रदर्शित सत्य और प्रेमके द्वारा वह अुस सात्त्विकताको जाग्रत् करना चाहता है।

३. वह चारित्यवान हो और अपने लक्ष्यके लिए जान और मालको कुरबान करनेके लिए तैयार हो।

४. वह आदतन खादीधारी हो और कातता हो। हिन्दुस्तानके लिए यह लाजिमी है।

५. वह निर्व्यसनी हो, जिससे कि अुसकी बुद्धि हमेशा स्वच्छ और स्थिर रहे।

६. अनुशासनके नियमोंका पालन करनेमें हमेशा तत्पर रहता हो।

यह न समझना चाहिये कि अिन् शर्तोंमें ही सत्याग्रहीकी योग्यताओंकी परिसमाप्ति हो जाती है। ये तो केवल दिशादर्शक हैं।

हरिजनसेवक, २५-३-'३९

ग्रामसेवाके आवश्यक अंग

ग्राम-अद्वारमें अगर सफाई न आवे, तो हमारे गांव कचरे के घूरे जैसे ही रहेंगे। ग्राम-सफाईका सवाल प्रजाके जीवनका अविभाज्य अंग है। यह प्रश्न जितना आवश्यक है, अतना ही कठिन भी है। दीर्घ कालसे जिस अस्वच्छताकी आदत हमें पढ़ गयी है, उसे दूर करनेके लिये महान पराक्रमकी आवश्यकता है। जो सेवक ग्राम-सफाईका शास्त्र नहीं जानता, खुद भंगीका काम नहीं करता, वह ग्रामसेवाके लायक नहीं बन सकता।

नभी तालीमके बिना हिन्दुस्तानके करोड़ों बालकोंको शिक्षण देना लगभग असंभव है, यह चीज अब सर्वमान्य हो गयी कही जा सकती है। अिसलिये ग्रामसेवकको असका ज्ञान होना ही चाहिये। असे नभी तालीमका शिक्षक होना चाहिये। अस तालीमके पीछे प्रौढ़-शिक्षण तो अपने-आप चला आयेगा। जहां नभी तालीमने घर कर लिया होगा, वहां बच्चे ही माता-पिताके शिक्षक बन जानेवाले हैं। कुछ भी हो, ग्रामसेवकके मनमें प्रौढ़-शिक्षण देनेकी लगत होनी चाहिये।

स्त्रीको अर्धांगिनी माना गया है। जब तक कानूनसे स्त्री और पुरुषके हक समान नहीं माने जाते, जब तक लड़कीके जन्मका लड़केके जन्म जितना ही स्वागत नहीं किया जाता, तब तक समझना चाहिये कि हिन्दुस्तान लकवेके रोगसे ग्रस्त है। स्त्रीकी अवगणना अर्हिसाकी विरोधी है। अिसलिये ग्रामसेवकको चाहिये कि वह हर स्त्रीको मां, बहन या बेटीके समान समझे और असके प्रति आदर-भाव रखे। ऐसा ग्रामसेवक ही ग्रामवासियोंका विश्वास प्राप्त कर सकेगा।

रोगी प्रजाके लिये स्वराज्य प्राप्त करना मैं असंभव मानता हूं। अिसलिये हम लोग आरोग्य-शास्त्रकी जो अवगणना करते हैं, वह दूर होनी चाहिये। अतः ग्रामसेवकको आरोग्य-शास्त्रका सामान्य ज्ञान होना चाहिये।

राष्ट्रभाषाके बिना राष्ट्र नहीं बन सकता। 'हिन्दी-हिन्दुस्तानी-अर्दू' के झगड़में न पड़कर ग्रामसेवक, अगर वह राष्ट्रभाषा नहीं जानता, असका ज्ञान हासिल करे। असकी बोली ऐसी होनी चाहिये, जिसे हिन्दू-मुसलमान सब समझ सकें।

हमने अंग्रेजीके भोहमें फंसकर मातृभाषाका द्रोह किया है। जिस द्रोहके प्रायश्चित्तके तौर पर भी राष्ट्रसेवक मातृभाषाके प्रति लोगोंके मनमें प्रेम अुत्पन्न करेगा। अुसके मनमें हिन्दुस्तानकी सब भाषाओंके लिए आदर होगा। अुसकी अपनी मातृभाषा जो भी हो, जिस प्रदेशमें वह बसेगा वहांकी मातृभाषा वह स्वयं सीखकर अपनी मातृभाषाके प्रति वहांके लोगोंकी भावना बढ़ायेगा।

अगर अिस सबके साथ-साथ आर्थिक समानताका प्रचार न किया गया, तो यह सब निकम्मा समझना चाहिये। आर्थिक समानताका यह अर्थ हरणिज नहीं कि हरअेकके पास धनकी समान राशि होगी। मगर यह अर्थ जरूर है कि हरअेकके पास ऐसा घरबार, वस्त्र और खाने-पीनेका सामान होगा कि जिससे वह सुखसे रह सके। और जो घातक असमानता आज मौजूद है, वह केवल अहिंसक अुपायोंसे ही नष्ट होगी।

हरिजनसेवक, १७-८-'४०

समग्र ग्रामसेवा

रचनात्मक कार्यकर्ताओंकी सभामें अेक प्रश्नका जवाब देते हुअे गांधीजीने कहा :

अठारह-विधि कार्यक्रममें समग्र सेवा आ ही जाती है; जैसे, गांवमें जितने लोग रहते हैं अन्हें पहचानना, अन्हें जो सेवा चाहिये वह देना, अर्थात् अुसके लिए साधन जुटा देना और अनको वह काम करना सिखा देना, दूसरे कार्यकर्ता पैदा करना आदि। ग्रामसेवक ग्रामवासियों पर अितना प्रभाव डालेगा कि वे खुद आकर अुससे सेवा मांगेंगे और अुसके लिए जो साधन या दूसरे कार्यकर्ता चाहिये अन्हें जुटानेमें अुसकी पूरी मदद करेंगे। मानो कि मैं अेक देहातमें धानी लगाकर बैठा हूँ। तो मैं धानीसे सम्बन्ध रखनेवाले सब काम तो करूँगा ही, मगर मैं १५ से २० रुपये कमानेवाला सामान्य धांची (तेली) नहीं बनूँगा। मैं तो महात्मा धांची बनूँगा। 'महात्मा' शब्द मैंने विनोदमें अिस्तेमाल किया है। अिसका अर्थ केवल यह है कि अपने धांचीपनमें मैं अितनी सिद्धि डाल दूँगा कि गांववाले आश्चर्यचकित हो जायंगे। मैं गीता पढ़नेवाला, कुरानशारीफ पढ़नेवाला,

अुनके बच्चोंको शिक्षा दे सकनेकी शक्ति रखनेवाला घाँची बनूंगा। अुनके अभावमें मैं लड़कोंको पढ़ा न सकूं, वह दूसरी बात है। लोग आकर कहेंगे कि "तेली महाशय, हमारे लड़कोंके लिये एक शिक्षक तो लादीजिये।" मैं कहूंगा : "शिक्षक मैं ला दूंगा, मगर अुसका खर्चा आपको बरदास्त करना होगा।" वे खुशीसे मेरी बात स्वीकार करेंगे। मैं अुन्हें कातना सिखा दूंगा। जब वे बुनकरकी मददकी मांग करेंगे, तो शिक्षकके रूपमें अुन्हें बुनकर ला दूंगा, ताकि जो चाहे सो बुनना भी सीख ले। मैं अुन्हें ग्राम-सफाईका महत्व बताऊंगा। जब वे सफाईके लिये भंगी मांगेंगे तो मैं कहूंगा, "मैं खुद भंगी हूं। आविये, आपको यह काम भी सिखा दूं।" यह है मेरी समग्र ग्रामसेवाकी कल्पना।

हरिजनसेवक, १७-३-'४६

गांधींमें दलबन्दी और मतभेद

प्र० — करीब करीब हर गांवमें पार्टियां और अुनके आपसी मतभेद रहते हैं। अिसलिये जब ग्रामसेवाके लिये हम स्थानीय या अुसी गांवकी मदद लेने जाते हैं, तो हमारी मरजी हो या न हो हम सत्ताके लिये होनेवाले वहांके सियासी झगड़ोंमें फंस जाते हैं। अिस मुश्किलको किस तरह टाला जा सकता है? क्या हमें स्थानीय पार्टियोंसे अलग रहनेकी कोशिश करके बाहरी कार्यकर्ताओंकी मददसे काम चालू रखना चाहिये? हमारा अनुभव है कि अिस तरीकेसे किया जानेवाला काम तभी तक चलता है, जब तक बाहरकी मदद मिलती रहती है। और जहां वह मदद बन्द हुआ कि काम भी बन्द हो जाता है। अिसलिये स्थानीय जनताका सहयोग हासिल करने और अुसमें आगे बढ़कर काम करनेकी सूझ पैदा करनेके लिये हमें क्या करना चाहिये?

बु० — यह हिन्दुस्तानकी बदकिस्मती है कि जैसी दलबन्दी और मतभेद अुसके शहरोंमें हैं वैसे ही देहातोंमें भी देखे जाते हैं। और जब गांवोंकी भलाईका ख्याल न रखते हुए अपनी पार्टीकी ताकत बढ़ानेके लिये गांवोंका अपयोग करनेके ख्यालसे सियासी सत्ताकी बूँ हमारे देहातोंमें पहुंचती है, तो अुससे देहातियोंको मदद मिलनेके बजाय

धुनकी तरक्कीमें रुकावट ही होती है। मैं तो कहूँगा कि चाहे जो नतीजा हो, हमें ज्यादासे ज्यादा मात्रामें स्थानीय मदद लेनी चाहिये; और अगर हम सियासी सत्ता हड़पनेकी बुराओंसे दूर रहें, तो हमारे हाथों कोअभी गलती होनेकी संभावना नहीं रहती। हमें याद रखना चाहिये कि शहरोंके अंग्रेजी पढ़े हुओं स्त्री-पुरुषोंने हिन्दुस्तानके आधारभूत गांवोंको भुला देनेका अपराध किया है। अिसलिये आज तककी हमारी यिस लापरवाहीको याद करनेसे हमें धीरज पैदा होगा। अभी तक मैं जिस जिस गांवमें गया हूँ, वहां मुझे अेक न अेक सच्चा कार्यकर्ता तो मिला ही है। लेकिन गांवोंमें भी लेने लायक कोअभी अच्छी चीज होती है, अैसा माननेकी नम्रता जब हमें नहीं होती तब वहां हमें कोअभी नहीं मिलता। बेशक, हमें स्थानीय सियासी मामलोंसे दूर रहना चाहिये। लेकिन यह हम तभी कर सकते हैं, जब हम सारी पार्टियोंकी और किसी भी पार्टीमें शामिल न होनेवाले लोगोंकी सच्ची मदद लेना सीख जायंगे। अगर हम गांववालोंसे अलग रहेंगे, या अन्हें अपने कामोंसे अलग रखेंगे, तो हमारा किया-कराया सब फिजूल जायगा। यिस मुश्किलका मुझे ख्याल था। अिसीलिये अेक गांवमें अेक कार्यकर्ता रखनेके नियमको सख्तीसे पालनेकी मैंने कोशिश की है। जहां काम करनेवाले भाओी या बहनको बंगला नहीं आती, वहां मैंने बंगला जानेवाला अेक दुभाषिया रखा है। अभी तो मैं यही कह सकता हूँ कि अिस तरीकेसे मेरा काम अच्छा चल रहा है। यहां मैं यह भी कह देना चाहता हूँ कि किसी नतीजे पर जल्दीसे पहुंच जानेकी हमें बुरी आदत पड़ गयी है। सवाल करनेवाले भाओी कहते हैं कि 'अिस तरह जारी रखा जानेवाला काम बाहरकी मददसे ही चलता है और अिस तरहकी मददके बन्द होते ही वह भी बन्द हो जाता है।' किसी काममें झटसे अैसा दोष निकालनेके पहले मैं तो यह कहूँगा कि किसी अेक गांवमें कुछ साल रहकर वहांके कार्यकर्ताओंके जरिये काम करनेका तजुरबा भी अिस बातका पूरा सबूत नहीं माना जा सकता कि स्थानीय कार्यकर्ता खुद कोअभी काम नहीं कर सकते या अनुके मारफत कोअभी काम नहीं हो सकता। यह जाहिर है कि अिससे अुलटी बात ही सच है। अिसलिये सवालके अंतिम भागकी विस्तृत जांच करना

जरूरी है। मैं प्रमुख कार्यकर्तासे साफ शब्दोंमें यह कहूँगा — “अभी बाहरकी जो मदद मिल रही है, असे लेना बन्द कर दीजिये। सिर्फ स्थानीय मददसे ही अकेले हिम्मत और समझसे अपना काम चलाओिये। अगर आपका काम सफल न हो, तो दूसरे लोगों या संयोगोंको दोष देनेके बजाय खुदको ही दोष देना सीखिये।”

हरिजनसेवक, २-३-'४७

१३

विद्यार्थी और गांव

बड़ी अुमरके विद्यार्थियों और असलिये कॉलेजके सारे विद्यार्थियोंको अध्ययन-कालमें ही ग्रामसेवा शुरू कर देनी चाहिये। ऐसे कुछ समय तक गांवोंमें काम करनेवाले विद्यार्थियोंके लिये एक योजना नीचे दी जाती है।

विद्यार्थियोंको अपनी गर्भाकी पूरी छुट्टियां ग्रामसेवामें बितानी चाहिये। असके लिये बने-बनाये रास्ते पर चलनेके बजाय वे अपनी संस्थाओंके पासके गांवोंमें घूमते हुओ जायं, गांववालोंकी हालतका अध्ययन करें और अन्हें अपने मित्र बनायें। यह आदत अन्हें गांववालोंके सम्पर्कमें लायेगी। जब विद्यार्थी अनके बीच रहनेके लिये जायंगे, तब गांववाले पहलेके मौके-मौके पर स्थापित हुओ सम्पर्कके कारण मित्रोंकी तरह अनका स्वागत करेंगे, न कि अजनबी मानकर अन्हें शककी निगाहसे देखेंगे। गर्भाकी लम्बी छुट्टियोंमें विद्यार्थी गांवोंमें जाकर रहें और प्रौढ़ोंके वर्ग चलायें, गांववालोंको सफाओ और स्वच्छताके नियम सिखायें और मामूली बीमारोंकी सेवा-शुश्रूषा करें। वे गांवमें चरखा भी दाखिल करें और ग्रामवासियोंको अपने एक-एक मिनटका सदुपयोग करना सिखायें। ऐसा करनेके लिये विद्यार्थियों और शिक्षकोंको छुट्टियोंके अपयोगकी दृष्टिमें संशोधन करना होगा। अक्सर विचारहीन शिक्षक छुट्टियोंमें करनेके लिये घरकाम विद्यार्थियों पर लाद देते हैं। मेरी रायमें यह हर हालतमें बुरी आदत है। छुट्टियोंका समय ऐसा

है, जब विद्यार्थियोंके दिमाग स्कूल-कॉलेजके प्रतिदिनके कामके बोझसे मुक्त होने चाहिये, और अन्हें स्वावलम्बी बनने और मौलिक विकास करनेका भौका दिया जाना चाहिये। मैंने जिस ग्रामसेवाके कामका जिक्र किया है, वह अुत्तम प्रकारका मनोरंजन है और असमें बिना किसी बोझके विद्यार्थी गंभीर न लगनेवाला शिक्षण भी प्राप्त करते हैं। जाहिर है कि पढ़ाओ खत्म करनेके बाद केवल ग्रामसेवाके लिये अपने-आपको समर्पण कर देनेकी यह अुत्तम तैयारी है।

अब समग्र ग्रामसेवाकी योजनाका विस्तृत वर्णन देनेकी जरूरत नहीं रह जाती। छुट्टियोंमें जो कुछ किया गया था, असे अब स्थायी रूप देना है। गांववाले भी ज्यादा अुत्साहसे यिसका जवाब देनेके लिये तैयार रहेंगे। अब ग्राम-जीवनके आर्थिक, सफाओी तथा स्वास्थ्य-संबंधी, सामाजिक, राजनीतिक हर पहलूको छूना होगा। बेशक, अधिकतर गांवोंकी आर्थिक कठिनाओंका तात्कालिक हल चरखा ही है। वह तुरन्त गांववालोंकी आमदनी बढ़ाता है और अन्हें बुराओंसे बचाता है। स्वास्थ्य-संबंधी काममें गांवकी गन्दगीको दूर करना और असे रोगोंसे मुक्त रखना आता है। यहां विद्यार्थीसे आशा रखी जाती है कि वह खुद परिश्रम करके मैले और दूसरे कचरेको दबाने और असे खादके रूपमें बदलनेके लिये खाओं खोदेगा, कुओं और तालाबोंकी सफाओी करेगा, आसानीसे तैयार होनेवाले बांध बनायेगा, गांवका कूड़ा-कचरा साफ करेगा और आम तौर पर गांवको ज्यादा रहने लायक बनायेगा। ग्रामसेवक गांवके सामाजिक पहलूको भी छुआएगा और लोगोंको छुआछूत, बाल-विवाह, अनमेल विवाह, शराब और अफीम-गांजेका व्यसन तथा अन्य स्थानीय अन्धविश्वास आदि कुरीतियां और कुटेवें छोड़नेके लिये प्रेमपूर्वक समझायेगा और राजी करेगा। अन्तमें राजनीतिक पहलू आता है। यिसके लिये ग्रामसेवक गांववालोंकी राजनीतिक शिकायतोंका अध्ययन करेगा और अन्हें हर बातमें स्वतंत्रता, आत्म-निर्भरता और स्वावलम्बनकी प्रतिष्ठा सिखायेगा। मेरी रायमें यिसमें सम्पूर्ण प्रीढ़-शिक्षण आ जाता है। लेकिन यिससे ग्रामसेवकका काम पूरा नहीं हो जाता। असे गांवके बच्चोंकी देखभालका काम हाथमें लेना चाहिये, अन्हें तालीम देना शुरू कर देना चाहिये और प्रीढ़ोंके लिये रात्रि-शाला चलाना चाहिये। यह

अधर-ज्ञान संपूर्ण शिक्षाक्रमका केवल एक भाग और अूपर बताये गये विशालतर अद्वेश्यका साधनमात्र है।

मेरा दावा है कि अस ग्रामसेवाके लिये अदार हृदय और पूर्ण शुद्ध चरित्र अत्यन्त आवश्यक है। ये दो मुख्य गुण ग्रामसेवकमें हों, तो दूसरे गुण अपने-आप असमें आ जायंगे।

आखिरी सवाल रोटीका है। शरीर-श्रम करनेवालेको असकी मजदूरी मिलनी ही चाहिये। असके लिये जीवन-वेतन मिलना तो निश्चित है। अससे ज्यादा पैसा असमें नहीं मिल सकता। आप अपनी और देशकी, दोनोंकी सेवा नहीं कर सकते। खुदकी सेवा देशकी सेवासे अत्यन्त सीमित हो जाती है और असलिये असमें हमारे अत्यन्त गरीब देशके बूतेसे बाहरकी जीविकाके लिये कोओ गुंजाइश नहीं रहती है।

यंग अंडिया, २६-१२-'२९

१४

स्त्रियां और गांव

बाल-विवाहकी टीका करते हुए गांधीजीने लिखा :

बाल-विवाहकी यह बुराओ जितनी शहरोंमें फैली हुओ है, अतनी ही गांवोंमें भी फैली हुओ है। यह काम तो खास करके स्त्रियोंका है। पुरुषोंको भी अपने हिस्सेका काम करना तो ही है; परन्तु पुरुष जब पशु बन जाता है, तब वह समझदारीकी बात सुनना पसन्द नहीं करता। असलिये माताओंको ही अपना अिनकार करनेका अधिकार बताना है और पुरुषोंको अनुका धर्म समझाना है। यह अन्हें सिवा स्त्रियोंके और कौन सिखा सकता है? असलिये मैं यह सलाह देनेका साहस करता हूँ कि अखिल भारत महिला-परिषदको यदि अपना नाम सार्थक करना है, तो असे शहरोंसे हटकर गांवोंके कार्यक्षेत्रमें अतरना चाहिये। ये अच्छी और बहु-मूल्य पत्रिकाएँ हैं। पर योड़ीसी शहरमें रहनेवाली अंग्रेजी पढ़ी-लिखी बहनों

तक ही ये पहुंचेंगी। असल जरूरत तो गांवोंके साथ व्यक्तिगत सम्पर्क जोड़नेकी है। यह सम्बन्ध अभी जुड़ भी जाय, तो जुड़नेके साथ ही काम सरल नहीं हो जायगा। पर किसी न किसी दिन तो अस दिशामें शुश्वात करनी ही पड़ेगी। अुसके बाद ही किसी परिणामकी आशा की जा सकती है। अखिल भारत महिला-परिषद क्या अखिल भारत ग्रामोद्योग-संघके साथ काम करेगी? कोओ भी ग्रामसेवक या ग्राम-सेविका चाहे कितनी ही कुशल हो, तो भी अुसे मात्र समाज-सुधारके लिये गांवोंके लोगोंके पास जानेका विचार नहीं करना चाहिये। अुसे तो ग्राम-जीवनके सभी अंगोंके सम्पर्कमें आना पड़ेगा। मैंने अनेक बार कहा है और आज फिर कहता हूँ कि ग्रामसेवा ही सच्ची जनशिक्षा है। शिक्षा अक्षर-ज्ञानकी नहीं देनी है, बल्कि ग्रामवासियोंको यह सिखाना है कि मनुष्य, जो विचार करनेवाला प्राणी कहा जाता है, वास्तविक जीवन व्यतीत करने योग्य किस प्रकार बन सकता है।

हरिजनसेवक, ३०-११-'३५

१५

कांग्रेस और गांव

जन-संपर्क

कांग्रेसकी कार्यकारिणी समितिने अलाहाबादकी बैठकमें स्वीकृत अपने एक प्रस्तावमें इस बात पर जोर दिया है कि धारासभाओंके सदस्यों और कांग्रेसके दूसरे कार्यकर्ताओंके लिये यह बहुत जरूरी है कि जिन तीन करोड़ ग्रामवासियों और अनुके प्रतिनिधियोंके बीच सीधा सम्पर्क स्थापित हो गया है, अनुके झोपड़ों तक वे कांग्रेसका १९२० का रचनात्मक कार्यक्रम पहुंचावें। धारासभाओंमें जो प्रतिनिधि चुने गये हैं, वे चाहें तो ग्रामवासियोंकी अपेक्षा कर सकते हैं या अनुहैं आर्थिक बोझोंसे थोड़ा या शायद यथोचित छुटकारा भी दिला सकते हैं; पर वे जब तक चतुर्विध रचनात्मक कार्यक्रममें ग्राम-वासियोंकी दिलचस्पी नहीं बढ़ायेंगे — अर्थात् सार्वत्रिक हाथ-करताओं द्वारा

खादीका अत्यादन और अपयोग, हिन्दू-मुस्लिम-अेकता, शराब पीनेकी जिन्हें लत लगी हुई है अनमें प्रचार-कार्य करके अेकदम शराब बन्द कर देनेके लिए अत्तेजन और हिन्दुओं द्वारा अस्पृश्यताका पूर्ण निवारण आदि कार्यक्रमोंमें जब तक वे ग्रामवासियोंको दिलचस्पी लेनेवाले नहीं बनायेंगे, तब तक अनमें आत्म-विश्वास, स्वाभिमान और अपनी स्थितिमें सतत सुधार करनेकी शक्ति नहीं आ सकती।

१९२० और १९२१ में हजारों सभाओंमें यह बतलाया गया था कि अन चार चीजोंके बगैर अहिंसाके मार्गसे स्वराज्य हासिल होना असंभव है। मैं मानता हूं कि आज भी मेरी अस बातमें अतनी ही सचाई है।

सरकारी व्यवस्था द्वारा टैक्सोंका नियमन करके आम लोगोंकी आर्थिक स्थितिको सुधारना एक चीज है, और अनके मनमें यह भावना पैदा करना कि अन्होंने केवल अपने ही पुरुषार्थसे अपनी स्थितिको सुधारा है, बिल-कुल दूसरी ही चीज है। यह तो वे खुद अपने हाथसे सूत कातकर तथा गांवोंकी दूसरी दस्तकारियोंके जरिये ही कर सकते हैं।

असी तरह विभिन्न सम्प्रदायों या कौमोंके पारस्परिक व्यवहारका नियमन नेताओं द्वारा स्वेच्छासे किये हुए या राज्य द्वारा जबरदस्ती लादे हुए समझौतों द्वारा करना एक चीज है; और आम लोग एक-दूसरेके धर्मों और बाहरी व्यवहारोंके प्रति आदरभाव रखने लगें, यह बिलकुल दूसरी ही चीज है। धारासभाओंके सदस्य और कांग्रेसके कार्यकर्ता गांवोंके लोगोंमें पहुंचकर जब तक अन्हें परस्पर सहिष्णुता रखना नहीं सिखायेंगे, तब तक यह चीज मुमकिन नहीं।

फिर कानूनके बल पर मद्य-निषेध कराना — और यह तो करना ही पड़ेगा — एक चीज है; और मद्य-निषेधका स्वेच्छासे पालन करवा कर असे कायम रखना दूसरी चीज है। खर्चोंली और भारी जासूसी पद्धतिके बगैर मद्य-निषेधका काम चल ही नहीं सकता, अंसा हताश और बैठे-ठाले मनुष्य ही कहते हैं। अगर कार्यकर्ता गांवोंके लोगोंके पास जायें, और जहां-जहां लोग शराब पीते हों वहां असके बुरे परिणामोंको अच्छी तरह समझावें तथा शोध करनेवाले विद्वान शराब पीनेकी लतके कारणोंको खोज निकालें

और लोगोंको अचित ज्ञान दिया जाय, तो मध्य-निषेधका काम बगैर किसी खर्चके चल सकता है; अितना ही नहीं, बल्कि अुससे मुनाफा हो सकता है। यह काम खासकर स्त्रियां कर सकती हैं।

यही बात अस्पृश्यताके बारेमें है। अस्पृश्यताके दुष्परिणामोंको कानून द्वारा हम भले नष्ट कर दें और यह करना ही है। पर जब तक लोग अपने दिलसे छुआछूतकी भावनाको नहीं निकालेंगे, तब तक हमें सच्ची स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। आम लोगोंके हृदयसे जब तक अस्पृश्यताकी भावना दूर नहीं होती, तब तक वे अेकताकी भावनासे और अेक हृदयसे कदापि काम नहीं कर सकते।

अिस प्रकार यह और अिस कार्यक्रमके अन्य तीनों अंग लोकशिक्षासे भरे हुओ हैं। और अब तो तीन करोड़ स्त्री-पुरुषोंके हाथमें, सही या गलत रीतिसे, सत्ता सौंप दी गयी है। अतः यह काम तात्कालिक महत्वका हो गया है। यह सत्ता चाहे जितनी अल्प और सीमित हो, तो भी कांग्रेसवादियों और दूसरोंके हाथमें, जिन्हें अिन मतदाताओंसे बोट लेने हों, अिन तीन करोड़ मनुष्योंको सही या गलत रास्तेसे शिक्षा देनेकी शक्ति है। जो वस्तुओं अुनके जीवनके साथ अत्यन्त निकट संबंध रखती हैं, अुनमें अुनकी बिलकुल ही अुपेक्षा करना गलत रास्ता है।

हरिजनसेवक, २२-५-'३७

लोकसेवक-संघके सदस्योंकी योग्यता

[गांधीजीकी हत्याके कुछ समय पूर्व अुन्होंने लोकसेवक-संघके विधानका मसौदा तैयार किया था। वे चाहते थे कि कांग्रेस देशकी आजादीके बाद लोकसेवक-संघका रूप ले ले। अुसके सदस्य बनना चाहनेवालोंके लिए अुन्होंने अन्य शर्तोंके साथ नीचेकी शर्तें रखी थीं। — सं०]

१. हरअेक सेवक अपने हाथों कते हुओ सूतकी या चरखा-संघ द्वारा प्रमाणित खादी हमेशा पहननेवाला और नशीली चीजोंसे दूर रहनेवाला होना चाहिये। अगर वह हिन्दू है तो अुसे अपनेमें से और अपने परिवारमें से हर किस्मकी छुआछूत दूर करनी चाहिये और जातियोंके बीच अेकताके, सब धर्मोंके प्रति समभावके और जाति, धर्म या स्त्री-पुरुषके किसी भेदभावके

बिना सबके लिये समान अवसर और दर्जे के आदर्शमें विश्वास रखनेवाला होना चाहिये।

२. अपने कार्यक्षेत्रमें अुसे हरभेक गांववालेके निजी संसर्गमें रहना चाहिये।

३. गांववालोंमें से वह कार्यकर्ताओंको चुनेगा और अन्हें तालीम देगा। अन सबका वह एक रजिस्टर रखेगा।

४. वह अपने रोजानाके कामका रेकार्ड रखेगा।

५. वह गांवोंको अिस तरह संगठित करेगा कि वे अपनी खेती और गृह-अद्योगों द्वारा स्वयंपूर्ण और स्वावलम्बी बन जायं।

६. गांववालोंको वह सफाई और तन्दुरुस्तीकी तालीम देगा और अनकी बीमारी व रोगोंको रोकनेके लिये सारे अुपाय काममें लायेगा।

७. हिन्दुस्तानी तालीमी संघकी नीतिके मुताबिक नड़ी तालीमके आधार पर वह गांववालोंकी पैदा होनेसे लेकर मरने तककी सारी शिक्षाका प्रबन्ध करेगा।

हरिजनसेवक, २२-२-'४८

१६

सरकार और गांव

सरकार क्या कर सकती है?

यह पूछना जायज है कि कांग्रेसी मंत्री, जो अब ओहदों पर आ गये हैं, खद्दर और दूसरे देहाती धंधोंके लिये क्या करेंगे? मैं तो अिस सवालको और भी फैलाना चाहता हूं, ताकि यह हिन्दुस्तानके तमाम प्रान्तोंकी सरकारों पर लागू हो। गरीबी तो हिन्दुस्तानके सभी प्रान्तोंमें है। अिसी तरह आम जनताके अद्वारके जरिये भी हैं। अखिल भारत चरखा-संघ और अखिल भारत ग्रामोद्योग-संघका अैसा ही अनुभव है। अेक यह सुझाव भी आया है कि अिस कामके लिये अेक अलग मंत्री होना चाहिये, क्योंकि अिसके ठीक संगठनमें अेक मंत्रीका पूरा वक्त लग जायगा। मैं तो अिस सुझावसे डरता

हैं, क्योंकि अभी तक हम अपने खर्चके नापमें से अंग्रेजी पैमानेको छोड़ नहीं सके हैं। अलग मंत्री रखा जाय या न रखा जाय, अिस कामके लिये एक महकमा तो बेशक जरूरी है। आजकल खाने और पहननेके संकटके जमानेमें यह महकमा बड़ी मदद कर सकता है। अखिल भारत चरखा-संघ और अखिल भारत ग्रामोद्योग-संघके निष्णात लोग मंत्रियोंको मिल सकते हैं। आज यह संभव है कि थोड़े समयमें थोड़ीसे थोड़ी रकम लगाकर तमाम हिन्दुस्तानको खादी पहना दी जाय। हर प्रान्तकी सरकारको गांववालोंसे कहना होगा कि अन्हें अपने बरतनेके लिये खद्दर खुद तैयार कर लेना चाहिये। अिस तरह स्थानीय अन्त्यादन और बंटवारेका सवाल अपने-आप हल हो जायगा। और बेशक शहरोंके लिये कमसे कम थोड़ी खादी जरूर बच रहेगी, जिससे स्थानीय मिलों पर दबाव कम हो जायगा। तब ये मिलें दुनियाके दूसरे हिस्सोंमें कपड़ेकी जरूरत पूरी करनेमें हिस्सा लेनेके काबिल हो जायंगी।

यह नतीजा कैसे पैदा किया जा सकता है?

सरकारोंको चाहिये कि वे गांववालोंको यह सूचना कर दें कि अन्से यह आशा रखी जायगी कि वे अपनी गांवकी जरूरतके लिये एक निश्चित तारीखके अन्दर खद्दर तैयार करें। अिसके बाद अनको कोअी कपड़ा न दिया जायगा। सरकार अपनी तरफसे गांववालोंको बिनौले या रुअी (जिसकी भी जरूरत हो) लागत दाम पर देगी और अन्त्यादनके औजार भी ऐसे दामों पर देगी, जो आसनीसे वसूल होनेवाली किस्तोंमें लगभग पांच साल या अिससे ज्यादा असेंमें अदा हो सकें। सरकार जहाँ कहीं जरूरी हो अन्हें सिखानेवाले भी दे और यह जिम्मा ले कि अगर गांववालोंके तैयार किये हुओ खद्दरसे अनकी जरूरतें पूरी हो जायं, तो बाकीका खद्दर सरकार खरीद लेगी। अिस तरह बिना हलचलके और बहुत थोड़े अूपरी खर्चसे कपड़ेकी कमी दूर हो जायगी।

गांवोंकी जांच-पड़ताल की जायगी और ऐसी चीजोंकी एक सूची तैयार की जायगी, जो किसी मददके बिना या बहुत थोड़ी मददसे स्थानीय तौर पर तैयार हो सकती हैं और जिनकी जरूरत गांवमें

कूदने या चौकड़ी भरनेकी हिम्मत नहीं कर सकता। मिठे ब्रेन अेक ही डगमें लम्बा रास्ता तय करना चाहते थे, अिसलिए अपने काममें अन्हें सफलता नहीं मिली।

जब कोओी सरकारी अधिकारी सुधारक बनता है, तो असे यह समझना चाहिये कि असका सरकारी ओहदा असके सुधारके रास्तेमें सहायक नहीं होता, बल्कि रुकावट डालता है। असके भगीरथ प्रयत्न करने पर भी लोग असे और असके अद्देश्योंको शककी नजरसे देखेंगे और अन्हें ऐसी जगह भी खतरेकी आशंका रहेगी जहां खतरेका नाम भी नहीं होगा। और लोग जब कोओी काम करते हैं, तो अकसर अधिकारीको खुश करनेके लिये ही करते हैं, खुदको खुश करनेके लिये नहीं।

दूसरी रुकावट, जिसमें मिठे ब्रेनको काम करना पड़ा, यह थी कि अन्हें रुपये पानेकी लगभग घातक सुविधा प्राप्त थी। मेरी रायमें रुपया वह आखिरी चीज है, जिसकी सुधारकको अपने आन्दोलनमें जरूरत होती है। वह असकी सही जरूरतोंके ठीक अनुपातमें बिना मांगे असके पास चला आता है। मैंने ऐसे सुधारकों पर कभी भरोसा नहीं किया, जिन्होंने पैसेके अभावको सामने रखकर अपनी असफलताका बचाव किया है। जहां सुधारकमें अपने कामके लिये अुत्साह है, असका पूरा ज्ञान है और आत्म-विश्वास है, वहां पैसेकी मदद हमेशा मिलती ही है। लेकिन मिठे ब्रेन अपने प्रयोगकी सफलताके लिये आत्मश्रद्धा या लोगों पर निर्भर करनेके बजाय पैसे पर ही ज्यादा निर्भर रहे। अिसलिए लाला देशराजके अन्दाजसे अन्हें ५०,००० रुपयेकी सालाना मदद मिलने पर भी अनकी यह शिकायत है कि केवल पैसेके अभावमें ही कई बातें आगे नहीं बढ़ रही हैं। अनकी महत्त्वाकांक्षा कभी सन्तुष्ट नहीं हो सकती। अितना अनके प्रयोगके बारेमें।

प्रयोगकी बातको छोड़ दें तो अनकी पुस्तकका सावधानीसे अध्ययन किया जाना चाहिये। मिठे ब्रेनकी प्रामाणिकताके बारेमें कोओी शंका नहीं अठाओ जा सकती। पुस्तकके हर पृष्ठसे अनकी प्रामाणिकताका सबूत मिलता है। अिसमें कोओी शक नहीं कि लेखकके बहुतसे सुझाव

बड़े कीमती और महत्त्वपूर्ण हैं। यह पुस्तक बड़ी योग्यतासे लिखी गयी है। जो कोअी ग्राम-सुधारका काम करना चाहते हैं, अन्हें जल्दी ही मि० ब्रेनकी पुस्तकका अध्ययन कर लेना चाहिये। मि० ब्रेनने गांवोंमें पाये जानेवाले नीचेके दोष बताये हैं:

१. किसानके खेतीके तरीके दोषपूर्ण हैं।
२. अुसका गांव गन्दा होता है; वह गन्दगी, बीमारी और दुःख-दर्दमें जीवन बिताता है।

३. वह महामारियोंका शिकार बना रहता है।
४. वह अपनी सारी दौलत बरबाद कर देता है।
५. वह अपनी स्त्रियोंको अपमानित दशा और गुलामीमें रखता है।
६. वह अपने घर या गांवकी तरफ बिलकुल ध्यान नहीं देता। और अपनी या अपने आसपासके लोगोंकी हालत सुधारनेके लिये वह न तो कोअी समय देता है, न अुसके बारेमें कभी विचार करता है।

७. वह किसी भी तरहके परिवर्तनका विरोध करता है; वह अपढ़ है। अुसे अिस बातका ज्ञान नहीं है कि दूसरे सभ्य देशों या अुसीके देशके दूसरे भागोंमें रहनेवाले ग्रामवासी कितनी तरक्की कर रहे हैं; न अुसे अिस बातका ज्ञान है कि वह अिरादा कर ले तो खुद अपनी कितनी तरक्की कर सकता है।

अिस वर्णनमें बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति है। भारतीय किसानके खेतीके तरीके सचमुच बुरे नहीं हैं। कभी लोगोंने अिस बातकी गवाही दी है कि अुसके पास खेतीका ऐसा कामचलाभू ज्ञान है, जिसे तुच्छ नहीं माना जा सकता। लेकिन मुझे डर है कि दूसरे और तीसरे दोषको हमें स्वीकार करना होगा। चौथा दोष पूरी तरह नहीं तो बहुत बड़ी हद तक अस्वीकार करने योग्य है, क्योंकि अुसके पास बरबाद करनेके लिये दौलत ही नहीं होती। पांचवां, छठा और सातवां दोष बड़ी हद तक सच है। अन्हें दूर करनेके १८ अुपाय सुझाये गये हैं। मैं अन्हें संक्षेपमें नीचे देता हूँ:

१. अच्छे मवेशी रखो।
२. खेतीके आधुनिक औजार काममें लो।

३. अच्छे बीज बोओ।
४. कुओं पर रहंट लगाओ।
५. खाद खड़ोंमें जमा करो।
६. गोबरके अुपले बनाना बन्द करो।
७. गांवके बैंकोंका लाभ अठाओ।
८. अपने खेतोंमें बांध बांधो और सतहोंके अनुसार अन्हें बगकार झेत्रोंमें बाट दो, ताकि बरसातका पानी बरबाद न हो।
९. अपनी जमीनोंको जोड़ लो।
१०. कुओंकी मददसे सालभर फसल लेते रहो।
११. हर खाली जगहमें पेड़ लगाओ।
१२. मवेशीको बीमारीसे बचानेके लिये अुसे टीका लगवाओ।
१३. अपनी फसलोंमें हिस्सा बंटानेवाले चूहों, साहियों और टिड़ियोंको मार डालो।
१४. चरागाहोंका विकास करो।
१५. अपनी आधी जमीनमें डटकर खेती करो और आधी चरागाहके लिये छोड़ दो।
१६. कुओंका पानी ले जानेके लिये जमीनके भीतरसे जानेवाले नलका अपयोग करो।
१७. जो भी धास-चारा या वनस्पति रेतीमें अुग सके और अुसे पकड़कर रख सके, अुसे लगाकर रेतीके टीले न बनने दो।
१८. अपनी नहर और नालियोंको सीधा बनाओ और साफ रखो।

अिनमें से कभी सुझाव तारीफके लायक हैं। जो कुछ नया है अुसका सावधानीसे प्रयोग करनेकी आवश्यकता है। पुरानेमें से बहुत कुछ अमल करने लायक नहीं है। जहां तक खेतीके नये औजारोंका सम्बन्ध है, पन्द्रह सालके लगातार प्रयोगके बाद और औजारोंके लिये किसी तरहका पूर्वग्रह न रखते हुओ कभीको आश्रममें आजमानेके बाद हम अिस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अुनमें से अधिकतर औजार बेकार हैं और मैं पाठकोंको यह विश्वासा दिला सकता हूं कि हमने अिस प्रयोगमें किसी तरहकी धांघली नहीं की है। हम निश्चित गतिसे आगे

बढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसे बहुत कम नये औजार हैं, जिन्हें हमने ज्यादा अपयोगी पाया हो। मैं अिस आश्रमके प्रयोगके बारेमें आगे किसी समय निश्चित रूपसे लिखनेकी आशा रखता हूँ। अिस बीचमें नये औजारोंका प्रयोग करनेवालोंसे मैं कहूँगा : 'अिस दिशामें धीरे-धीरे जल्दी करो।' खादकी रक्षा और गोबरके अपले बनाकर अुसकी भयंकर बरबादीको रोकनेका सुझाव बेशक अमलमें लाने लायक है। जमीनोंके टुकड़े होना असी बुराओी है जो मिट्टी चाहिये। जमीनके व्यर्थ टुकड़े करनेकी व्यापक बुराओीको मिटानेमें कड़ा कानून ही समर्थ हो सकता है। सारे सुझावों पर अमल करनेके लिये सच्ची शिक्षा और आत्म-विश्वासकी जरूरत है। भूखों मरनेवाले किसानको न तो शिक्षा मिली है और न अुसमें आत्म-विश्वास है; क्योंकि वह सोचता है कि गरीबी एक असी विरासत है, जिससे वह कभी अपना पिंड नहीं छुड़ा सकता। सफाओी और स्वच्छताके बारेमें मि० ब्रेनके सुझाव कीमती हैं। वे किसी भी तरहके कूड़े-कचरे, गोबर, राख वगैराको ठीकसे खोदे हुओंसे खड़ोंके सिवा और कहीं डालने नहीं देंगे। खादके खड़ोंका पाखानोंकी तरह अपयोग करनेके बारेमें अनुहोने विस्तृत सूचनाओं दी है। नीचेका लम्बा लेकिन बोधप्रद वैरा यहां देनेकी लालचको मैं रोक नहीं सकता :

"गांवके चारों तरफ और गांवके भीतर फैले हुओं कूड़े-कर्कटके ढेर और गांवके बाहर — कभी कभी गांवके भीतर भी — हर जगह काफी मात्रामें बिखरा हुआ यह मैला सूखता है, हवासे सारे गांव पर अड़ाया जाता है और आदमी व मवेशीके पावोंसे अछाला जाता है। वह तुम्हारे खानेमें व पानीमें गिरता है, तुम्हारी आंखों और नाकमें घुसता है और हर सांसके साथ तुम्हारे फेफड़ोंमें पहुँचता है। अिस तरह वह तुम्हारी हवा, खाने और पानीका एक अंग बन जाता है और रोज गांवकी गंदगीका जहर तुम्हारे और तुम्हारे बच्चोंके शरीरमें पहुँचता है। अिसके अलावा अस गंदगीसे असंख्य मक्खियां पैदा होती हैं, जो पहले गंदगी पर बैठती हैं और बादमें तुम्हारे खाने पर, तश्तरियों पर और तुम्हारे बच्चोंकी आंखों और मुँह पर बैठती हैं। याद रखो कि ये मक्खियां

जब तुम्हारी मुलाकात लेती हैं, तब वे न तो अपने पांव धोती हैं, न अपने जूते शुतारती हैं। क्या तुम अपने और अपने परिवार-वालोंके लिए हमेशा बुरे स्वास्थ्य और बुरी आंखोंका दुःख भोगने और जल्दी ही अीश्वरके घर जानेके दूसरे किसी अधिक तेज रास्तेकी कल्पना कर सकते हो ?”

लेखक कहते हैं, “गुडगांव जिलेके गांवोंके घर प्रागैतिहासिक मानवकी गुफाओंके सीधे वारिस कहे जा सकते हैं।” अिसलिए वे चाहते हैं कि गांववाले अपने घरोंमें खिड़कियां रखें। चेचकसे बचनेके लिए वे लोगोंको मुफ्त टीका लगवायेंगे। वे प्लेगका टीका लगाकर और चूहोंको मारकर प्लेगसे, कुओंको साफ करवाकर और पानी खींचनेकी ठीक व्यवस्था करके हैजेसे और कुनैन व मच्छरदानियोंकी मददसे मलेरियासे लोगोंकी रक्षा करेंगे। मिं० ब्रेन टीके और अिजेक्शनके बारेमें जिस विश्वाससे बात करते हैं अुससे आश्चर्य होता है, जब कि दूसरी तरफ हम जानते हैं कि बड़े बड़े अधिकारी डॉक्टर भी अनुके विषयमें अधिकसे अधिक सावधानी और संयमके साथ बोलते हैं। चेचक वगैराके टीके रोज ही निकम्मे साबित हो रहे हैं और प्लेग, हैजे वगैराके अिजेक्शन, भले कुछ समयके लिए राहत पहुंचानेवाले अुपायोंके नाते अनुका कितना ही मूल्य हो — और मुझे तो अिसमें भी शक है — आत्माका हनन करनेवाले अिलाज हैं, जो मनुष्यको स्वाभाविक मृत्युसे पहले अनेक बार मरनेवाला पामर प्राणी बना छोड़ते हैं। यह बतानेके लिए हमारे पास काफी प्रमाण हैं कि जहां लोग साफ-सुथरा और स्वच्छ जीवन बिताते हैं, वहां प्लेग, हैजा, चेचक वगैराका कोअी डर नहीं रहता। क्योंकि दोनों रोग गंदगी और अस्वच्छतासे पैदा होते हैं। कुओंकी सफाई और पानी खींचनेका साफ तरीका, बेशक, हैजेसे बचनेके लिए ही नहीं बल्कि दूसरी बहुतसी बुराअियोंसे बचनेके लिए भी अुपयोगी है। विना दूषके कुनैन निकम्मी चीज है और मसहरियोंके बारेमें मैं अपने अनुभवसे कह सकता हूं कि वे लाखों-करोड़ोंकी पहुंचके बाहर हैं। मिं० ब्रेनने अुस भयंकर आर्थिक कष्टके बारेमें कभी बार अपना अज्ञान प्रकट किया है, जिसके दुःखसे हिन्दुस्तानके करोड़ों लोग कराह रहे हैं। अैसे अुपाय

सुमाना बिलकुल बेकार है, जो आज लोगोंकी पहुंचके बाहर है। सुधारके सपने सिद्ध होने पर लोग क्या कर सकते हैं, अिस बातका अिस विचारके साथ कोओी मेल नहीं बैठता कि जब तक सुधार अनुमें प्रवेश कर रहा है तब तक अनुहें क्या करना चाहिये।

बरबादीको रोकनेके लिअे नीचेका अिलाज सुझाया गया है :

“तुम ‘काज’ और दूसरे रीति-रिवाजों, गहनों, शादियों और लड़ाओी-झगड़ों पर मूर्खतासे पैसा बरबाद करनेके मौजूदा विचारोंको बिलकुल छोड़ दो।”

मुझे डर है कि यह “मूर्खताभरी पैसेकी बरबादी” ज्यादातर मि० ब्रेनकी कल्पनाकी ही अपेक्षा है। यह अिने-गिने लोगों तक ही सीमित है। लोगोंके बहुत बड़े हिस्सेके पास रीति-रिवाजों पर खर्च करनेके लिअे पैसा ही नहीं है। गहने जमा करनेकी बात कहना पुरानी सरकारी चाल है। सारे हिन्दुस्तानमें मुझे लाखों स्त्रियोंसे मिलनेका मौका आया है। मैंने खुद गहनोंकी निन्दा की है और कभी बहनोंके गहने छुड़ा लिये हैं। मैं मानता हूं कि अनुमें कोओी सौन्दर्य नहीं है। लेकिन अगर रीति-रिवाजोंमें खर्च कर सकनेवालोंकी संख्या थोड़ी है, तो गहने खरीदने और जमा करनेवालोंकी संख्या अुससे भी कम है। करोड़ों स्त्रियां या तो पत्थरके या लकड़ीके घिनीने गहने पहनती हैं। कभी बहनें पीतल या तांबेके गहने पहनती हैं और कुछ चांदीके कड़े और छड़े या पायजेब पहनती हैं। हजारोंमें अेकके ही शरीर पर कोओी सोनेके गहने दिखाओ देते होंगे। अिसलिअे गहनोंको नकद रूपयोंमें बदलकर बैंकमें जमा करनेकी सलाह तो मेरी रायमें बिलकुल ठीक है, लेकिन जब ग्राम-सुधारके कार्य-क्रमके अेक अंगके रूपमें अुसका विचार करते हैं तो वह असंगत लगती है। यही बात आपसी लड़ाओी-झगड़ोंके बारेमें कही जा सकती है। अिसमें शक नहीं कि मुकदमेबाजीमें जो पैसा खर्च किया जाता है, अुसकी मात्रा बहुत बड़ी होती है और वह शर्मनाक चीज है; लेकिन यह तो अन्हीं लोगों तक सीमित है जिनके पास पैसा है। लाखों-करोड़ोंके पास नामको भी पैसा नहीं होता, और ग्राम-सुधारके कार्यक्रममें अिन्हीं करोड़ों बेबस, अशान और निराश लोगोंका खयाल करना होता है।

सुखी गृहस्थीका विश्वास दिलानेके लिये मि० ब्रेन स्त्रियोंको मानव बनायेंगे और अन्हें घरमें ज्यादा आदरणीय और सच्ची सहभागिणियां बनायेंगे। वे लड़कोंके साथ लड़कियोंको भी तब तक स्कूल भेजेंगे, जब तक वे बहुत बड़ी नहीं हो जातीं। वे बचपनमें अुनकी शादी नहीं करेंगे। वे बड़े अुत्साहसे और बड़ी लच्छेदार भाषामें स्त्रियोंके अधिकारोंका समर्थन करते हैं। यहां दो पैरे अुदृत किये जाते हैं, जो विचार करने लायक हैं :

“जब तुम्हारी पत्नीको बच्चा पैदा होनेवाला होता है, तब तुम अुसके लिये एक अंधेरा और गंदा कमरा पसन्द करते हो और मेहतरकी स्त्रीको बुलाते हो। जब तुम्हारा हाथ टूट जाता है, तब तुम मेहतरको क्यों नहीं बुलाते? तुम अपनी ही स्त्रियोंमें से कुछको दाढ़ीकी तालीम क्यों नहीं दिलवाते? भंगियोंकी स्त्रियां जिस तरह डॉक्टर नहीं बन सकतीं, अुसी तरह वे दाढ़ी भी नहीं बन सकतीं। क्या तुम्हारी पत्नीके लिये जैसे नाजुक समर्थमें गांवकी एक सबसे नीची जातिवाली स्त्रीकी देखरेखमें रहनेके बजाय अपने ही लोगोंमें से किसी ऐककी देखभालमें रहना कहीं ज्यादा सुन्दर नहीं होगा? अूची जातिकी स्त्रीके लिये नसं या दाढ़ीके कामसे बढ़कर और कोओी काम नहीं हो सकता।

“अपनी पत्नी और परिवारवालोंके लिये घरका अंधेरे से अंधेरा और कमसे कम हवावाला हिस्सा सुरक्षित मत रखो। घरमें अुनका भी अुतना ही महत्व है जितना कि तुम्हारा है। और अुनकी बुरी तन्दुरुस्ती भी तुम्हारे लिये अुतनी ही बुरी चीज है, जितनी कि तुम्हारी खुदकी। तुम खेतों पर जाकर अपनेको स्वस्थ रख सकते हो। लेकिन तुम्हारी स्त्रियों और बच्चोंको बहुतसा बक्त घरमें ही बिताना पड़ता है। अिसलिये अन्हें घरका सबसे अच्छा और सबसे हवादार हिस्सा दो।”

काव्यका सौन्दर्य रखनेवाला यह दूसरा हिस्सा देखिये :

“बीश्वरकी सूष्टिमें मनुष्य ही एक अैसा प्राणी है, जो अपने लड़के और लड़कीके बीच भेद करता है और लड़कीको

लड़केसे घटिया मानता है। तुम्हारी माँ अेक समय लड़की थी। तुम्हारी पत्नी भी अेक समय लड़की ही थी। तुम्हारी लड़कियां किसी समय मातायें बनेंगी। अगर लड़कियां औश्वरकी घटिया सृष्टि हों, तो तुम खुद भी घटिया हो।”

मुझे आशा है कि पाठक भी मेरे साथ कुत्तोंके बारेमें नीचे दिये गये पंरेकी तारीफ करेंगे :

“कुत्ता मनुष्यका मित्र कहा जाता है। लेकिन गुडगांवमें बुसके साथ स्त्रीके जैसा ही व्यवहार किया जाता है और वह मनुष्यका दुश्मन माना जाता है। कुत्ता जरूर रखो, लेकिन अुसे नियमसे खाना दो, अुसका कोओी नाम रखो और अुसके गलेमें पट्टा लगाओ, अुसे अच्छी तालीम दो और ठीकसे अुसकी देखभाल करो। लावारिस कुत्तोंको गांवमें भटकने मत दो। अिस बातका ध्यान रखो कि वे तुम्हारे खानेको न बिगाड़ें, रातमें भौंककर तुम्हारी नींद खराब न करें और अन्तमें पागल होकर तुम्हें काटें नहीं।”

अुनकी पुस्तकमें और भी बहुतसा कीमती मसाला है। अुनकी दैनी और सजग आंखोंसे गांवका अेक भी दोष नहीं बच पाया है। मेरी रायमें ग्रामशिक्षाके बारेमें अुनके विचार बिलकुल सही हैं और अुनमें शायद ही कोओी सुधार किया जा सकता है। यहां नीचेका हिस्सा अुद्धृत करनेका लोभ मैं रोक नहीं सकता :

“ग्राम-स्कूलका ध्येय गांवके लोगोंको ज्यादा भले, ज्यादा बुद्धिमान, ज्यादा स्वस्थ और ज्यादा सुखी बनानेका होना चाहिये। अगर किसानका लड़का स्कूलमें आता है, तो अुसे स्कूलमें ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिये कि जब वह लौटकर अपने पिताका हल हाथमें ले, तब पितासे भी जल्दी अपना काम संभाल ले और सारे कामकाजमें अधिक बुद्धिमानीका परिचय दे। सबसे बढ़कर तो बच्चोंको स्कूलमें यह सीखना चाहिये कि स्वस्थ जीवन कैसे बिताया जाय और महामारियोंसे खुदको कैसे बचाया जाय। अुन लोगोंको शिक्षा देनेसे क्या लाभ, जो आगे जाकर अंधे बननेवाले हैं, किसी न किसी रूपमें शरीरसे अपंग हो

जानेवाले हैं या बालिंग होनेके पहले ही मर जानेवाले हैं? अस हालतमें शिक्षाका क्या अपयोग होगा, जब कि अनुके घर गन्धे हैं, आरामदेह नहीं हैं और महामारियां पूरेके पूरे परिवारोंको साफ कर देती हैं या बच्चोंको अंधे या अपंग बना देती हैं?"

और यह अद्देश्य सिद्ध करनेके लिए मिठेन ऐसे व्यक्तिको ग्राम-शिक्षक नहीं बनायेंगे, जो केवल लिखना, पढ़ना और गणित ही लोगोंको सिखा सके। अनुकी रायमें असे सच्चा ग्रामनेता बनना चाहिये, प्रकाश और संस्कृतिका केन्द्र होना चाहिये—जिस पर लोगोंका भरोसा हो, जिसके सामने वे अपनी समस्याओं रखते हों और जिससे वे शंका या कठिनाईके समय सलाह-मशविरा करते हों।

"शिक्षकको ग्राम-जीवनमें अपना अुचित स्थान ग्रहण करना और असकी रक्षा करनी चाहिये। असे अपने अपदेशको आचरणमें लाना चाहिये और सुधारके जिन कदमोंकी वह सिफारिश करे, अनुमें अपने हाथसे काम करनेका अदाहरण पेश करना चाहिये। श्रमकी प्रतिष्ठा और समाज-सेवाकी प्रतिष्ठा ही असका जीवन-मंत्र होना चाहिये। और जिस तरह असे पढ़ना और लिखना सिखानेके लिए तैयार रहना चाहिये, असी तरह गांवकी सफाई करनेके लिए या लोहेका हल सुधारनेके लिए भी तैयार रहना चाहिये।"

अब मुझे अपने पर काबू रखना चाहिये और ग्राम-सुधारके साहित्यमें कीमती वृद्धि करनेवाली अस पुस्तकको पढ़नेकी सिफारिश करके ही सन्तोष मानना चाहिये। यह योजना अपने-आपमें कुल मिलाकर अच्छी और व्यवहारमें आने लायक है। अगर लाला देशराजकी जानकारी पर भरोसा किया जाय — और मैं मानता हूं कि अस पर भरोसा किया जाना चाहिये — तो कमसे कम शब्दोंमें जितना तो कहना ही पड़ेगा कि असका अमल अत्यन्त दोषपूर्ण था। लेकिन असका कारण मिठेन और अनुके साधियोंमें अच्छाशक्ति और प्रयत्नकी कमी नहीं, बल्कि सरकारी वातावरण और पुरानी लीक पर चलकर काम करनेका ढंग था, जिस पर वे और अनुके साथ काम करनेवाले लोग विजय नहीं पा सके। लेकिन यह अेक बैसा दोष है, जिसको अनुकी स्थितिमें काम करते

हुओ हममें से भी कोभी दूर नहीं कर सकता था। मैं जानता हूँ कि मिठौ बेन हिन्दुस्तानको बदनाम करते रहे हैं और अपने अंग्रेज श्रोताओंके सामने ऐसे नतीजे रखते रहे हैं, जिन पर वे अपने सीमित निरीक्षणके बल पर पहुँचे थे, जिन्हें अनुके श्रोता शायद चुनौती नहीं दे सकते और जो अनुतनी दूरी पर हिन्दुस्तानके बनिस्वत कहीं ज्यादा बढ़े-बढ़े रूपमें दिखाओ देंगे। लेकिन मैंने अनुकके पुस्तकके अपने परीक्षण पर अंग्रेजके ताते अनुकी निन्दाओंका या अनुके प्रयोगकी स्पष्ट असफलताका कोभी प्रभाव नहीं पड़ने दिया है। मैं खुद एक सुधारक हूँ, जिसे ग्राम-सुधारमें गहरी दिलचस्पी है; असलिअे ओमानदारीसे लिखी हुओ अस पुस्तकमें से जो कुछ भी अच्छी बातें मैं निकाल सका, अन्हें निकालकर मैंने यहां रखनेका प्रयत्न किया है।

यंग अंडिया, १४-११-'२९

परिशिष्ट — ख

अुपयोगी सूचनाओं

[नीचेके अद्वरण प्रोफेसर जे० सी० कुमारप्पाके लेखोंसे लिये गये हैं।
— मो० क० गांधी]

सहकारी समितियां

सहकारी समितियां केवल ग्रामोद्योगोंके विकासके लिये ही नहीं, बल्कि ग्रामवासियोंमें सामुदायिक प्रयत्नकी भावना पैदा करनेके लिये भी बादशं संस्थाओं हैं। मल्टी-परपज सोसायटी यानी अनेक कामोंको पूरा करनेके लिये बनाओ गओ गांवकी सहकारी समिति कओ बातोंमें अुपयोगी सिद्ध हो सकती है। अनुमें से कुछ बातें नीचे बताओ गओ हैं:

१. वह अद्योगोंके लिये आवश्यक कच्चा माल और ग्रामवासियोंके लिये जरूरी अनाजका संग्रह कर सकती है।

२. वह गांवमें बनी चीजोंकी विक्रीकी तथा गांवके लोगोंको असी चीजें पहुंचानेकी व्यवस्था कर सकती है, जो अनुके लिये जरूरी हों।

३. वह बोनेके लिये अच्छे बीज, सुधरे हुये खेतीके औजार, हड्डियां, मांस, मछली, खली आदिके खाद तथा बनस्पति-खाद आदिका वितरण गांवके लोगोंमें कर सकती है।

४. वह गांवके सांड़को पालनेका प्रबन्ध कर सकती है।

५. कर-वसूलीके सम्बन्धमें वह सरकार और गांवके लोगोंके बीच मध्यस्थके तौर पर सेवा कर सकती है।

अनाजको अेक स्थानसे दूसरे स्थान पर ले जानेमें जो बिगाढ़ और बरबादी होती है और अुसे अिकट्ठा करके किसी केन्द्रमें ले जाने और बादमें वहांसे फिर गांवोंमें बांटनेमें जो खर्च होता है, वह खर्च अिन सहकारी समितियों द्वारा बचाया जा सकता है। सरकार और प्रजा दोनोंकी दृष्टिसे सहकारी समिति अेक बड़ा विश्वासपात्र साधन है। यदि गांवोंकी सहकारी समितियां अनाजका संग्रह रख सकें, तो गांवोंके कर्मचारियोंके वेतनका कुछ हिस्सा आसानीसे अनाजके रूपमें दिया जा सकता है और जिस प्रकार जमीन-महसूल भी अनाजके रूपमें वसूल करनेकी बड़ी वांछनीय पद्धतिके अमलकी अनुकूलता हो सकती है।

खेती

फसल लेनेके बारेमें भी अमुक नियंत्रण दाखिल करने चाहिये। अिनमें दो बातें ध्यानमें रखनी चाहिये: (१) कपास या तम्बाकू जैसी केवल आर्थिक दृष्टिसे पैदा की जानेवाली फसलके बजाय हरअेक गांवको अपनी जरूरतका अनाज और गांवके लोगोंकी प्राथमिक जरूरतें पूरी करनेके लिये जरूरी कच्चा माल पैदा करनेकी कोशिश करनी चाहिये। (२) अुसे कारखानेके काममें आनेवाला नहीं, लेकिन ग्रामोद्योगोंके लिये बुपयोगी हो असा कच्चा माल पैदा करनेकी कोशिश करनी चाहिये। मिसालके तौर पर, कारखानेके काममें आने लायक मोटे छिलकेवाले सब्जत गन्ने और लम्बे रेशेवाली कपास पैदा करनेके बजाय गुड़ बनानेके लिये गांवके कोलहमें पेरा जा सके असा नरम छिलकेका गन्ना और

हाथ-करतारीके काम आ सके अैसी छोटे रेशेवाली कपास पैदा करनी चाहिये। बच्ची हुओ जमीनका अुपयोग आसपासके जिलोंकी अन्नकी कमी पूरी करनेमें किया जा सकता है। कारखानोंके लिये जरूरी गन्ना, तम्बाकू, जूट और केवल व्यापारिक फसलें लेना बन्द कर देना चाहिये या अुनका प्रमाण जहां तक बने घटा देना चाहिये। किसान अिस नीति पर अमल करें, अिस दृष्टिसे जिस जमीनमें अुपर्युक्त व्यापारिक फसलें ली जाती हों, अुस पर भारी कर डाले जायं अथवा किसानोंसे अधिक जमीन-महसूल लिया जाय। और साथ ही अैसी व्यवस्था होनी चाहिये, जिससे केवल सरकारकी अिजाजत लेकर ही वे व्यापारिक फसलें अुगा सकें। अैसा होने पर अनाजके बदले व्यापारिक फसल लेनेका किसानोंमें अुत्साह नहीं रहेगा। कोओ अैसा अुपाय किया जाना चाहिये, जिससे कुल मिलाकर खेतीकी पैदावारकी कीमतका स्तर अद्योगोंकी पैदावारके मुकाबले कुछ ज्यादा हो।

तम्बाकू, जूट, गन्ने आदिकी व्यापारिक फसलें दो तरहसे नुकसानदेह हैं। अिनकी वजहसे मनुष्यके लिये जरूरी अनाज और ढोरोंके लिये घास-चारेकी पैदाभिश कम होती है। क्योंकि व्यापारिक फसलोंके बजाय अनाजकी फसल ली जाय, तो अुसमें से ढोरोंके लिये घास-चारा भी निकल आता है।

कारखानोंके लिये पैदा की जानेवाली गन्नेकी फसल घट जानेका परिणाम यह होगा कि गुड़का अुत्पादन कम हो जायगा। लेकिन यह कमी आजकल ताड़ीके लिये तो ताड़के पेड़ छेदे जाते हैं अुनसे या खजूरके पेड़ोंसे गुड़ बनाकर पूरी की जा सकती है। और जरूरत मालूम हो तो अिसके लिये बंजर भूमिमें पैदा हुओ ताड़ या खजूरके पेड़ोंका भी अुपयोग किया जा सकता है। साथ ही अिस कामके लिये अैसी किसी बंजर भूमिमें ताड़ और खजूरके पेड़ अुगाये भी जा सकते हैं। आज जिस सबसे बढ़िया जमीनमें गन्ना बोया जाता है, वह अनाज, फल और शाकभाजी पैदा करनेके काम आ सकती है। भारतको अिन चीजोंकी बड़ी जरूरत है।

खेतीके लिये पानी

सारे गांवोंकी खेतीके लिये पानीकी व्यवस्था करनेकी जरूरतके बारेमें जितना भी आग्रह रखा जाय अुतना थोड़ा है। अिसी पर खेतीके

विकासका आधार है, बल्कि असे ही खेतीकी व्यवस्थाकी बुनियाद भी कह सकते हैं। अिसके बिना सारी खेती जुओं जैसा साहस हो जाती है। अिसलिए कुओं खुदवाने, छोटे तालाबोंको बड़े कराने और जो मिट्टीसे भर गये हों अन्हें गहरे कराने तथा नहरें खुदवानेकी ओक जबरदस्त हलचल शुरू की जानी चाहिये। आजकल चावल कूटने या आटा पीसनेकी मिलोंमें जो ऑजिन काममें आते हैं, अन्हें सरकार कुओंसे पानी निकालनेके काममें ले सकती है। पानीकी जरूरी सुविधाके बिना जमीनको अच्छी तरह खाद नहीं दिया जा सकता, क्योंकि बिना पानीके खाद नुकसान करता है।

हरिजन, १२-५-'४६

खाद

कूड़ा-कचरा, हड्डियां और मल वर्गरा जो बेकार चीजें आज गांवकी तन्दुरुस्तीको बिगाढ़ रही हैं, वे सब खाद बनानेमें अुपयोगी हो सकती हैं। अिस प्रकारका मिश्र खाद तैयार करना बहुत आसान होता है और वह गायके गोबरके खाद जितना ही काम देता है। हड्डियां और खली, जो आम तौर पर विदेशोंमें भेज दी जाती हैं, गांवके बाहर न जाने दी जायं। गांवोंमें चूनेकी भट्टियोंमें हड्डियोंको थोड़ी आंच देकर चूनेकी चक्कियोंमें पीस लिया जाय और किसानोंको बांट दिया जाय।

ठेका देनेवालोंको थोड़ी पेशागी मदद देकर गांवोंमें ठेकेसे खाद तैयार कराया जाय। अिससे न सिर्फ गांवकी स्वच्छता ही बढ़ेगी, बल्कि मिश्र और सादा खाद बनानेवाले भंगियोंका दर्जा खाद बेचनेवाले व्यापारियोंके रूपमें बढ़ जायगा।

गांवोंसे तिलहन ले जाकर अुसके बदलेमें केवल तेल देनेवाली तेलकी मिलें सारी खली परदेश भेज देती हैं। अिसलिए यह कहा जा सकता है कि ये मिलें जमीनको ओक अुत्तम प्रकारके खादसे वंचित कर देती हैं। अिसे बिलकुल रोक दिया जाना चाहिये। गांवोंसे तिलहनको बाहर न जाने देकर अुसे वहीं स्थानीय देशी धानियोंमें क्यों पेरना चाहिये, अिस बातका यह ओक मुख्य कारण है। अिस प्रकार तेल और खली दोनों

चीजें गावमें ही रहेंगी और मनुष्य, पशु तथा जमीन तीनोंको पोषण देकर समृद्ध करेंगी।

आजकल जमीनका अुपजाभूपन अधिक बढ़ानेकी लम्बी-लम्बी बातोंके नाम पर खेतीमें रासायनिक खाद दाखिल करनेके बड़े प्रयत्न चल रहे हैं। दुनियाभरमें इस तरहके रासायनिक खादोंका जो अनुभव हुआ है, असमें यह साफ चेतावनी मिलती है कि हमें जिन खादोंको अपनी खेतीमें नहीं घुमने देना चाहिये। जिन खादोंसे जमीनका अुपजाभूपन किसी भी प्रकार नहीं बढ़ता। अफीम या शराब जैसी चीजें जिस प्रकार आदमीको नशेमें झूठी शक्ति आनेका आभास कराती हैं, असी प्रकार ये सब खाद जमीनको अुत्तेजित करके थोड़े समयके लिये काफी फसल पैदा कर देते हैं, लेकिन अंतमें जमीनका सारा रस-क्स चूस लेते हैं। खेतीके लिये अत्यन्त ज़रूरी माने जानेवाले जीव-जन्तुओंका, जो जमीनमें रहते हैं, ये खाद नाश कर देते हैं। ये रासायनिक खाद कुल मिलाकर लम्बे समयके बाद खेतीको नुकसान पहुंचानेवाले ही साबित हुआ हैं। रासायनिक खादोंके बारेमें जो बड़ी-बड़ी बातें कही जाती हैं, अनुके पीछे अन खादोंके कारखानोंके मालिकोंकी अपने मालकी बिक्री बढ़ानेकी चिन्ताके सिवा और कोई बात नहीं है; और जमीनको अनसे लाभ होता है या हानि, इस बातसे वे अेकदम लापरवाह होते हैं।

जमीनकी सार-संभाल

खादका संग्रह बढ़ानेके साथ-साथ जमीनमें से पानीके निकासकी अुचित व्यवस्था करके और जहां जरूरत हो वहां छोटे-छोटे बांध बांधकर जमीनको धुलने और कटनेसे बचाया जाय तथा जमीनका अुपजाभूपन बढ़ानेवाले तत्त्वोंकी रक्षा की जाय। सारी बातोंका विचार करने पर यह बुनियादी चीज हमारे सामने आती है कि मनुष्यों और पशुओंका पोषण अम्ल और धास-चारेके रूपमें जमीन पर ही आधार रखता है। जमीनका अुपजाभूपन घट जाय तो असमें से पैदा होनेवाली आहारकी चीजोंके गुण घट जायंगे और परिणामस्वरूप लोगोंकी तन्दुरस्ती पर असका असर हुआ बिना नहीं रहेगा। इसीलिये मनुष्यके आहार और पोषण-शास्त्रके विशेषज्ञ तन्दुरस्तीको खेतीके साथ जोड़ते हैं।

बीज

खेतीके सुधारके लिये चुने हुए और सुधरी हुआ किसके बीजोंकी खास जरूरत है। किसानोंको अच्छे बीज पहुंचानेके लिये व्यवस्थातंत्र खड़ा करनेकी बड़ी जरूरत है। यिसके लिये सहकारी समितियोंसे बढ़कर दूसरा कोअी साधन नहीं है।

शोध

खेतीबाड़ीके संबंधमें सारी शोध व्यापारिक फसलोंके बजाय अनाज और ग्रामोद्योगोंके लिये कच्चा माल किस तरह पैदा किया जाय यिस बारेमें होनी चाहिये, न कि तम्बाकू जैसी नकद पैसा देनेवाली फसल और कारखानोंके लिये मोटे छिलकेवाले गन्ने तथा लम्बे रेशेवाली कपास जैसा कच्चा माल पैदा करनेके बारेमें।

युक्ताहारकी चीजोंके लिये जमीनका बंदवारा

आजकल आहारके सवालने गंभीर रूप धारण कर लिया है, लेकिन अुसका तुरन्त कोअी हल निकले अैसा नहीं दीखता। यिस सवालके दो पहलू हैं। पहला हरअेक मनुष्यकी खुराकमें आवश्यक कैलरीकी कमीका और दूसरा मनुष्यके शरीरको टिकाये रखनेवाली रक्षणात्मक खुराककी दीर्घकालीन कमीका। पहला सवाल तो किसी तरह हल हो सकता है, लेकिन दूसरेका हल होना वर्तमान परिस्थितियोंमें मुश्किल है।

आम तौर पर यह मान लिया जाता है कि अेक अेकड़ जमीनमें पैदा होनेवाले अनाजमें से दूसरे किसी खाद्य पदार्थके बजाय अधिक कैलरी मिलती है। लेकिन यिस कैलरीके सवालको अेक ओर रखकर अितना याद रखना चाहिये कि अनाजमें से शरीर और स्वास्थ्यको टिकाये रखनेवाले तत्त्व बहुत कम मिलते हैं। यिसलिये केवल अनाज खाकर ही यिन तत्त्वोंको प्राप्त करनेकी बात सोचें, तो हमें अनाजके बहुत बड़े संग्रहकी जरूरत होगी। यिसके बजाय अनाजके बदलेमें या अुसके साथ साथ फल, शाकभाजी, मूँगफली, तिल आदि चीजें खुराकमें ली जायं, तो युक्ताहारके लिये आवश्यक और स्वास्थ्यको टिकाये रखनेवाले रक्षणात्मक तत्त्व केवल अनाजकी अपेक्षा यिस प्रकारकी खुराककी कम मात्रामें अधिक मिल सकते हैं। और अनाजके

बजाय आलू जैसे कंदमूलसे प्रति अेकड़ मिलनेवाली कैलरीका प्रमाण भी अधिक होता है। यिस प्रकार हमारी दृष्टिसे युक्ताहारका दुहरा लाभ है। और अुससे हमारा सारा सवाल हल हो सकता है। अेक तो अुससे प्रति व्यक्ति जमीनकी कम जरूरत होगी; दूसरे, शरीरको बराबर तन्दुरुस्त रखनेके लिअे खुराकमें जिन तत्वोंका होना जरूरी है, वे भी ठीक मात्रामें मिल जायंगे। यह हिसाब लगाया गया है कि आजकल हिन्दुस्तानमें खाद्य पदार्थोंकी खेतीके लायक जमीनका प्रमाण प्रति व्यक्ति ०.७ अेकड़ है। आज खेतीके सम्बन्धमें जमीनका जिस तरह बंटवारा किया जाता है, अुसके अनुसार यह प्रमाण हमारी खुराककी आवश्यकताकी दृष्टिसे बहुत अपर्याप्त मालूम होता है। लेकिन युक्ताहारके लिअे खानेकी जरूरी चीजें प्राप्त करनेकी दृष्टिसे यदि फिरसे खेतीकी व्यवस्था की जाय, तो यही प्रमाण जरूरतसे ज्यादा मालूम होता है। क्योंकि अुसके लिअे प्रति व्यक्ति जरूरी जमीनका जो अन्दाज निकाला गया है वह केवल ०.४ अेकड़ है। किसी स्थानकी आबादीकी खुराकके लिअे (वहांकी जमीनमें) आजकी तरह केवल अनाज पैदा करनेके बजाय जमीनका यिस ढंगसे बंटवारा होना चाहिये कि अुसमें युक्ताहारकी सारी आवश्यक चीजें पैदा की जा सकें। सवालके यिस पहलूकी और गहराअीसे जांच होनी चाहिये और अुसके आधार पर अेक निश्चित योजना तैयार की जानी चाहिये।

धान और चावल

१. त्रावणकोर राज्यकी तरह सारी चावलको मिलें बन्द कर देनी चाहिये।
२. चावलको पाँलिश करनेवाली सारी यंत्र-चक्रियां बन्द कर देनी चाहिये।
३. बिना पाँलिश किये हुअे या बिना छंटे पूरे चावलमें अधिक पोषण-शक्ति है, यह बात लोगोंको सिखाओ जानी चाहिये और प्रत्यक्ष क्रिया या सिनेमाकी फिल्म द्वारा अनुहें चावल रांधनेकी शिक्षा दी जानी चाहिये। पाँलिश किये हुअे चावलकी मनाही हो जानी चाहिये या यह निश्चित कर देना चाहिये कि चावलको कितने प्रमाणमें छांटा या पाँलिश किया जाय; और अस पर सस्तीसे अमल होना चाहिये।

४. खासकर धानकी खेती करनेवाले प्रदेशोंमें, जहां धानको कूटकर अुसकी भूसी अलग करनेका धंधा औद्योगिक स्तर पर चलता हो वहां धानको अलग करनेके, साफ करनेके और ऐसे ही दूसरे कीमती साधन कारीगरोंके समूहोंको अनकी सहकारी मंडली द्वारा भाड़ेसे देनेकी व्यवस्था की जानी चाहिये।

५. बिना छंटे या बिना पॉलिश किये हुओ चावलकी हिमायत करके अुसे लोकप्रिय बनाना है, अिसलिए धानको अेक प्रदेशमें से दूसरे प्रदेशमें लाने-ले जानेकी जरूरत होगी। लेकिन चावलकी अपेक्षा भूसीवाले धानका बजन अधिक होनेसे अुसके लाने-ले जानेके भाड़ेकी बजहसे चावलकी कीमत बढ़न जाय, अिस खयालसे धानके भाड़ेकी दरमें छूट रखनी चाहिये।

६. जिन प्रदेशोंमें धानकी भूसी अलग करने और चावलको छांटनेका काम अेक ही किस्मके साधनोंसे होता है, वहां धानको कूटकर अुसकी भूसी अलग की जाती है। अिसलिए जो चावल निकलते हैं, वे पॉलिश होकर निकलते हैं। ऐसे प्रदेशोंमें जिलावार जो प्रयोग-केन्द्र रखे गये हों, अनके मारफत दूसरे औजारोंके साथ-साथ धानकी भूसी अलग करनेकी लकड़ी, पत्थर या मिट्टीकी चक्कियां दाखिल करनी चाहिये। जहां तक बने चावलको पॉलिश करनेवाले औजारोंको बढ़ावा न दिया जाय; अुलटे अनकी संस्था पर नियंत्रण रखनेके हेतुसे अन पर कुछ कर लगाया जाना चाहिये। साथ ही लाभिसेन्स लेकर ऐसे औजार रखनेवाले लोग चावलको कितना पॉलिश करते हैं, अिस बात पर भी देखरेख और नियंत्रण रखना चाहिये। गांवकी जरूरतका धान तथा दूसरा अनाज और बीज गांवमें ही संग्रह करके रखे जायं और केवल बचा हुआ हिस्सा ही बाहर भेजा जाय। अिन सब कामोंके लिए सबसे अच्छा-साधन 'मल्टी-परपज सोसायटी' या सहकारी समिति ही है।

अनाज-संग्रह

यदि अनाज-संग्रहकी व्यवस्था जहांकी वहीं कर ली जाय, तो संग्रह करनेकी बुरी पद्धतिके कारण जो बरबादी होती है, वह बन्द हो जायगी और अनाजको अिघरसे अुधर लाने-ले जानेका व्यर्थ खर्च बच जायगा। बड़े

कस्बों या शहरोंमें, जहां अनाजका भारी संग्रह रखना होगा, युक्तप्रान्तके मुजपफरनगरके नमूनेके सिमेन्टके पक्के गोदाम बनाये जाने चाहिये। ऐसे गोदाम या तो वहांकी म्युनिसिपलिटी बनवा सकती है या खानगी व्यक्ति बनवा सकते हैं, और अनुन्हें अनाजके संग्रहके लिये भाड़ेसे दे सकते हैं। आजकल जिस प्रकार कारखानोंके बाँयलरोंके लिये लाइसेन्स निकालने पड़ते हैं और अनकी समय समय पर जांच होती रहती है, असी प्रकारकी पद्धति अन गोदामोंके बारेमें भी होनी चाहिये। केवल अनाजको गोदाममें रखने या संग्रह करनेकी गलत पद्धतिके कारण ही बहुत बड़ी मात्रामें अनाज बिगड़ जाता है। अस बिगाड़का कमसे कम कूता गया अन्दाज पैंतीस लाख टन है और वह हिन्दुस्तानमें चालू वर्षमें अनाजकी जो कमी बतलायी गयी है लगभग अुतना ही है। जीव-जन्तुओं, चूहों, घूस और सीलके कारण जो अनाज बिगड़ जाता है या सड़ जाता है, असके मूलमें भी संग्रहकी यह दोषपूर्ण पद्धति ही है। अस बिगाड़से तरह-तरहकी बीमारियां पैदा होती हैं और यह बिगाड़ भी कोओ औसा-वैसा नहीं होता। यह सारा सवाल हमेशाका सवाल है, और असे गंभीरतासे आग्रहपूर्वक तुरन्त हल करनेकी बड़ी आवश्यकता है। और कुछ नहीं तो कमसे कम आजकल रक्षाके किसी भी प्रकारके साधनोंसे रहित या नाममात्रके साधनोंवाले गोदामोंमें अनाजका जो संग्रह किया जाता है, वह तो अेकदम बन्द कर दिया जाना चाहिये।

जिन गांवोंमें अनाज पैदा होता है, वहीं असका संग्रह किया जाय और कस्बों या शहरोंमें जाकर पुनः गांवोंमें अनाजके वापस लौटनेकी आजकी प्रथा बन्द की जा सके, तो बेशक अनाजके बिगड़नेकी बहुत कम संभावना रहेगी। अनाजका संग्रह जहांका वहीं करनेसे कालाबाजारको नष्ट करनेमें, भावोंको स्थिर रखनेमें और गांवोंको शहरोंसे रेशन पानेमें होनेवाली कठिनाओं दूर करनेमें बड़ी मदद होगी।

व्यक्तिगत रूपसे अनाजका संग्रह करनेवाले प्रत्येक व्यक्तिको अनाजके संग्रह तथा असे हिफाजतसे रखनेके तरीके सिखाये जाने चाहिये।

सूची

अखिल भारत ग्रामोद्योग-संघ १५,
३४, ७७, ७८
अखिल भारत चरखा-संघ ३५, ७८
अखिल भारत महिला-परिषद १००
अखिल भारत मिश्र खाद कान्करेन्स
१४
अनाज-संग्रह १२४-२५
अप्पासाहब पंत ५७, ५९
अस्पृश्यता-निवारण १०२, १०३
अहिंसक सेवादल ६७; —के नियम
६८-६९
अहिंसा ५, ६०; —की सत्ता ही
ग्रामीण समाजका शासन-बल
होगी ५; —के जरिये आर्थिक
समानता ४३-४४; —व सत्य
एक ही सिक्केके दो पहलू हैं
४६; —सामाजिक धर्म है ४४
आजादी ६०-६२
ओश्वरभाऊ अस० अमीन ४९,
५१
अुरुलीकांचन २३
आँध ५७; —में ग्राम-लोकशाही
५७-५९
कबीर ९२
काका कालेलकर ७९
कुदरती अिलाज २०; —जीवन-
परिवर्तनकी बात है २१; —में

कम खर्च और ज्यादा साधनी
होनी चाहिये २१; —में मध्य-
बिन्दु रामनाम ही है २१
कुमारपा, प्रो० ११८
खद्दर (खादी) ७५, १०५; —गांवोंके
सौर-मण्डलका सूर्य है ४०
खाद ११-१५, १२०-२१
खेती ११८-१९; —के लिये पानी
११९-२०; —के सुधारके लिये
अच्छे बीज १२२
गांधीजी — अहिंसक अर्थ-रचनाके
बारेमें ४६-४८; —आदर्श ढोरोंके
बारेमें ५५; —आदर्श भारतीय
ग्रामके बारेमें ८८-८९; —आर्थिक
समानताके बारेमें ४२-४५;
—जिमलीके प्रयोगके बारेमें २७;
—की ग्राम-सेवक शिक्षणालयके
विद्यार्थियोंसे बातचीत ८४-८६;
—की ग्रामस्वराज्यकी कल्पना
५-६; —की ग्रामोद्योगोंकी योजना
३६; —की पुलिस-बलकी कल्पना
६६-६७; —की रायमें आहारमें
दूध जरूरी है २७; —की समग्र
ग्रामसेवाकी कल्पना ९५-९६;
—कुदरती अिलाजके बारेमें २०-
२३; —कूड़े-कर्कटसे खाद बनानेके
बारेमें ९-१०; —खादके गड्ढोंके
बारेमें ११-१२; —गांवोंकी चीजोंके

अपयोगकी हिमायत करते हैं ३८; —गांवोंके पुनर्निर्माणमें पैसेके स्थानके बारेमें ७-८; —गांवोंके बस्त्र-स्वावलम्बनके बारेमें २९; —ग्राम-पंचायतके बारेमें ५-६; —ग्राम-सफाओंके बारेमें ९-११; —ग्राम-सैनिकोंके बारेमें ५; —ग्रामीण प्रदर्शनियोंके बारेमें ९०; —जमींदार और तालुकेदारके कर्तव्यके बारेमें ४१-४२; —जमींदारोंके बारेमें ४०-४१; —डायरी खबनेके बारेमें ८२; —द्वारा गांवकी गाड़ीकी हिमायत ५१; —पंचायतके बारेमें ५५-५७; —पूरेरेकी पद्धतिके बारेमें ९-१०, ११; —ब्रेनके ग्राम-सुधार प्रयोगके बारेमें १०७-१७; —ब्रेन द्वारा मुझाये गये खादके गड्ढोंके बारेमें ११; —मिश्र खादके बारेमें १४-१५; —मैलेके गड्ढोंके बारेमें १२; —मैलेको गाड़नेके बारेमें १२-१३; —यंत्रोदयोगके बारेमें ३३-३४; —श्रम बचानेवाले यंत्रोंके विरोधी क्यों? ३६-३७; —सरकारके कर्तव्यके बारेमें १०४-०६; —सर्वश्रेष्ठ वैद्य प्रकृतिको मानते हैं १८; —साक्षरताके विरोधी नहीं ७२; —सिनेमाके बारेमें ६३; —हरी पत्तियोंके बारेमें २४-२५

गोसेवा-संघ १०६
ग्रामसेवक ६९; —अद्यमकी जीती-जागती मूर्ति होगा ७०; —का जीवन गांवके जीवनसे मेल खानेवाला होगा ७२; —का दूसरा मुख्य काम सफाओं ७१; —का सबसे पहला काम ८९-९०; —की आवश्यक योग्यतायें ९३; —के जीवनका मध्यविन्दु चरखा होगा ६९; —के प्रश्न व उत्तर ८०-८३; —के मनमें प्रौढ़-शिक्षणकी लगन हो ९४; —को आरोग्य-शास्त्रका ज्ञान होना चाहिये ९४; —को राजनीतिसे अलग रहना चाहिये ८२; —को हरिजनोंकी सेवा करनी है ७१; —गांवकी दलबन्दीमें न पड़े ८३; —गोपालन सीखे २७; —जीविकाके लिए क्या करे? ७७-७८; —रोगियोंकी मदद कैसे करे? १७-१८

ग्रामसेवा ६९-७३; —के आवश्यक अंग ९४; —ही सच्ची जनशिक्षा है १०१

ग्रामोद्योग ३२; —क्यों? ३७
'ग्रामोद्योग पत्रिका' ५१

घनश्यामदास बिड़ला ७

चरखा २९, ३०, ६९, ९०; —के द्वारा ही अद्योगोंका पुनर्जीवन और

स्वावलम्बन संभव है ६९; —क्या कर सकता है? ३१; —विधवा-ओंका सहारा ३०; —से शांत लेकिन निश्चित क्रांति होगी ३१
 चैतन्य ९२
 तिश्वल्लुवर ९२
 तुकाराम ९२
 तुलसीदास ९२
 बाहू ९२
 'दि रीमेकिंग ऑफ विलेज अिडिया' १०७
 दीनबन्धु अन्डूज ८८
 नजी (बुनियादी) तालीम १४, १०६
 नानक ९२
 पंचायत ५५, ५७, ६२-६३; —राज ६४
 पूअरे, डॉ० ९, ११; —की खाद बनानेकी पद्धति ९-१०
 फायलर, डॉ० १३
 बाल-विवाह १००
 बजलाल नेहरू २३
 ब्रेन, मि० ११, १०७
 मगनवाड़ी ७९
 मद्य-निषेध (शराबबन्दी) १०२-०३
 मिश्र खाद १४-१५
 मीराबहन १४, ७९
 मॉट, डॉ० ८

'यंग अिडिया' १०७
 युक्ताहार २१, २२, १२२-२३
 राजकुमारी अमृतकुंवर २३
 राजगोपालाचार्य ८७
 राजेन्द्रप्रसाद, डॉ० १४
 रामकृष्ण ९२
 रामनाम २०, ६९; —कुदरती अिलाजका मध्यबिन्दु २२; —के बिना चित्तशुद्धि नहीं होती २१; —गरीबोंका आधार २१
 राष्ट्रभाषा ९४
 लाला देशराज १०७
 लोकसेवक-संघ १०३; —के सदस्योंकी योग्यता १०३-०४
 विनोबा २६
 विभीषण ८३
 शरीर-श्रम ८२
 शान्ति-सेना ६४, ६५, ६६; —के सदस्योंकी योग्यतायें ६५-६६
 सतीशचन्द्र दासगुप्ता १६; —की पुस्तक 'घर और गांवका डॉक्टर' १६
 सहकारी समितियां ११७, १२४; —क्या कर सकती हैं? ११७-१८
 सीताराम शास्त्री ७३
 हिंसा ३, ४४
 हिन्दुस्तानी तालीमी संघ १०६

महात्मा गांधी की पुस्तकें

१. सर्वोदय	४०-००
२. आरोग्य की कुंजी	९५-००
३. कुदरती उपचार	२०-००
४. गांधीजी की अपेक्षा	४०-००
५. गांधीजी की आत्मकथा	८०-००
६. गांधीजी की संक्षिप्त आत्मकथा	४०-००
७. गांधीजी का जीवन उन्हीं के शब्दों में	२०-००
८. ग्रामस्वराज	६०-००
९. दक्षिण आफिका के सत्याग्रहका इतिहास	३५-००
१०. मंगल प्रभात	९०-००
११. मेरे सपनों का भारत	७०-००
१२. मोहनमाला	३०-००
१३. रचनात्मक कार्यक्रम	९०-००
१४. रामनाम	२०-००
१५. राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी	६०-००
१६. सत्य ही ईश्वर है	४०-००
१७. स्वेच्छा से स्वीकार की हुई गरीबी	२०-००
१८. हिंद स्वराज	३०-००
१९. हम सब एक पिता के बालक	३०-००

नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद-३८० ०९४

ISBN 978-81-7229-671-1



9 788172 296711

₹ 50

